

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 दिसम्बर 2020—पौष 4, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभागों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकी सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरः स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2020

क्र. ई-5-973-आयएस-लीव-5-एक.— (1) श्री अरुण कुमार तोमर, भाप्रसे., अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 01 से 18 दिसम्बर 2020 तक अठारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 19, 20 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अरुण कुमार तोमर, भाप्रसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर मुख्य

निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अरुण कुमार तोमर, भाप्रसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अरुण कुमार तोमर, भाप्रसे., अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-1057-आयएस-लीव-5-एक.— (1) श्रीमती बंदना वैद्य, आयएस., सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 27 नवम्बर से 03 दिसम्बर 2020 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

5515

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश, लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस को अवकाश, वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती बंदना वैद्य, आयएएस, अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2020

क्र. ई-1-331-2020-5-एक.- श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा, भाप्रसे (2002), कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30 नवम्बर 2020 को अपरान्ह से सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

(2) श्री रवीन्द्र कुमार मिश्रा के सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप श्री आशीष सक्सेना, भाप्रसे (2003), कमिश्नर, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कमिश्नर, चंबल संभाग, मुरैना का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

क्र. ई-1-330-2020-5-एक.- श्री श्रीमन शुक्ला, भाप्रसे (2007), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तथा पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पदेन अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग घोषित किया जाता है।

क्र. ई-1-332-2020-5-एक.- श्री धनराजू एस., भाप्रसे (2009), संचालक कौशल विकास, मध्यप्रदेश को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग घोषित किया जाता है।

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2020

क्र. ई-1-335-2020-5-एक.- राज्य शासन एतद्वारा श्री मनोज कुमार अग्रवाल, भावसे (1993), अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश राज्य योजना आयोग (योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में प्रतिनियुक्ति पर) की सेवाएं वन विभाग से लेते

हुए उन्हें अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, भोपाल के पद पर पदस्थ किया जाता है।

(2) श्री पुष्पकर सिंह, भावसे (1987), आयुक्त-सह-संचालक, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण की सेवाएं तत्काल प्रभाव से वन विभाग को लौटाई जाती हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

इकबाल सिंह बैस, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर 2020

क्र. ई-5-940-आयएएस-लीव-5-एक.- (1) श्री राजीव शर्मा, आयएएस., आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल को दिनांक 23 से 28 नवम्बर 2020 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव शर्मा को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न आयुक्त, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाश काल में श्री राजीव शर्मा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीप्ति गौड़ मुकर्जी, प्रमुख सचिव 'कार्मिक'.

भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2020

क्र. -1402-114-2019-एक-10.- राज्य शासन एतद्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो, उप लोकायुक्त, भोपाल को दिनांक 23 अक्टूबर से 2 दिसम्बर 2020 तक कुल दस दिवस का अर्जित अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रंजना पाटने, अवर सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 79-2011-ब-2-दो.- राज्य शासन श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे, सेनानी, 9वीं वाहिनी, विसबल, रीवा को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष में दिनांक 17 से 31 दिसम्बर 2020 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर की यात्रा के बदले भारत भ्रमण हेतु जैसलमेर (राजस्थान) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :-

- | | | |
|---------------------------|---|--------|
| 1. श्री रघुवीर सिंह मीणा, | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती ममता मीणा, | — | पत्नी |
| 3. कु. अपूर्वा मीणा, | — | पुत्री |
| 4. श्री आदर्श मीणा, | — | पुत्र |

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न सेनानी, 9वीं वाहिनी, विसबल, रीवा के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रघुवीर सिंह मीणा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नु भलावी, अवर सचिव.

क्र. एफ 1 (ए) 152-1990-ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जे.एन.पी.ए., सागर को दिनांक 01 दिसम्बर 2020 से 30 जनवरी 2021 तक इकसठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 30 नवम्बर 2020 व 31 जनवरी 2021 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक, जे.एन.पी.ए., सागर के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री आर.एस. डेहरिया, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक/उप निदेशक, जे.एन.पी.ए., सागर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस

महानिदेशक/निदेशक, जे.एन.पी.ए., सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 17 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 168-1989-ब-2-दो.- राज्य शासन द्वारा श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 31 दिसम्बर 2020 से 14 जनवरी 2021 तक पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री ए. साईं मनोहर, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (अअवि/सतर्कता), पु.मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, अ.अ.वि., पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री कैलाश मकवाना, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 1 (ए) 27-2015-ब-2-दो.- राज्य शासन श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर को दिनांक 1 से 15 दिसम्बर 2020 तक पन्द्रह दिवस पितृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे, के अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री बिट्टू सहगल, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर द्वारा अपने कार्य के साथ संपादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, अलीराजपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विपुल श्रीवास्तव, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 199-1991-ब-2-दो.- राज्य शासन, श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग, म.प्र., भोपाल को दिनांक 28 दिसम्बर 2020 से 2 जनवरी 2021 तक, छः दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, मानव अधिकार आयोग, म.प्र., भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाश काल में श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती सुषमा सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बनी रहती.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2020

फा. क्र. 17 (ई) 44-2013-इक्कीस-ब(एक)-3319-2020.- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब(1)3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013, जो मध्यप्रदेश, राजपत्र भाग-एक में

दिनांक 20 सितम्बर, 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 9 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात् :-

सारणी

क्र.	जिले का नाम	विशेष न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)
"9.	दतिया	श्री मधुसूदन मिश्रा, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, दतिया

2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F-No.-17(E)-44-2013-XXI-B(One) 3319-2020.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's Notification F-No. B(1)3476-2013, dated 11th September, 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-1, dated 20th September, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 9 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be Substituted, namely :-

TABLE

S.No.	Name of District	Name and Designation of the Judge
(1)	(2)	(3)
"9.	Datia	Shri Madhusudan Mishra, Special Judge, SC/ST (POA) Act, Datia.

2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court.

फा. क्र. 17 (ई) 17-2016-इक्कीस-ब(एक)-3395-2020.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट 2015 (2016 का 4) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा इस

विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17(ई) 17-2016-21-ब(एक) 2311/19, दिनांक 05 अप्रैल 2019 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 17 मई 2019 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 2 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएँ, अर्थात् :-

सारणी

स.क्र.	जिला	न्यायिक अधिकारी जिला न्यायाधीश स्तर
(1)	(2)	(3)
"9.	भोपाल	श्रीमती सोनम वर्मा, बीसवें सिविल न्यायाधीश, वर्ग-1, भोपाल".

F-No.-17(E) 17-2016-XXI-B(1) 3395/2020.- In exercise of the powers conferred by Section 3 of Commercial Courts, Act, 2015 (No. 4 of 2016), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh hereby, makes the following amendment in this department's notification no. 17 (E) 17-2016-XXI-B(1) 2311/19 dated 05th April 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette part 1, dated 17th May 2019 namely :-

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial number 2 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :-

TABLE

S.No.	District	Name of the Officer & Designation
(1)	(2)	(3)
"2.	Bhopal	Smt. Sonam Verma, XX th Civil Judge-1, Bhopal.

फा. क्र. 4781-इक्कीस-ब (दो)- राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर के आदेश क्र. 1172-गोपनीय-2020-II. 2-9-97, दिनांक 07 दिसम्बर 2020 द्वारा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को निम्नानुसार प्रतिनियुक्ति के आधार पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक पदस्थ किये जाने संबंधी आदेश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

क्र.	नाम	कहां से	कहां को	पदस्थापना के संदर्भ में टिप्पणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	श्री विवेक शर्मा, षष्ठम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर.	सागर	सागर	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सागर की हैसियत से श्रीमती विधि सक्सेना के स्थान पर.
2.	श्री हरिओम अतलसिया, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा	खण्डवा	खण्डवा	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा की हैसियत से श्री भूरेलाल प्रजापति के स्थान पर.
3.	श्रीमती नीलम मिश्रा, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन.	रायसेन	रायसेन	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायसेन की हैसियत से श्री भूपेन्द्र कुमार सिंह के स्थान पर.
4.	श्रीमती सैयदा विनीता, द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार.	धार	धार	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार की हैसियत से श्री राजाराम बडौदिया के स्थान पर.
5.	श्री प्रदीप कुशवाह, सप्तम् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सतना.	सतना	सतना	सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सतना की हैसियत से श्री देवेन्द्र प्रसाद मिश्रा के स्थान पर.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2020

फा. क्र. 4821-इक्कीस-ब (दो)-2020.- राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री अरविंद प्रताप सिंह चौहान, I ADJ, Mungaoli, District Ashoknagar, को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थ अधिकरण, भोपाल के पद पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है

फा. क्र. 4825-इक्कीस-ब (दो)-2020.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारी श्रीमती यतेश शिशोदिया, रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश माध्यस्थ अधिकरण, भोपाल की सेवाएं प्रतिनियुक्ति से वापस लेकर एतद्वारा मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय, जबलपुर को सौंपता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

फा. क्र. 4768, 4688-21-ब (दो)-2020.- राज्य शासन, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल मध्यप्रदेश के रिट एवं सिविल प्रकरणों की पैरवी हेतु श्री यश शर्मा, अधिवक्ता ग्वालियर को रुपये 55,000/- (पचपन हजार) प्रतिमाह पारिश्रमिक एवं अनुषांगिक व्ययों पर एक वर्ष की कालावधि के लिए विशेष शासकीय अधिवक्ता नियुक्त करता है, वे आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल एवं ग्वालियर इकाई के प्रकरणों तथा इकाई के विरुद्ध भी उपस्थित नहीं होंगे. श्री यश शर्मा के प्रत्येक माह के बिल का भुगतान आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, भोपाल, मध्यप्रदेश करेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रशांत कुमार, अतिरिक्त सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 नवम्बर 2020

क्र. एफ 6-75-2019-सात-शा. 3.- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश, 2020 की कंडिका 111 की उपकंडिका (2) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग को 'भूमि प्रबंधन प्राधिकारी' अधिसूचित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुजीबुर्रहमान खान, उपसचिव.

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 50-5-2020-बीस-3.- माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 का अध्याय दूसरा, की धारा-4 की विभिन्न उपधाराओं के अन्तर्गत राज्य शासन, एतद्वारा, माध्यमिक शिक्षा मण्डल में निम्नलिखित व्यक्तियों को 03 वर्ष के लिये सदस्य नामांकित किया जाता है :-

क्र. (1)	श्रेणी (2)	नामांकित व्यक्ति का विवरण (3)
1.	मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त संस्थाओं के तीन प्राचार्य	(1) श्री अरुण शुक्ला, प्राचार्य, अशासकीय लोकमान्य तिलक उ.मा. विद्यालय, नीलगंगा उज्जैन, जिला-उज्जैन, म.प्र. (2) श्री संजय उपाध्याय, प्राचार्य, अशासकीय सरस्वती विद्या मंदिर उ.मा. विद्यालय, हरदा, जिला-हरदा, म.प्र. (3) श्रीमती प्रभा मिश्रा, प्राचार्य, शासकीय म.ल.कन्या उ.मा. विद्यालय नेपियर टाउन जबलपुर, जिला-जबलपुर, म.प्र.

- | (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--|
| 2. | मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त विद्यालयों के 06 अध्यापक | (1) श्री प्रवीण पाराशर, व्याख्याता, अशासकीय स.वि.मं.उ.मा. विद्यालय, आगर मालवा, जिला-आगरमालवा, म.प्र.
(2) श्री मनोज सर्राफ, सहायक प्राध्यापक, शास. जिला प्रशिक्षण संस्थान खण्डवा, जिला-खण्डवा, म.प्र.
(3) श्री विवेक वर्मा, व्याख्याता, शास. बालक उ.मा. विद्यालय क्र.-2 मुरैना, जिला- मुरैना, म.प्र.
(4) श्री चन्द्रशेखर गढवाल, व्याख्याता, शास. बालक उ.मा. विद्यालय बनखेड़ी, जिला- होशंगाबाद, म.प्र.
(5) डॉ. राकेश कुशवाह, व्याख्याता, अशा. स.शि.मं.उ.मा.विद्यालय रांझी, बड़ा पत्थर जबलपुर, जिला- जबलपुर, म.प्र.
(6) श्रीमती धुरपता मर्सकोले, व्याख्याता, शास. क.उ.मा. विद्यालय खैरलांजी, जिला- बालाघाट, म.प्र. |
| 3. | स्थानीय निकायों को सम्मिलित करते हुए प्रबंध का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति जो मण्डल द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था चलाते हों. | (1) श्री श्रीनिवास राव, प्रबंध समिति, अध्यक्ष, श्री वेकेंटेश्वर शिक्षा समिति, जिला जबलपुर, म.प्र.
(2) श्री शिरोमणि दुबे, प्रबंध समिति सचिव, दलवी कॉलोनी, अल्फा स्कूल के पास, गुना, जिला गुना, म.प्र.
(3) श्री नीरज खरे, प्रबंध समिति सचिव, अशा.स.शि.मं. जेल रोड रीवा, जिला-रीवा, म.प्र. |
| 4. | मान. विधायक | (1) श्री विक्रम सिंह, मान. विधायक, रामपुर बघेलान, जिला-सतना, म.प्र.
(2) श्री राम दांगोरे, मान. विधायक, पन्धाना, जिला-खण्डवा, म.प्र.
(3) श्री उमाकांत शर्मा, मान. विधायक, सिरोंज, जिला-विदिशा, म.प्र.
(4) श्री विष्णु खत्री, मान.विधायक, बैरसिया, जिला-भोपाल, म.प्र.
(5) श्रीमती मनीषा सिंह, मान. विधायक, जैतपुर, जिला-शहडोल, म.प्र. |
| 5. | अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं या प्रशिक्षण महाविद्यालय का प्राचार्य | (1) श्रीमती निशा महाराणा, प्राचार्य, अशास. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय संजीत मार्ग मंदसौर, जिला-मंदसौर, म.प्र. |
| 6. | ऐसे हित का प्रतिनिधित्व जो अन्यत्र नहीं है. | (1) श्री सत्यानारायण लोवंशी, सामाजिक कार्यकर्ता, जिला खण्डवा, म.प्र.
(2) डॉ. रामकुमार भावसार, सामाजिक कार्यकर्ता, 1806, हर्षवर्धन नगर, भोपाल, जिला-भोपाल, म.प्र. |
| 2. | उपरोक्त के संबंध में माध्यमिक शिक्षा मण्डल स्तर से नियमानुसार निर्देश जारी किया जाय. | |

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रमोद सिंह, उपसचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 9-2-2006-अठावन.- राज्य शासन, एतददारा, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम तथा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन 74 (A) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-02-2019-एक-9, दिनांक 24 नवम्बर 2020 के अनुक्रम में माननीय श्री भारत सिंह कुशवाह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बबीता वसुनिया, अवर सचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 10-62-2016-तैंतीस.- राज्य शासन एतद्वारा विभागीय भूमि आवंटन नीति 2008 के अंतर्गत भूमि प्राप्त करने वाले निवेशकों को प्राप्त भूमि पर बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति की सुविधा उसी प्रकार दी जावे जैसा कि विभागीय भूमि आवंटन नीति, 2014 में प्रावधानित है. तदनुसार यथोचित संशोधन उन्हें प्रदत्त आवंटन आदेश/पट्टे में किया जाता है.

उक्त आदेश पर्यटन मामलों की मंत्रि-परिषद् समिति (पर्यटन कैबिनेट) आदेश आयटम क्रमांक 01, दिनांक 26 नवम्बर 2020 के संदर्भ में जारी किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सोनिया मीना, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 03-62-2019-अठारह-5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपाठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक-7145-वि.यो.-नग्रानि-2019 भोपाल दिनांक 30 नवम्बर 2019 जो राजपत्र दिनांक 13 दिसम्बर 2019 द्वारा प्रकाशित ग्वालियर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार ग्वालियर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2021 में उपांतरण नीचे दी गई सूची के अनुसार मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :-

1. आयुक्त, ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर
2. कलेक्टर, ग्वालियर, जिला ग्वालियर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय ग्वालियर मध्यप्रदेश
4. आयुक्त, नगरपालिक निगम ग्वालियर

प्रस्तावित उपांतरणों का विवरण

1 अध्याय-5

5.3.14- नवीन प्रस्तावित आवासीय भूमि उपयोग में आवासीय कॉलोनियों की विकास अनुमति हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अनुमोदन हेतु स्वीकार्य किये जावेंगे. आवासीय भू-खण्ड हेतु न्यूनतम क्षेत्र 2.0 हेक्टेयर, समूह आवासीय योजना हेतु 0.10 हेक्टेयर मान्य होगा. यह बंधन ऐसी भूमि हेतु लागू नहीं होगा जो चारों ओर से विकसित तथा निर्मित है.

उपरोक्त निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाती है :

1 अध्याय-5

5.3.14-विलोपित

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

क्र. 1 (अ.श.) स्था.-2020-2552.- सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 10-1-2015-एक-9 दिनांक 27 मार्च 2015 द्वारा विभागीय परीक्षा की पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर 01 जुलाई 2015 से विभागीय परीक्षा की नई व्यवस्था को प्रभावशील किये जाने के अनुक्रम में नव नियुक्त जिला आबकारी अधिकारियों के लिए दिनांक 20.01.2020 को आयोजित विभागीय परीक्षा के प्रश्न पत्र (1) आबकारी नियम एवं प्रक्रिया तथा (2) लेखा एवं कार्यालयीन प्रक्रिया में सम्मिलित निम्न परीक्षाओं को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :-

क्र. (1)	परीक्षार्थी का नाम (2)	पदनाम (3)
1	सुश्री मंदाकिनी दीक्षित	जिला आबकारी अधिकारी
2	सुश्री विभा मरकाम	जिला आबकारी अधिकारी
3	श्रीमती कीर्ति दुबे	जिला आबकारी अधिकारी
4	सुश्री निधि जैन	जिला आबकारी अधिकारी

राजीव चन्द्र दुबे, आबकारी आयुक्त.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 02-05-2011-सात-शा. 7.- मध्यप्रदेश साहूकार अधिनियम, 1934 (क्रमांक 13 सन् 1934) की धारा 2-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, अधिसूचित करती है कि किसी साहूकार द्वारा उधारों पर पन्द्रह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अधिक ब्याज प्रभारित नहीं किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2020

क्र. एफ 02-05-2011-सात-शा. 7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 02-05-2011-सात-शा. 7, दिनांक 18 दिसम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार मौर्य, उपसचिव.

Bhopal, the 18th December 2020

No.F.02-05-2011-VII-Sec.7.- In exercise of the powers conferred by section 2-B of the Madhya Pradesh Moneylenders Act, 1934 (No. 13 of 1934), the State Government, hereby, notifies, that the rate of interest on advances shall not be charged more than fifteen per centum per annum simple interest by any moneylender.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DINESH KUMAR MAURYA, Dy. Secy.

संचालनालय, किसान कल्याण तथा कृषि विकास, मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2020

क्र. -गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-मों रेवा-2020-21-569.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु मों रेवा शुगर प्रा० लि०, ग्राम-नर्मदानगर, तहसील-कुक्षी, जिला- धार (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी	रोपा	जड़ी	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	बोरलाय	25.00	6.79	3.59	0.80	11.18
2	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	धनोरा	26.00	0.49	1.43	0.95	2.87
3	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	पिपरी	25.00	0.96	0.00	0.00	0.96
4	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	पिपलुद	26.00	0.40	11.99	3.51	15.90
5	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	उटावद	27.00	0.36	0.00	0.00	0.36
6	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	संगावा	34.00	0.40	3.92	0.00	4.32
7	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	खेड़ी	7.00	0.25	0.00	0.00	0.25
8	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	बगुद	25.00	2.40	0.00	0.00	2.40
9	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	12.00	21.60	27.85	2.28	51.73
10	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	तलून	20.00	0.60	1.33	2.56	4.49
11	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	कालीबेड़ी	15.00	2.80	0.00	0.00	2.80
12	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	पिपलाज	19.00	4.00	0.00	0.00	4.00
13	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	कुंडिया	16.00	12.60	6.14	0.00	18.74
14	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	छोटी-कसरावद	9.00	19.64	1.60	0.00	21.24
15	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	कल्याणपुरा	14.00	2.80	1.60	0.00	4.40
16	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	एकलारा	14.00	6.40	3.38	0.00	9.78
17	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	पाल्या	22.00	2.40	0.00	0.00	2.40
18	बड़वानी	बड़वानी	बड़वानी	लोन्सरा	27.00	1.20	0.00	2.06	3.26
तहसीलवार योग :-						86.09	62.83	12.16	161.08
19	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	झोलपीपरी	29.00	1.20	0.00	0.00	1.20
20	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	अंजड़	26.00	6.20	4.93	0.00	11.13
21	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	मोहीपुरा	35.00	0.63	0.00	0.00	0.63

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी	रोपा	जड़ी	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	दतवाड़ा	33.00	44.84	55.65	18.77	119.26
23	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	गोलाटा	34.00	31.62	38.61	7.27	77.50
24	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	चकेरी	27.00	0.23	0.00	0.00	0.23
25	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	आवली	33.00	33.60	4.77	2.62	40.99
26	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	छोटा बड़दा	31.00	13.20	14.01	0.98	28.19
तहसीलवार योग :-						131.52	117.97	29.64	279.13
27	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	साली	30.00	0.85	0.00	0.00	0.85
28	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	बालकुआँ	22.00	0.31	0.00	0.00	0.31
29	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	भामी	28.00	0.49	0.00	0.00	0.49
30	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	सिलावद	36.00	0.00	2.56	0.00	2.56
तहसीलवार योग :-						1.65	2.56	0.00	4.21
31	धार	कुक्षी	कुक्षी	चिखल्दा	4.00	15.22	8.54	3.90	27.66
32	धार	कुक्षी	कुक्षी	गेहलगांव	5.00	4.00	2.58		6.58
33	धार	कुक्षी	कुक्षी	मलवाड़ा	6.00	14.00	31.01	34.22	79.93
34	धार	कुक्षी	कुक्षी	कड़माल	9.00	0.00	6.91	0.50	7.41
35	धार	कुक्षी	कुक्षी	खापड़खेड़ा	8.00	13.20	13.90	3.60	30.70
36	धार	कुक्षी	कुक्षी	बाजड़ीखेड़ा	9.00	0.00	3.20	6.00	9.20
37	धार	कुक्षी	कुक्षी	नर्मदानगर	2.00	23.10	41.31	25.62	90.03
38	धार	कुक्षी	कुक्षी	निसरपुर	15.00	6.00	1.11		7.11
39	धार	कुक्षी	कुक्षी	भवरिया	23.00	22.00	0.00	11.20	33.20
40	धार	कुक्षी	कुक्षी	पिपल्या	11.00	2.00	2.00	0.00	4.00
41	धार	कुक्षी	कुक्षी	बोधवाड़ा	7.00	8.00	7.14	2.94	18.08
42	धार	कुक्षी	कुक्षी	लिंगवा	6.00	1.40	0.00	1.07	2.47
43	धार	कुक्षी	कुक्षी	सुसारी	27.00	16.80	-	-	16.80
44	धार	कुक्षी	कुक्षी	करोदीयां	13.00	1.00	-	-	1.00
45	धार	कुक्षी	कुक्षी	बड़दा	41.00	0.00	4.46	0.00	4.46
46	धार	कुक्षी	कुक्षी	कटनेरा	18.00	0.00	0.00	0.00	2.00
47	धार	कुक्षी	कुक्षी	कापशी	38.00	8.00	0.00	0.00	8.00
48	धार	कुक्षी	कुक्षी	आली	40.00	1.30	0.00	0.00	1.30
49	धार	कुक्षी	कुक्षी	खंडवा	35.00	6.60	0.00	0.00	6.60
50	धार	कुक्षी	कुक्षी	दोलिया	40.00	1.60	0.89	0.80	3.29
51	धार	कुक्षी	कुक्षी	चंदनाखेड़ी	38.00	6.40	0.00	0.00	6.40
52	धार	कुक्षी	कुक्षी	अमलाल	40.00	0.00	0.80	0.00	0.80
तहसीलवार योग :-						150.62	123.85	89.85	367.02
53	धार	मनावर	मनावर	अजंदीमान	34.00	0.54	0.00	0.00	0.54
54	धार	मनावर	मनावर	सरिफपुरा	48.00	15.10	12.33	3.50	30.93
55	धार	मनावर	मनावर	अजंदा	46.00	6.20	9.80	3.00	19.00
56	धार	मनावर	मनावर	कवटी	17.00	2.60	1.60	0.00	4.20
57	धार	मनावर	मनावर	सेमल्दा	24.00	46.60	46.60	6.50	99.70
58	धार	मनावर	मनावर	अछोदा	23.00	74.20	81.80	45.41	201.41
59	धार	मनावर	मनावर	करौली	18.00	0.36	0.00	0.00	0.36
60	धार	मनावर	मनावर	एकलबारा	19.00	29.00	24.26	41.52	94.78

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी	रोपा	जड़ी	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	धार	मनावर	मनावर	पेरखड़	26.00	34.80	39.80	8.20	82.80
62	धार	मनावर	मनावर	साला	20.00	0.80	1.60	0.00	2.40
63	धार	मनावर	मनावर	गूलाटी	26.00	0.29	0.00	0.00	0.29
64	धार	मनावर	मनावर	देवगढ़	9.00	0.00	4.08	0.00	4.08
65	धार	मनावर	मनावर	साततलाई	12.00	0.00	3.40	0.00	3.40
66	धार	मनावर	मनावर	उरदना	35.00	4.40	8.00	0.00	12.40
67	धार	मनावर	मनावर	गणपुर	5.00	0.00	1.84	1.10	2.94
68	धार	मनावर	मनावर	जोतपुर	45.00	0.00	2.27	0.00	2.27
69	धार	मनावर	मनावर	पिपलाज	16.00	1.60	6.40	2.80	10.80
70	धार	मनावर	मनावर	सिरसाला	28.00	1.40	4.00	1.00	6.40
71	धार	मनावर	मनावर	डोगरगांव	18.00	0.00	0.00	3.20	3.20
72	धार	मनावर	मनावर	बड़गांवखेडी	24.00	0.00	3.14	0.00	3.14
73	धार	मनावर	मनावर	बालीपुर	33.00	0.13	0.00	0.00	0.13
74	धार	मनावर	मनावर	वायल	40.00	1.20	0.60	0.00	1.80
75	धार	मनावर	मनावर	सिरसी	8.00	1.20	0.00	0.00	1.20
76	धार	मनावर	मनावर	पिपरीमान	41.00	6.40	4.95	0.60	11.95
77	धार	मनावर	मनावर	गोपालपुरा	11.00	5.20	3.35	1.67	10.22
78	धार	मनावर	मनावर	पिपरी	24.00	4.40	0.00	0.00	4.40
79	धार	मनावर	मनावर	लुन्हैरा	36.00	1.60	3.10	0.00	4.70
80	धार	मनावर	मनावर	कलवानी	34.00	0.00	0.00	2.70	2.70
81	धार	मनावर	मनावर	मनावर	32.00	0.00	0.80	0.00	0.80
82	धार	मनावर	मनावर	खेडीहवेली	37.00	0.25	0.00	0.00	0.25
83	धार	मनावर	मनावर	बागलिया	28.00	5.20	4.10	2.70	12.00
84	धार	मनावर	मनावर	देवलरा	35.00	4.20	0.00	0.00	4.20
तहसीलवार योग :-						247.67	267.82	123.90	639.39
85	धार	मनावर	उमरबन	रतवा	38.00	10.20	8.65	5.60	24.45
86	धार	मनावर	उमरबन	कुवाली	43.00	2.80	4.80	0.00	7.60
87	धार	मनावर	उमरबन	जलखेडा	38.00	4.40	0.00	0.00	4.40
88	धार	मनावर	उमरबन	बाकानेर	39.00	0.31	0.00	0.00	0.31
89	धार	मनावर	उमरबन	मलनगांव	51.00	25.70	33.85	25.60	85.15
90	धार	मनावर	उमरबन	मिर्जापुर	46.00	3.80	0.00	0.00	3.80
91	धार	मनावर	उमरबन	बड़ा-बडदा	42.00	64.20	66.96	7.20	138.36
92	धार	मनावर	उमरबन	पटवार	47.00	9.20	6.80	0.00	16.00
तहसीलवार योग :-						120.61	121.06	38.40	280.07
93	धार	गंधवानी	गंधवानी	पानवा	36.00	1.20	3.20	0.00	4.40
94	धार	गंधवानी	गंधवानी	पीपली	24.00	4.40	0.00	0.00	4.40
95	धार	गंधवानी	गंधवानी	गंधवानी	32.00	5.40	3.55	0.00	8.95
96	धार	गंधवानी	गंधवानी	बापदूत	35.00	0.60	0.00	1.40	2.00
तहसीलवार योग :-						11.60	6.75	1.40	19.75
महायोग :-						749.76	702.84	295.35	1750.65

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र. —गन्ना—एस—3—क्षे.आर.—जवाहरलाल—2020—21—571.— मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस प्रोसेसिंग सोसायटी लि0, शक्कर कारखाना यूनिट, सरवरदेवला, तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन (म. प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)			
						रोपा	जड़ी	तडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कठोरा	17.00	21.56	8.86	8.86	39.28
2	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पथोरा	22.00	5.29	0.00	1.52	6.81
3	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बलगांव	19.00	20.82	25.32	8.45	54.60
4	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बलखड	16.00	2.32	0.00	0.00	2.32
5	खरगोन	कसरावद	कसरावद	अहिर धामनोद	16.00	0.00	1.37	0.00	1.37
6	खरगोन	कसरावद	कसरावद	अकबरपुरा	19.00	2.30	2.88	0.00	5.18
7	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पानवा	21.00	1.99	0.00	3.24	5.23
8	खरगोन	कसरावद	कसरावद	डाबरी	42.00	2.43	0.00	0.00	2.43
9	खरगोन	कसरावद	कसरावद	अमलाथा	27.00	62.85	41.48	29.06	133.40
10	खरगोन	कसरावद	कसरावद	साटकुर	20.00	2.49	0.00	0.00	2.49
11	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बालसमुद	18.00	0.87	0.58	0.00	1.45
12	खरगोन	कसरावद	कसरावद	ढालखेडा	20.00	8.51	2.45	0.00	10.96
13	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बडगांव	17.00	42.25	33.67	17.97	93.89
14	खरगोन	कसरावद	कसरावद	माकडखेडा	17.00	48.45	52.92	31.79	133.16
15	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भीलगांव	14.00	0.98	0.00	0.00	0.98
16	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बोथू	20.00	35.59	37.28	7.65	80.52
17	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कसरावद	12.00	3.73	0.00	0.00	3.73
18	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सायता	15.00	9.25	8.35	0.00	17.60
19	खरगोन	कसरावद	कसरावद	डोंगरगांव	14.00	0.26	0.00	0.00	0.26
20	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मोगावा	16.00	26.26	28.37	9.89	64.52

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी	गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)			
						रोपा	जड़ी	तडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	खरगोन	कसरावद	कसरावद	ब्राम्हणगांव	16.00	11.42	9.07	9.37	29.86
22	खरगोन	कसरावद	कसरावद	दोगावा	6.00	1.28	0.00	1.36	2.64
23	खरगोन	कसरावद	कसरावद	छोटी कसरावद	8.00	3.67	0.77	0.00	4.44
24	खरगोन	कसरावद	कसरावद	गवला	16.00	0.00	0.00	3.86	3.86
25	खरगोन	कसरावद	कसरावद	जालनपुरा	20.00	15.43	19.59	11.96	46.98
26	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बामंदा	14.00	4.10	0.00	0.75	4.85
27	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बामंदी	14.00	1.33	0.00	0.00	1.33
28	खरगोन	कसरावद	कसरावद	खलसाटक	25.00	0.00	0.00	1.36	1.36
29	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सरवरदेवला	2.00	32.08	12.18	1.63	45.89
30	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मिर्जापुर	5.00	3.31	0.00	0.00	3.31
31	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बहादुरपुरा	1.00	0.00	0.71	0.00	0.71
32	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पिपलई	2.00	8.16	1.43	0.00	9.59
33	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बोरावा	4.00	7.20	3.80	0.00	11.00
34	खरगोन	कसरावद	कसरावद	अहिल्यापुरा	5.00	0.00	0.94	0.00	0.94
35	खरगोन	कसरावद	कसरावद	गोपालपुरा	6.00	7.06	1.31	1.96	10.33
36	खरगोन	कसरावद	कसरावद	चंदनपुरी	18.00	10.87	6.10	1.69	18.66
37	खरगोन	कसरावद	कसरावद	उटावद	7.00	25.96	1.62	0.00	27.58
38	खरगोन	कसरावद	कसरावद	उमरिया	7.00	0.00	0.57	0.00	0.57
39	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सोनखेडी	15.00	1.65	0.00	0.00	1.65
40	खरगोन	कसरावद	कसरावद	रामपुरा	19.00	0.55	0.00	0.00	0.55
41	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भुलगांव	19.00	9.45	3.58	0.00	13.03
42	खरगोन	कसरावद	कसरावद	बामखल	16.00	0.65	0.00	0.00	0.65
43	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सीपटान	22.00	0.00	2.22	0.00	2.22
44	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भनगावं	6.00	12.43	1.63	0.76	14.82
45	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कवडी	9.00	1.32	0.80	2.28	4.40
46	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मुलठान	15.00	7.80	3.63	0.00	11.43
47	खरगोन	कसरावद	कसरावद	डेडगांव	9.00	2.45	0.00	0.00	2.45
48	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सांगवी (खामखेडा)	18.00	3.60	0.00	0.00	3.60
49	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पाडल्या	45.00	1.42	0.00	0.00	1.42
50	खरगोन	कसरावद	कसरावद	नानकुण्ड	19.00	1.89	0.00	0.00	1.89
51	खरगोन	कसरावद	कसरावद	दोमवाडा	18.00	0.90	0.00	0.00	0.90
52	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भरन्या	22.00	0.81	0.00	0.00	0.81
53	खरगोन	कसरावद	कसरावद	ढाबा	20.00	0.65	0.00	0.00	0.65
54	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सामेडा	15.00	7.25	4.88	1.43	13.56
55	खरगोन	कसरावद	कसरावद	टिगरियाव	18.00	1.58	0.00	0.00	1.58
56	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पिपलगोन	20.00	6.62	0.00	0.00	6.62
57	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मलगांव	30.00	0.77	2.99	0.00	3.76
58	खरगोन	कसरावद	कसरावद	तेलियाव	28.00	0.00	0.76	0.29	1.05
59	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कोगावा	13.00	6.85	4.83	0.76	12.44

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)			
						रोपा	जड़ी	तडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	खरगोन	कसरावद	कसरावद	नहारखेडी	27.00	3.33	5.06	2.13	10.52
61	खरगोन	कसरावद	कसरावद	ससाबड	30.00	2.56	1.30	0.00	3.86
तहसीलवार योग						504.63	333.29	160.02	997.94
62	खरगोन	खरगोन	खरगोन	डेहरी	55.00	34.37	33.64	0.00	68.00
63	खरगोन	खरगोन	खरगोन	खरगोन	30.00	1.92	3.38	0.00	5.30
64	खरगोन	खरगोन	खरगोन	डोगरगांव (लोनारा)	57.00	0.00	0.00	0.89	0.89
65	खरगोन	खरगोन	खरगोन	मांगरूल	39.00	11.29	10.13	0.00	21.41
66	खरगोन	खरगोन	खरगोन	खेडी	47.00	4.59	0.00	0.00	4.59
67	खरगोन	खरगोन	खरगोन	भाडली	34.00	2.85	3.15	0.00	6.00
68	खरगोन	खरगोन	खरगोन	कोलोबिया	53.00	1.41	0.00	0.00	1.41
69	खरगोन	खरगोन	गोगावा	उमरखली	47.00	2.56	0.00	0.00	2.56
तहसीलवार योग						58.98	50.29	0.89	110.17
70	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बेजापुर	30.00	14.25	10.87	3.29	28.41
71	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बिलखेड बुजुर्ग	28.00	1.05	0.00	0.00	1.05
72	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बोरगांव	25.00	2.74	0.00	0.00	2.74
73	खरगोन	गोगावा	गोगावा	सिवार मोहम्मदपुर	31.00	6.87	0.00	0.00	6.87
74	खरगोन	गोगावा	गोगावा	गोगावा	26.00	10.45	3.92	1.80	16.17
75	खरगोन	गोगावा	गोगावा	दयालपुरा	30.00	0.00	0.99	1.01	2.00
76	खरगोन	गोगावा	गोगावा	सुरपाला	30.00	4.25	0.00	0.00	4.25
77	खरगोन	गोगावा	गोगावा	खारदा	32.00	0.00	0.00	1.02	1.02
78	खरगोन	गोगावा	गोगावा	ठिबगांव	36.00	1.62	0.00	3.02	4.64
79	खरगोन	गोगावा	गोगावा	जामन्या	39.00	1.09	0.00	0.00	1.09
80	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बेहरामपुर टेमा	45.00	5.47	0.00	0.00	5.47
81	खरगोन	गोगावा	गोगावा	बिलाली	39.00	0.00	0.00	1.17	1.17
तहसीलवार योग						47.79	15.78	11.32	74.89
82	खरगोन	सेगाव	सेगाव	दसनावल	55.00	1.19	0.00	0.00	1.19
तहसीलवार योग						1.19	0.00	0.00	1.19
83	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	सगुर भगुर	50.00	14.18	9.85	2.44	26.47
84	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	पिपरी	35.00	6.18	3.38	0.00	9.56
85	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	कोयडा सूर्वा	70.00	0.00	2.71	0.00	2.71
86	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	मोहनदड	70.00	0.00	0.00	1.53	1.53
87	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	शकरखेडी	68.00	1.66	1.40	0.00	3.06
88	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	बमनाला	60.00	5.94	10.65	4.72	21.32
89	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	पोई	65.00	4.25	0.00	0.00	4.25
90	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	दोदवाडा	65.00	5.58	2.20	0.68	8.46
91	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	बडिया	24.00	0.00	0.35	0.48	0.83
92	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	बिटनेरा	22.00	1.37	2.88	0.00	4.25
93	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	रेहगांव	35.00	0.00	0.47	0.00	0.47

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)			
						रोपा	जड़ी	तडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	सिरलाय	37.00	2.47	0.00	0.00	2.47
95	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	बलखडिया	38.00	0.65	0.00	0.00	0.65
96	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	बिलखेड खुर्द	30.00	0.00	5.22	0.00	5.22
97	खरगोन	भीकनगांव	भीकनगांव	खुडगांव	40.00	0.00	1.10	1.68	2.78
तहसीलवार योग						42.29	40.21	11.53	94.04
98	खरगोन	झिरन्या	झिरन्या	गोराडिया	70.00	7.18	0.34	0.77	8.29
99	खरगोन	झिरन्या	झिरन्या	नेमित	74.00	0.00	0.93	0.00	0.93
100	खरगोन	झिरन्या	झिरन्या	इगरिया	74.00	1.38	0.00	0.00	1.38
तहसीलवार योग						8.56	1.27	0.77	10.60
101	खरगोन	भगवानपुरा	भगवानपुरा	बाडी	69.00	0.00	2.02	0.00	2.02
तहसीलवार योग						0.00	2.02	0.00	2.02
102	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	बडवी	30.00	7.16	4.61	4.42	16.19
103	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	खराडी	30.00	6.88	11.17	0.00	18.05
104	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	जलकोटा	31.00	21.09	6.94	2.07	30.10
105	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	ईटावदी	30.00	0.00	1.02	0.00	1.02
106	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मातमूर	31.00	10.52	5.80	0.00	16.32
107	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	माचंदा	29.00	8.87	7.38	0.00	16.25
108	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मोला	31.00	9.45	5.52	0.00	14.97
109	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	महेश्वर	28.00	8.47	14.84	0.00	23.31
110	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	सुल्याखेडी	38.00	4.25	2.06	0.00	6.31
111	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मोहना	42.00	6.91	6.70	4.16	17.78
112	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	सागी	32.00	3.21	0.00	0.00	3.21
113	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	उरवाय	45.00	9.27	1.16	0.00	10.43
114	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	केरियाखेडी	36.00	0.00	5.17	0.76	5.93
115	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मिर्जापुर	43.00	0.00	5.53	0.00	5.53
116	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	काकरिया महेश्वर	45.00	0.00	1.48	0.00	1.48
117	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	समसपुरा	32.00	10.23	0.00	0.00	10.23
118	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	लाडवी	24.00	3.27	2.77	0.68	6.71
119	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मण्डलेश्वर	20.00	19.34	5.42	7.88	32.64
120	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	जलूद	23.00	2.24	3.96	0.00	6.20
121	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	ठनगांव	25.00	0.00	1.45	0.00	1.45
122	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	समराज	26.00	9.32	2.19	0.00	11.51
123	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	करोदिया	26.00	3.57	13.19	1.39	18.15
124	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	छोटी खरगोन	23.00	9.49	2.72	0.00	12.21
125	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	चोली	28.00	0.00	0.00	0.95	0.95
126	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	धरगांव	26.00	2.36	2.17	0.00	4.53
127	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	सुलगांव	31.00	44.27	18.66	1.14	64.07
128	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	गोगावा(मण्डलेश्वर)	31.00	18.46	6.19	3.53	28.17

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी	गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)			
						रोपा	जड़ी	तडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	चुंदडिया	34.00	2.86	0.46	0.00	3.32
130	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	नान्द्रा	28.00	0.00	0.81	0.00	0.81
131	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	डोजर	30.00	9.39	3.47	2.26	15.12
132	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	डीगार	38.00	23.01	10.63	5.41	39.05
133	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	चैगावां	33.00	7.70	5.09	0.00	12.79
134	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	रामदढ	31.00	4.26	0.95	2.64	7.85
135	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	खारिया	31.00	1.69	5.36	0.00	7.05
136	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मोरीपुरा	28.00	0.00	0.00	0.98	0.98
137	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	हरसगांव	30.00	12.46	3.53	0.00	15.99
138	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	देव पिपल्या	32.00	15.33	1.93	0.00	17.26
139	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	पथराड	32.00	5.85	3.06	0.00	8.91
140	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	सोमाखेडी	32.00	3.62	0.00	0.00	3.62
141	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	बंडेरा	36.00	0.00	0.00	0.41	0.41
142	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	कतरगांव	32.00	2.74	0.00	0.00	2.74
143	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	करही	40.00	1.75	0.00	0.00	1.75
144	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	भूदरी	43.00	2.08	6.29	0.00	8.37
145	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	गंगातखेडी	43.00	12.44	0.00	0.00	12.44
146	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	वेरफड	40.00	0.42	2.19	0.00	2.61
147	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	बरलाय (पिपल्या)	41.00	0.18	0.00	0.00	0.18
148	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	बडदिया	40.00	0.93	0.00	0.00	0.93
149	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	मन्दौरी	36.00	1.71	0.00	0.00	1.71
150	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	झिरन्या	37.00	3.16	0.00	0.00	3.16
151	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	कोगावां	36.00	7.37	0.00	0.00	7.37
152	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	कोदलाखेडी	38.00	10.92	0.00	0.00	10.92
153	खरगोन	महेश्वर	महेश्वर	पिपल्या बुर्जुग	38.00	2.69	0.00	0.00	2.69
तहसीलवार योग						351.21	181.87	38.69	571.77
154	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	बफलगांव	60.00	1.21	0.00	0.00	1.21
155	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	अमलाथा	60.00	0.00	0.00	0.70	0.70
156	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	मुरल्ला	65.00	8.61	0.85	0.00	9.46
157	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	बावडी खेडा	63.00	3.57	0.00	0.00	3.57
158	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	अस्तुरिया	58.00	9.90	12.71	7.27	29.88
159	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	सिरलाय	62.00	9.26	5.02	0.00	14.28
160	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	रामगढ (बड़वाह)	84.00	0.00	1.61	0.00	1.61
161	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	बड़वाह	62.00	19.68	0.00	0.00	19.68
162	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	सेमरला	67.00	3.27	0.00	0.00	3.27
163	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	भोराई	44.00	0.68	0.00	0.00	0.68
164	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	खोडी	68.00	1.49	0.00	0.00	1.49
165	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	नाया	65.00	1.01	0.00	0.00	1.01

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी	गन्ना क्षेत्र (हेक्टर)			
						रोपा	जड़ी	तडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
166	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	कटघडा	65.00	0.00	0.77	2.89	3.66
167	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	रतनपुरा	62.00	8.65	0.00	0.00	8.65
168	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	किटुद	56.00	4.52	0.00	0.00	4.52
169	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	सुलगांव (बड़वाह)	52.00	1.02	0.00	0.00	1.02
170	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	जामन्या	73.00	1.33	0.00	0.00	1.33
171	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	उमरिया (बड़वाह)	72.00	1.57	0.00	0.00	1.57
172	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	पिडाय	70.00	0.00	0.48	0.00	0.48
173	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	बेलम	61.00	1.19	3.21	0.00	4.40
174	खरगोन	बड़वाह	बड़वाह	पिपलूद (जेठवाय)	55.00	0.81	0.00	0.00	0.81
तहसीलवार योग						77.77	24.65	10.87	113.29
175	खरगोन	सनावद	बड़वाह	कानापुर	30.00	2.04	4.14	0.00	6.18
176	खरगोन	सनावद	बड़वाह	मर्दाना	35.00	14.95	4.91	0.84	20.70
177	खरगोन	सनावद	बड़वाह	नगावा	39.00	9.51	5.33	0.86	15.70
178	खरगोन	सनावद	बड़वाह	लौंदी	26.00	8.91	6.80	0.00	15.71
179	खरगोन	सनावद	बड़वाह	कातौरा	33.00	1.83	0.00	0.00	1.83
180	खरगोन	सनावद	बड़वाह	बेडिया	43.00	0.51	0.00	0.00	0.51
181	खरगोन	सनावद	बड़वाह	राहतकोड	57.00	0.00	1.28	0.00	1.28
182	खरगोन	सनावद	बड़वाह	बड़ूद	54.00	5.51	0.00	0.00	5.51
183	खरगोन	सनावद	बड़वाह	पीतनगर	63.00	11.72	9.08	2.26	23.06
184	खरगोन	सनावद	बड़वाह	चितावद	47.00	2.86	0.00	0.00	2.86
185	खरगोन	सनावद	बड़वाह	देलवाडा	52.00	2.13	2.26	0.00	4.39
186	खरगोन	सनावद	बड़वाह	बासवा	64.00	1.21	2.01	0.00	3.22
187	खरगोन	सनावद	बड़वाह	खनगांवखेडी	62.00	5.12	2.30	0.00	7.42
188	खरगोन	सनावद	बड़वाह	सनावद	58.00	6.23	1.59	0.77	8.60
189	खरगोन	सनावद	बड़वाह	जूनापानी (सनावद)	62.00	0.00	1.77	0.00	1.77
190	खरगोन	सनावद	बड़वाह	भोगावां (इनपुन)	63.00	2.49	0.00	0.00	2.49
191	खरगोन	सनावद	बड़वाह	खगवाडा	68.00	1.58	0.00	0.00	1.58
तहसीलवार योग						76.61	41.48	4.73	122.81
192	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	रिच्छफल	90.00	3.97	4.96	0.00	8.93
193	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	जूनापानी	90.00	2.49	7.04	0.00	9.53
194	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	धावडिया	65.00	8.27	0.00	0.00	8.27
195	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	कालिया खेडी	90.00	6.31	0.00	0.00	6.31
196	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	निमारखेडी	70.00	8.26	0.00	0.00	8.26
197	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	गुंजली	66.00	2.59	0.00	0.00	2.59
198	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	खुटला	90.00	4.21	0.00	0.00	4.21
199	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	टेमाचा	81.00	1.79	0.00	0.00	1.79
200	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	लौंदी (गुंजली)	70.00	2.78	0.00	0.00	2.78

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी	गन्ना क्षेत्र (हेक्टयर)			
						रोपा	जड़ी	तडी	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	डुडगांव (मोहना)	89.00	0.49	0.00	0.00	0.49
202	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	कामनखेडा	78.00	2.06	3.21	2.68	7.95
203	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	गुजरखेडी	89.00	0.86	1.59	0.00	2.45
204	खण्डवा	पुनासा	पुनासा	लाल्याखेडी	78.00	0.00	3.67	0.00	3.67
तहसीलवार योग						44.09	20.47	2.68	67.24
205	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	खलघाट	29.00	6.07	10.12	1.21	17.41
206	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	सुन्देल	39.00	26.15	30.51	0.81	57.47
207	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	बगडीपूरा	37.00	26.28	42.06	5.96	74.30
208	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	हतनावर	42.00	22.69	14.75	6.58	44.02
209	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	बगाडी	43.00	8.45	16.05	3.13	27.63
210	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	पेडवी	42.00	4.24	7.91	1.80	13.95
211	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	खुजावा	39.00	0.00	0.84	0.00	0.84
212	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	पिपल्दागढी	33.00	23.29	16.75	12.19	52.23
213	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	निमोला	34.00	20.09	8.00	6.72	34.81
214	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	साला	30.00	0.83	1.46	0.00	2.29
215	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	लुन्हेरा	31.00	7.14	5.60	1.65	14.38
216	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	भोगावा	36.00	6.13	5.29	0.00	11.42
217	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	धेगदा	46.00	4.47	4.50	0.55	9.52
218	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	देगावां	42.00	1.78	2.77	2.64	7.19
219	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	डहीवर	32.00	0.24	0.00	0.00	0.24
तहसीलवार योग						157.84	166.61	43.25	367.70
220	धार	मनावार	उमरबन	राजपुरा	60.00	1.62	16.28	1.21	19.12
221	धार	मनावार	उमरबन	बडदा	76.00	37.25	41.70	5.67	84.62
तहसीलवार योग						38.87	57.98	6.88	103.73
महायोग						1409.82	935.94	291.63	2637.39

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र. -गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-डोलेक्स-2020-21-573.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु डोलेक्स एगोटेक प्रा.लि., ग्राम-एरई, तहसील-बड़ौनी, जिला-दतिया (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल हे.			
						रोपा	जड़ी	तिरी	कुल रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	दतिया	बड़ौनी	दतिया	कलोथरा	6.00	46.62	33.47	14.34	94.43
2	दतिया	बड़ौनी	दतिया	रांव	7.00	97.75	148.58	63.68	310.01
3	दतिया	बड़ौनी	दतिया	घुघसी	5.00	145.66	159.47	56.03	361.16
4	दतिया	बड़ौनी	दतिया	हिडोरा	5.00	116.00	120.72	46.94	283.66
5	दतिया	बड़ौनी	दतिया	ऐरई	1.00	44.16	547.59	163.57	755.32
6	दतिया	बड़ौनी	दतिया	सिजोरा	6.00	76.75	150.02	64.30	291.07
7	दतिया	बड़ौनी	दतिया	खिरिया	5.00	33.66	29.93	12.83	76.41
8	दतिया	बड़ौनी	दतिया	कुरथरा	7.00	24.14	51.10	17.96	93.20
9	दतिया	बड़ौनी	दतिया	कमथरा	6.00	8.50	12.24	4.76	25.50
10	दतिया	बड़ौनी	दतिया	ज्यौहार	6.00	9.52	15.29	4.57	29.38
11	दतिया	बड़ौनी	दतिया	सतारी	8.00	1.02	4.76	2.04	7.82
12	दतिया	बड़ौनी	दतिया	पाली	6.00	13.60	9.76	4.18	27.54
13	दतिया	बड़ौनी	दतिया	भेरार	7.00	2.72	3.52	1.24	7.48
14	दतिया	बड़ौनी	दतिया	लमकना	7.00	18.37	33.31	12.95	64.63
15	दतिया	बड़ौनी	दतिया	पिरसुरा	2.00	0.85	2.18	0.65	3.68
16	दतिया	बड़ौनी	दतिया	भदूमरा	2.00	3.33	6.41	2.75	12.49
17	दतिया	बड़ौनी	दतिया	बिल्हारी	8.00	74.12	119.74	73.32	267.18
18	दतिया	बड़ौनी	दतिया	तोर सुनारी	7.00	4.33	3.08	1.07	8.48
19	दतिया	बड़ौनी	दतिया	सनाई	7.00	26.16	30.96	12.04	69.16
20	दतिया	बड़ौनी	दतिया	टका	7.00	0.34	1.31	0.56	2.21

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल हे.			
						रोपा	जड़ी	तिरी	कुल रकबा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	दतिया	बड़ोनी	दतिया	गागोरी	7.00	4.00	5.48	2.35	11.83
22	दतिया	बड़ोनी	दतिया	डबरई	8.00	0.34	1.51	0.53	2.38
23	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सरेटा	8.00	0.68	0.73	0.29	1.70
24	दतिया	बड़ोनी	दतिया	जनोरी	7.00	0.17	2.82	0.84	3.83
25	दतिया	बड़ोनी	दतिया	नेकोरा	7.00	1.53	4.64	1.99	8.16
26	दतिया	बड़ोनी	दतिया	भांसडाकला	5.00	1.19	1.90	0.82	3.91
27	दतिया	बड़ोनी	दतिया	भांसडाखुर्द	6.00	11.05	32.49	11.41	54.95
28	दतिया	बड़ोनी	दतिया	मडोर	6.00	0.85	2.82	1.09	4.76
29	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सहडोरा	7.00	0.85	3.14	0.94	4.93
30	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सुनाई	7.00	2.16	7.46	3.20	12.82
31	दतिया	बड़ोनी	दतिया	हिनोतिया	8.00	22.10	20.13	7.07	49.30
32	दतिया	बड़ोनी	दतिया	भिल्ला	7.00	26.18	17.20	6.69	50.07
33	दतिया	बड़ोनी	दतिया	किसनगढ़	8.00	0.85	1.57	0.47	2.89
34	दतिया	बड़ोनी	दतिया	डंगरा का कुआ	8.00	0.34	1.07	0.46	1.87
35	दतिया	बड़ोनी	दतिया	बड़ोनीखुर्द	5.00	2.04	5.36	2.30	9.70
36	दतिया	बड़ोनी	दतिया	चिरोल	7.00	4.33	6.96	2.70	13.99
37	दतिया	बड़ोनी	दतिया	वरगाय	5.00	11.81	6.68	1.99	20.48
38	दतिया	बड़ोनी	दतिया	रावरी	6.00	3.65	2.74	1.17	7.56
39	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सिनावल	4.00	0.17	1.76	0.62	2.55
40	दतिया	बड़ोनी	दतिया	जिगना	8.00	0.51	0.98	0.38	1.87
41	दतिया	बड़ोनी	दतिया	महेवा	7.00	1.02	1.67	0.71	3.40
42	दतिया	बड़ोनी	दतिया	बड़गोर	8.00	7.50	8.50	2.50	18.50
43	दतिया	बड़ोनी	दतिया	ओरीना	7.00	11.90	5.41	2.92	20.23
44	दतिया	बड़ोनी	दतिया	सुनारी	7.00	10.88	9.16	0.00	20.04
45	दतिया	बड़ोनी	दतिया	पपरेडू	8.00	58.50	26.33	14.18	99.00
46	दतिया	बड़ोनी	दतिया	डबरासानी	8.00	17.33	11.50	2.50	31.33
47	दतिया	बड़ोनी	दतिया	कल्याणपुर	7.00	23.16	11.70	6.10	40.96
48	दतिया	बड़ोनी	दतिया	दौनी	8.00	14.83	27.30	11.59	53.72
तहसीलवार योग :-						987.52	1712.44	647.58	3347.54
49	दतिया	दतिया	दतिया	गोराघाट	13.00	25.33	46.91	13.23	85.47
50	दतिया	दतिया	दतिया	बड़ोनकला	13.00	62.00	58.95	31.74	152.69
51	दतिया	दतिया	दतिया	महुआ	14.00	1.80	22.10	10.40	34.30
52	दतिया	दतिया	दतिया	मलकपहाडी	12.00	31.33	53.12	14.98	99.43
53	दतिया	दतिया	दतिया	सुनारी	12.00	62.10	49.73	26.78	138.60
54	दतिया	दतिया	दतिया	भरसूला	16.00	70.16	65.62	30.88	166.66
55	दतिया	दतिया	दतिया	तिलैथा	15.00	64.00	57.72	16.28	138.00

क्र.	जिला का नाम	तहसील	विकासखण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल हे.			
						रोपा	जड़ी	तिरी	कुल रकवा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
56	दतिया	दतिया	दतिया	बडेरा	14.00	31.66	48.17	25.94	105.76
57	दतिया	दतिया	दतिया	उपराये	10.00	46.00	65.59	30.87	142.46
58	दतिया	दतिया	दतिया	बनोली	11.00	22.32	32.01	9.03	63.36
59	दतिया	दतिया	दतिया	रेपुरा	7.00	65.17	45.06	24.27	134.50
60	दतिया	दतिया	दतिया	उचाइ	20.00	75.00	95.21	44.81	215.02
61	दतिया	दतिया	दतिया	कोटरा	12.00	22.50	22.62	6.38	51.50
62	दतिया	दतिया	दतिया	एश्याबरी	13.00	46.50	59.04	31.79	137.33
63	दतिया	दतिया	दतिया	जुझारपुर	14.00	38.83	69.60	32.76	141.19
64	दतिया	दतिया	दतिया	गुलियापुरा	11.00	9.50	27.42	7.74	44.66
65	दतिया	दतिया	दतिया	थैली	10.00	43.66	70.85	38.15	152.66
66	दतिया	दतिया	दतिया	खजूरी	15.00	52.50	57.57	27.09	137.16
67	दतिया	दतिया	दतिया	डोगरपुर	8.00	38.69	52.14	14.71	105.54
68	दतिया	दतिया	दतिया	सीतापुर	9.00	0.33	17.88	9.63	27.83
69	दतिया	दतिया	दतिया	गडी	7.00	36.72	48.72	11.93	97.37
70	दतिया	दतिया	दतिया	पहाडी	7.00	5.51	10.36	2.92	18.79
तहसीलवार योग :-						851.61	1076.39	462.28	2390.28
71	दतिया	इन्दरगढ़	सेंवड़ा	अन्दोरा	25.00	11.00	10.13	2.53	23.66
72	दतिया	इन्दरगढ़	सेंवड़ा	मेंधोरा	23.00	10.12	12.16	3.04	25.32
73	दतिया	इन्दरगढ़	सेंवड़ा	सिलोरी	21.00	82.38	272.11	146.52	501.01
74	दतिया	इन्दरगढ़	सेंवड़ा	खिरका	17.00	54.00	48.10	25.90	128.00
75	दतिया	इन्दरगढ़	सेंवड़ा	पचोखरा	17.00	73.83	78.65	42.35	194.83
76	दतिया	इन्दरगढ़	सेंवड़ा	भदोना	13.00	108.83	101.18	54.48	264.49
77	दतिया	इन्दरगढ़	सेंवड़ा	बेहरूखा	13.00	62.50	62.18	33.48	158.16
तहसीलवार योग :-						402.66	584.51	308.30	1295.47
महायोग :-						2241.79	3373.34	1418.16	7033.29

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र. -गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-ओलम-2020-21-575.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु ओलम एगो इण्डिया प्रा०लि० युनिट बड़वानी शुगर, तहसील-ठीकरी, जिला-बड़वानी (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल यहैण्ड			
						रोपा	जड़ी	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	कुआं	3.00	88.16	101.34	33.09	222.58
2	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	केरवा	3.00	11.38	5.42	-	16.80
3	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	कपाल्याखेड़ी	6.00	10.96	2.61	6.99	20.56
4	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	घटवा	1.00	23.52	20.96	14.77	59.25
5	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	अभाली	3.00	28.38	9.74	24.68	62.80
6	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	भगवानपुरा	2.00	27.06	13.06	30.68	70.80
7	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	जरवाह	7.00	35.42	34.60	33.75	103.76
8	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	उमरदा	2.00	27.75	16.04	15.34	59.12
9	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	हतोला	13.00	-	1.84	-	1.84
10	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	सेगवाल	4.00	50.82	38.30	33.12	122.23
11	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	ठीकरी	6.00	110.02	65.41	58.92	234.35
12	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	रणगांव	6.00	12.21	15.90	2.50	30.62
13	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	खुरमपुरा	15.00	1.08	-	3.76	4.83
14	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	बांदरकच्छ	16.00	1.26	-	3.87	5.13
15	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	ब्राम्हणगांव	10.00	42.69	24.41	9.59	76.69

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल यहेंड			
						रोपा	जड़ी	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	लखनगांव	13.00	3.72	-	2.93	6.65
17	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	अजंदी	12.00	16.62	7.35	10.19	34.15
18	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	देवला	9.00	21.74	11.52	11.18	44.45
19	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	धिचली (मारु)	13.00	4.13	5.67	5.11	14.91
20	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	चेनपुरा	20.00	4.98	3.95	13.35	22.28
21	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	गवला	13.00	2.15	1.36	-	3.52
22	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	ननगांव	13.00	9.25	6.82	3.98	20.04
23	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	दवाना	7.00	37.02	19.97	27.97	84.96
24	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	विश्वनाथखेड़ा	17.00	22.31	12.65	22.80	57.76
25	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	बलगांव	8.00	8.27	2.38	3.61	14.26
26	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	टिटगारिया	10.00	18.01	4.53	7.67	30.21
27	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	दाबड़	10.00	19.99	18.33	3.24	41.56
28	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	घट्टी	10.00	5.05	-	3.92	8.97
29	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	बघाड़ी	26.00	1.61	-	-	1.61
30	बड़वानी	ठीकरी	ठीकरी	अम्बापुरा	25.00	1.18	1.18	-	2.36
तहसीलवार योग						646.72	445.31	387.00	1,479.03
31	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	केसरपुरा	27.00	20.04	15.46	10.56	46.05
32	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	बिलवारोड़	24.00	4.21	-	-	4.21
33	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	बड़गांव	28.00	0.50	-	-	0.50
34	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	पलासिया	29.00	0.23	-	-	0.23
35	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	छापरी	27.00	0.18	-	-	0.18
36	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	सजवाई	30.00	0.10	-	-	0.10
37	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	सुराना	28.00	0.25	-	-	0.25
38	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	बावड़िया	19.00	3.48	-	-	3.48
39	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	किरमोही	23.00	20.93	12.88	4.88	38.68
40	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	मंडवाड़ा	23.00	3.44	1.50	-	4.94
41	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	पिपल्याडेब	19.00	3.81	-	-	3.81
42	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	लोहारा	22.00	29.31	15.47	7.19	51.96

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल यहेंद			
						रोपा	जड़ी	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	नलवाय	19.00	12.86	3.96	-	16.82
44	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	तलवाड़ाडेब	16.00	31.45	8.85	2.57	42.87
45	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	पान्या	25.00	6.33	7.35	-	13.67
46	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	रणगांवडेब	25.00	39.81	23.73	5.24	68.78
47	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	उचावद	23.00	11.83	6.86	-	18.69
48	बड़वानी	अंजड़	ठीकरी	मेहगांव डेब	16.00	10.06	4.18	1.30	15.53
तहसीलवार योग						198.80	100.22	31.73	330.75
49	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	सिनगुन	27.00	0.96	-	-	0.96
50	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	उपला	35.00	0.26	-	-	0.26
51	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	मंदिल	33.00	0.56	-	-	0.56
52	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	भागसुर	32.00	0.60	-	-	0.60
53	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	कासेल	34.00	0.42	-	-	0.42
54	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	मोरनी	34.00	0.36	-	-	0.36
55	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	सनगांव	31.00	6.08	1.01	1.03	8.11
56	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	रेलवा बुजुर्ग	31.00	2.59	1.33	-	3.92
57	बड़वानी	राजपुर	राजपुर	रेलवा खुर्द	30.00	-	0.99	-	0.99
तहसीलवार योग						11.82	3.33	1.03	16.18
58	बड़वानी	सैंधवा	सैंधवा	पिसनावल	55.00	4.53	1.07	-	5.61
59	बड़वानी	सैंधवा	सैंधवा	वरला	80.00	12.45	3.72	-	16.17
60	बड़वानी	सैंधवा	सैंधवा	छिंगली	68.00	-	1.87	-	1.87
61	बड़वानी	सैंधवा	सैंधवा	मेहडगांव	68.00	10.26	0.64	-	10.89
62	बड़वानी	सैंधवा	सैंधवा	सिलदर	73.00	1.15	-	-	1.15
तहसीलवार योग						28.39	7.29	-	35.69
63	खरगोन	कसरावद	कसरावद	निमरानी	12.00	9.96	7.28	6.84	24.08
64	खरगोन	कसरावद	कसरावद	जरोली	14.00	36.38	40.00	6.75	83.13
65	खरगोन	कसरावद	कसरावद	चिचली	18.00	68.55	58.16	46.35	173.07
66	खरगोन	कसरावद	कसरावद	भोईन्दा	18.00	117.56	90.51	65.31	273.38
67	खरगोन	कसरावद	कसरावद	खलटाका	18.00	34.45	17.91	3.59	55.95
68	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मलतार	23.00	3.26	2.89	-	6.15

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल यहण्ड			
						रोपा	जड़ी	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मालपुरा	15.00	0.36	-	-	0.36
70	खरगोन	कसरावद	कसरावद	सत्राटी	12.00	4.10	4.07	-	8.17
71	खरगोन	कसरावद	कसरावद	कठोरा	20.00	34.16	22.22	7.57	63.95
72	खरगोन	कसरावद	कसरावद	खलबुजुर्ग	18.00	-	0.68	2.28	2.96
73	खरगोन	कसरावद	कसरावद	मगरखेड़ी	12.00	3.61	-	2.40	6.01
74	खरगोन	कसरावद	कसरावद	खड़कवानी	17.00	1.69	-	-	1.69
75	खरगोन	कसरावद	कसरावद	पिपलझोपा	14.00	2.35	5.21	1.33	8.90
76	खरगोन	कसरावद	कसरावद	नायदड़	11.00	3.31	1.46	-	4.77
तहसीलवार योग						319.75	250.39	142.43	712.57
77	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	सुलगांव	36.00	14.54	12.75	6.35	33.64
78	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	खतड़गांव	39.00	15.80	11.93	12.08	39.80
79	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	धामनोद	26.00	6.40	20.51	2.66	29.57
80	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	मोरगढ़ी	22.00	8.50	7.11	2.63	18.23
81	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	धरमपुरी	30.00	6.42	6.84	3.70	16.97
82	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	पटलावद	30.00	-	-	2.81	2.81
83	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	बलवाड़ा	25.00	-	0.66	-	0.66
84	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	पगारा	35.00	8.02	-	3.84	11.86
85	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	फत्यापुर	35.00	2.56	3.31	1.68	7.55
86	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	गुलाटी	26.00	-	0.73	-	0.73
87	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	भाटपुरा	30.00	0.25	-	-	0.25
88	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	बेगंदा	28.00	0.96	1.41	-	2.37
89	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	रामपुर	28.00	1.13	0.99	-	2.12
90	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	खारपुरा	36.00	2.80	1.81	3.13	7.75
91	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	चंदावड़	40.00	-	4.97	-	4.97
92	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	झाकरुड़	38.00	4.48	-	-	4.48
93	धार	धरमपुरी	धरमपुरी	भवान्या खुर्द	25.00	1.63	-	2.20	3.83
तहसीलवार योग						73.48	73.01	41.08	187.57
94	धार	मनावर	उमरबन	कोठड़ा	42.00	14.20	22.35	14.52	51.07
95	धार	मनावर	उमरबन	टवलई	38.00	2.66	4.53	1.59	8.78

क्र.	जिले का नाम	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	आरक्षित क्षेत्रफल यहेंछ			
						रोपा	जड़ी	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
96	धार	मनावर	उमरबन	गोगावां	46.00	8.89	12.32	4.20	25.41
97	धार	मनावर	उमरबन	छोटी टवलई	41.00	13.87	13.80	4.21	31.88
98	धार	मनावर	उमरबन	डेङगांव	38.00	-	1.34	-	1.34
99	धार	मनावर	उमरबन	कुंडियापुरा	40.00	1.67	1.27	-	2.94
100	धार	मनावर	उमरबन	राजपुरा	53.00	10.73	8.60	0.91	20.23
101	धार	मनावर	उमरबन	झिरवी	40.00	3.14	0.79	2.04	5.97
102	धार	मनावर	उमरबन	अमलाथा	43.00	1.89	2.11	2.80	6.80
103	धार	मनावर	उमरबन	सरसगाव	42.00	0.97	5.48	1.74	8.19
104	धार	मनावर	उमरबन	मोद कानापुर	37.00	2.33	3.07	-	5.40
105	धार	मनावर	उमरबन	दाभड़	45.00	-	0.72	0.81	1.53
106	धार	मनावर	उमरबन	महापुरा	40.00	2.40	2.96	2.28	7.63
107	धार	मनावर	उमरबन	कल्याणपुरा	51.00	-	-	1.68	1.68
108	धार	मनावर	उमरबन	भुवांदा	55.00	2.76	2.97	3.37	9.10
तहसीलवार योग						65.49	82.30	40.14	187.93
महायोग :-						1,344.45	961.86	643.41	2,949.72

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

क्र. -गन्ना-एस-3-क्षे.आर.-पार्वती-2020-21-577.- मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2020-21 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पावर लिमि. ग्राम- सांखनी, जिला- ग्वालियर (म.प्र.) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ :-

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	पौधा हे०	जड़ी हे०	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	सांखनी	1.50	104.79	52.78	-	157.57
2	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	छोटी-झाऊ	2.00	10.36	4.51	-	14.87
3	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बडी-झाऊ	2.00	6.75	3.92	-	10.67
4	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	खडीचा	1.00	10.51	7.83	-	18.34
5	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	लुहारी	3.00	98.04	67.89	-	165.93
6	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	पंवाया	5.00	3.01	1.85	-	4.86
7	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	रायचैरा	3.00	8.70	0.34	-	9.04
8	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बागवई	7.00	0.10	0.00	-	0.10
9	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	देवरा	10.00	0.00	1.53	-	1.53
10	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	गोबरा	14.00	0.63	0.00	-	0.63
11	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बरुआ	8.00	3.29	0.00	-	3.29
12	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	खेडा	16.00	15.17	18.02	-	33.19
13	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	नजरपुर	14.00	2.93	0.86	-	3.79
14	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	लोढ़ी	17.00	5.41	10.76	-	16.17
15	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	गधोटा	13.00	0.51	2.66	-	3.17
16	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	सेहबई	23.00	1.42	0.63	-	2.05
17	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	डडूमर	7.00	0.13	0.00	-	0.13
18	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बाजना	24.00	15.72	21.59	-	37.31
19	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	ईंटों	18.00	1.41	5.29	-	6.70

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	पौधा हे०	जड़ी हे०	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	खोर	18.00	0.00	9.27	-	9.27
21	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	स्याऊ	20.00	0.00	0.56	-	0.56
22	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	डोंगरपुर	21.00	1.59	10.47	-	12.06
23	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	रिछारी-खुर्द	15.00	2.11	6.57	-	8.68
24	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	गाजना	23.00	1.19	0.71	-	1.90
25	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	मोहनगढ़	15.00	2.96	1.13	-	4.09
26	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बामरोल	5.00	5.27	14.08	-	19.35
27	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	बसई	4.00	1.62	4.12	-	5.74
28	ग्वालियर	भितरवार	भितरवार	गोहिंदा	6.00	0.71	0.27	-	0.98
तहसीलवार योग						304.33	247.64	0.00	551.97
29	ग्वालियर	डबरा	डबरा	करियावटी	4.00	4.43	5.84	-	10.27
30	ग्वालियर	डबरा	डबरा	जरावनी	9.00	37.92	48.27	-	86.19
31	ग्वालियर	डबरा	डबरा	जतरथी	5.00	22.78	20.63	-	43.41
32	ग्वालियर	डबरा	डबरा	झांडोली	6.00	5.31	4.11	-	9.42
33	ग्वालियर	डबरा	डबरा	धिरोरा	7.00	3.48	5.86	-	9.34
34	ग्वालियर	डबरा	डबरा	किशोली	8.00	3.64	1.20	-	4.84
35	ग्वालियर	डबरा	डबरा	ररुआ	6.00	6.49	5.88	-	12.37
36	ग्वालियर	डबरा	डबरा	बरुआ	6.00	25.82	31.61	-	57.43
37	ग्वालियर	डबरा	डबरा	बिजकपुर	7.00	43.82	63.22	-	107.04
38	ग्वालियर	डबरा	डबरा	भैंसनारी	10.00	0.68	3.30	-	3.98
39	ग्वालियर	डबरा	डबरा	चिटोली	12.00	0.87	0.00	-	0.87
40	ग्वालियर	डबरा	डबरा	लिधोरा	10.00	0.45	0.00	-	0.45
41	ग्वालियर	डबरा	डबरा	शक्ति का पुरा	10.00	0.66	1.20	-	1.86
42	ग्वालियर	डबरा	डबरा	काशीपुर	12.00	0.00	1.90	-	1.90
43	ग्वालियर	डबरा	डबरा	मंगरोरा	21.00	10.86	14.92	-	25.78
44	ग्वालियर	डबरा	डबरा	मसूदपुर	10.00	18.23	3.95	-	22.18
45	ग्वालियर	डबरा	डबरा	कंचनपुर	20.00	2.55	2.49	-	5.04
46	ग्वालियर	डबरा	डबरा	नुन्हारी	10.00	29.47	10.49	-	39.96
47	ग्वालियर	डबरा	डबरा	डबरा	25.00	1.27	1.32	-	2.59
48	ग्वालियर	डबरा	डबरा	अंदोरा	42.00	47.60	56.20	-	103.80
49	ग्वालियर	डबरा	डबरा	अरुषि	31.00	20.04	29.18	-	49.22
50	ग्वालियर	डबरा	डबरा	बडेरा	10.00	34.40	58.40	-	92.80
51	ग्वालियर	डबरा	डबरा	बेलगाड़ा	33.00	16.11	29.02	-	45.13

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	पौधा हे०	जड़ी हे०	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	ग्वालियर	डबरा	डबरा	बुजुर्ग	22.00	0.60	0.80	-	1.40
53	ग्वालियर	डबरा	डबरा	चांदपुर	29.00	50.06	42.69	-	92.75
54	ग्वालियर	डबरा	डबरा	चैतुपाडा	28.00	30.89	18.12	-	49.01
55	ग्वालियर	डबरा	डबरा	चितावनी	15.00	3.78	9.05	-	12.83
56	ग्वालियर	डबरा	डबरा	गजापुर	35.00	25.74	12.05	-	37.79
57	ग्वालियर	डबरा	डबरा	हरीपुर	27.00	43.35	43.58	-	86.93
58	ग्वालियर	डबरा	डबरा	हसनपुर	26.00	12.41	3.06	-	15.47
59	ग्वालियर	डबरा	डबरा	इटायल	22.00	2.53	4.20	-	6.73
60	ग्वालियर	डबरा	डबरा	करा	28.00	1.15	1.28	-	2.43
61	ग्वालियर	डबरा	डबरा	किशनपुर	27.00	2.25	1.45	-	3.70
62	ग्वालियर	डबरा	डबरा	रायपुर	32.00	6.06	2.32	-	8.38
63	ग्वालियर	डबरा	डबरा	रामपुर	26.00	14.18	14.93	-	29.11
64	ग्वालियर	डबरा	डबरा	सिमिरिया	9.00	26.55	26.93	-	53.48
65	ग्वालियर	डबरा	डबरा	पतरियरपुरा	35.00	0.00	1.60	-	1.60
66	ग्वालियर	डबरा	डबरा	निभेरा-चक	28.00	0.22	2.98	-	3.20
तहसीलवार योग						556.65	584.03	0.00	1,140.68
67	ग्वालियर	घाटीगांव	घाटीगांव	रावत बनवारी	38.00	0.60	0.60	-	1.20
तहसीलवार योग						0.60	0.60	0.00	1.20
68	शिवपुरी	नरवर	करैरा	आंडर	20.00	0.70	0.00	-	0.70
69	शिवपुरी	नरवर	करैरा	धमधोली	38.00	0.00	2.26	-	2.26
70	शिवपुरी	नरवर	करैरा	करही	29.00	3.86	1.40	-	5.26
71	शिवपुरी	नरवर	करैरा	बांसगड़	22.00	1.60	5.70	-	7.30
72	शिवपुरी	नरवर	करैरा	कोटिया-खेडा	22.00	0.00	0.60	-	0.60
73	शिवपुरी	नरवर	करैरा	पपरेडु	11.00	96.71	55.21	-	151.92
74	शिवपुरी	नरवर	नरवर	अंदोरा	14.00	29.68	14.55	-	44.23
75	शिवपुरी	नरवर	नरवर	कल्यानपुर	13.00	30.69	16.41	-	47.10
76	शिवपुरी	नरवर	नरवर	देहटा-सानी	14.00	6.02	5.42	-	11.44
77	शिवपुरी	नरवर	नरवर	भैंसा	16.00	0.52	10.47	-	10.99
78	शिवपुरी	नरवर	नरवर	जरगांव	15.00	39.88	56.99	-	96.87
79	शिवपुरी	नरवर	नरवर	गोकंदा	12.00	0.79	1.75	-	2.54
80	शिवपुरी	नरवर	नरवर	दबरा-सानी	10.00	53.40	24.81	-	78.21
81	शिवपुरी	नरवर	नरवर	दौनी	17.00	17.07	39.28	-	56.35
82	शिवपुरी	नरवर	नरवर	सुनारी	13.00	14.87	11.54	-	26.41

क्र.	जिला	तहसील	विकास खण्ड	ग्राम	कारखाने से सड़क दूरी (किमी)	पौधा हे०	जड़ी हे०	तिरी	कुल योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
83	शिवपुरी	नरवर	नरवर	रायपहाडी	13.00	5.98	2.13	-	8.11
84	शिवपुरी	नरवर	नरवर	रोनीजा	16.00	2.62	0.00	-	2.62
85	शिवपुरी	नरवर	नरवर	कारेवाहा	35.00	0.60	1.20	-	1.80
86	शिवपुरी	नरवर	नरवर	भीमपुर	40.00	1.06	0.00	-	1.06
87	शिवपुरी	नरवर	नरवर	दौलतगंज	21.00	0.00	0.55	-	0.55
88	शिवपुरी	नरवर	नरवर	हतेडा	16.00	0.00	0.94	-	0.94
89	शिवपुरी	नरवर	नरवर	जरावनी	17.00	11.28	17.20	-	28.48
90	शिवपुरी	नरवर	नरवर	केरुआ	28.00	3.82	18.36	-	22.18
91	शिवपुरी	नरवर	नरवर	मिहावरा	18.00	0.00	0.57	-	0.57
92	शिवपुरी	नरवर	नरवर	राधापुर	22.00	0.12	0.00	-	0.12
93	शिवपुरी	नरवर	नरवर	ठाठी	30.00	1.96	0.00	-	1.96
94	शिवपुरी	नरवर	नरवर	धोवट	7.00	4.87	4.29	-	9.16
तहसीलवार योग						328.10	291.63	0.00	619.73
95	शिवपुरी	करैरा	नरवर	नैनागिर	40.00	1.20	0.00	-	1.20
तहसीलवार योग						1.20	0.00	0.00	1.20
96	दतिया	बडौनी	दतिया	सईडा-कला	10.00	8.37	3.63	-	12.00
97	दतिया	बडौनी	दतिया	सईडा-खुर्द	8.00	56.75	63.54	-	120.29
98	दतिया	बडौनी	दतिया	पांचोर-मडैया	9.00	0.00	0.00	-	0.00
99	दतिया	बडौनी	दतिया	चक-सुनारी	6.00	5.40	6.40	-	11.80
100	दतिया	बडौनी	दतिया	गोन्धारी	20.00	7.80	15.00	-	22.80
101	दतिया	बडौनी	दतिया	रांव-कलां	6.00	92.20	200.70	-	292.90
102	दतिया	बडौनी	दतिया	सड	25.00	1.80	4.60	-	6.40
तहसीलवार योग						172.32	293.87	0.00	466.19
महायोग						1,363.20	1,417.77	0.00	2,780.97

यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अप्रिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।

प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र.-48-अ-82-19-20-घाटबिरोली-12340 (A).-

बैतूल, दिनांक 14 अक्टूबर 2020

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि, की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	प्रभातपट्टन	घाटबिरोली	0.420	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई	घाटबिरोली जलाशय के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से !

अनुसूची - 2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	ख. नं.	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
2	3	4	5	
1	उदेराम, नामदेव, रामभाऊ व० अजाबराव कुन्बी सा० देह	157	1.431	0.060
2	गोविंदरा व० गिरधारी सा० देह	36	1.538	0.210
3	सहेबराव, रामराव व० राजाराम, बिलसो पिता राजाराम सा० देह	35	0.324	0.030
4	मालती पिता गुजोबा, राजेन्द्र पिता नत्थू, कमला पिता नत्थू, सुरेश पिता नत्थू, ललिता पिता नत्थू सा० देह	34	0.348	0.030
5	देवेन्द्र पिता श्यामू, सकुन पिता श्यामू, सुकरानी पिता श्यामू, कल्पना पिता श्यामू, मुन्नी पिता श्यामू, विक्रम पिता देवीलाल, इन्द्रा पिता देवलाल, आकाश पिता देवीराम उर्फ देवीलाल, वर्षा पिता देवीराम उर्फ देवीलाल सा० देह	13	0.304	0.090
कुल योग			0.945	0.420

1- चूंकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संयवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे. में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	बैतूल	बोरीकास	84.642	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची-2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकबा हे.में.	अर्जित भूमि का रकबा हे.मे.
1	2	3	4	5
1	ढीमरा धुडू व. भादू बैना, भागा पुत्री भादू जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	2	1.124	1.124
		13	2.298	2.298
2	किशोरी व. नन्जु संजु व. कुवरलाल शिवकली निला रूपा ममता सविता पुत्री कुवरलाल गंगा बे. कुवरलाल जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	3	0.518	0.518
		14	1.214	1.214
3	देवो बे. गोरेलाल जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	4	2.132	2.132
4	गोधू व. तेजी इमरत दिलीप सुनील व. किसन जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	8/1	0.144	0.144
5	भोलाराम व. दल्लू जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	9	1.781	1.781
6	रामसा व. मंहगू संतरी पुत्री मंहगू कमला बे. मंहगू जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	10	1.234	1.234

7	गोधू व तेजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	8/2	2.000	2.000
8	पांडया व. पोलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	11/1	0.206	0.206
		11/6	0.537	0.537
		20/3	0.607	0.607
9	साहबू साहबलाल मोग्या पांडा मोहन व. पोलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	11/3	0.206	0.206
		11/8	0.537	0.537
		20/2	0.607	0.607
10	मोहन व. पोलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	11/4	0.206	0.206
		11/9	0.537	0.537
		20/4	0.607	0.607
11	मोग्या व. पोलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	11/5	0.206	0.206
		11/10	0.537	0.537
		20/5	0.607	0.607
12	बिसराम पुत्र रंजिसा जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	12/1/1	0.866	0.866
13	मंदराज पुत्र रंजिसा जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	12/1/2	0.866	0.866
14	साहबलाल व. पोलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	11/2	0.206	0.206
		11/7	0.537	0.537
		20/1	0.607	0.607
15	दीवानजी गंगाराम व. शेखजी जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी	12/2	1.732	1.732
16	संजू व. कुवरलाल गंगा बे. कुवरलाल शिवकला रूपा ममता सविता पिता कुवरलाल जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	15/1	1.413	1.413
17	इमरत, सुनिल दिलीप व. केशर जाति गौड सा. देह भूमिस्वामी	15/2	0.707	0.707
18	मनीराम व. मलजी जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	16/1	1.731	1.731
19	ढीमरे व. रंगलाल जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	16/2	0.865	0.865
20	किशोर पुत्र मोटू जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	16/3	0.874	0.874
21	प्यारेलाल व. सुबन जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	18/1	0.507	0.507
22	पैकू व. सुबन जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	18/2	0.507	0.507
23	झलकू व. सुबन जाति गौड सा.देह भूमिस्वामी	18/3	0.507	0.507

24	करनू व. मिलाप जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	19	1.521	1.521
25	सोनी बे. मंसु जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	23/1	0.852	0.852
		60/1	0.359	0.359
		257/1	0.657	0.657
26	कावा व. मंसु जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	23/2	0.852	0.852
		60/2	0.360	0.360
		257/2	0.657	0.657
27	छत्तू व. मंसु जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	23/3	0.851	0.851
		60/3	0.359	0.359
		257/3	0.657	0.657
28	कलेश्या जौ श्यामराव जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	23/4	0.851	0.851
		60/4	0.359	0.359
		257/4	0.658	0.658
29	शांता जौ रामलाल जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	23/5	0.851	0.851
		60/5	0.360	0.360
		257/5	0.658	0.658
30	सुरजु व. मिलापसिंग जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	30/1	1.249	1.249
31	वात्या देवसू व. चन्दू पांचो बे. पांडू सुन्दर सरवन व. दसन रधिया बे. दसन नहाले पिता पाचू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	30/2	1.248	1.248
		58/2	0.624	0.552
32	शंकर व. सुरजू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	32/1	1.004	1.004
		31/1	0.048	0.048
33	मुन्ना व. सुरजू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	31/2	0.049	0.049
		32/2	1.003	1.003
34	किसन सेवाराम व. मौजी मिठिया, मिटलो जुगनी जुगना जुग्गा व. मौजी मथरी बे. मौजी रिगा रामराव व. वक्कू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	34	4.144	4.144
35	मदन व. गुलाब लता पुत्री गुलाब जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	36	7.042	7.042
		38	2.164	2.164
36	कारो पिता नन्हेसिंग जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	37/1	2.835	2.835
37	भादा व. तेजी जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	37/2	1.418	1.418

38	माटूलाल नन्दा चन्दू राजकुमार मोती व. पूरन परसराम बलराम व. टेढू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	39/1	0.510	0.510
		261/3	0.431	0.431
39	मोग्या व. गेन्दसिंग छतरू बिरजू पिन्दू पिता रंजू सरस्वती पिता रंजू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	39/2	0.511	0.511
		261/2	0.431	0.431
40	कान्हू मानू व. दौलत जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	39/3	0.511	0.511
		261/1	0.437	0.437
41	हस्सो पिता जौहरी जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	40	1.092	1.092
42	फूलचंद व. शोभाराम जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	259/1	0.024	0.024
		260/3	0.601	0.601
43	सुमरत उमरलाल मिटठू व. दशरथ पाछे पिता दशरथ जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	259/2	0.025	0.025
		260/2	1.201	1.201
44	कुवरलाल व. शोभाराम जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	260/1	0.601	0.601
45	हस्सो पिता जौहरी प्रेमलाल सुमन उमन व. गोरे जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	39/4	0.511	0.511
		261/4	0.431	0.431
46	मोग्या व. लालसिंग जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	150/1	2.164	2.164
47	बिरजू उर्फ नत्थू व. मानसिंग जाति गोड सा. देह भूमिस्वामी	150/2	1.082	1.082
48	रामसू व. सोनू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	151/1	1.082	1.082
49	झामसिंग व. सोनू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	151/2	1.082	1.082
50	श्यामराव व. कन्हई जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	280/2	2.178	2.178
		268	1.845	1.520
51	मंगली बे. मंगलू चिक्कू बाकू व0 मंगलू मलकू उर्फ राजू व. मल्लू जाति ठाठिया सा.देह भूमिस्वामी	281/1	0.663	0.330
52	जंगली व. चीनी मोगे ओझे पुत्री चीनी जाति ठाठिया सा.देह भूमिस्वामी	281/2	0.664	0.330
53	गुलाबराव व. धुडल्या जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	279/1	0.551	0.120
54	पतीराम व. कारू जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	279/2	1.100	0.240
55	पिरथीलाल पुत्र धुडल्या जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	279/3	0.550	0.120

56	मंशाराम, श्यामराव, शंकरव. कन्हई कमलाबाई जौ नत्थ्या सा. बघोली इमला जौ बिसराम सा. खंडारा जगन्ती जौ सुखचन्द बजी बे. सुखनंदन शातिलाल अमृतलाल भैयालाल ओमप्रकाश अंकुश व. सुखनंदन जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	282	1.420	1.170
57	करनू करन व. मिलाप फुल्लो बाली पुत्री मिलाप जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	284	1.987	0.180
58	सददू व. फकीरा जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	276/1	0.354	0.105
59	सूरतलाल उर्फ सूरज व. मलजी जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	276/2	0.176	0.055
60	रमन, गेन्दू भोन्दू व. बुद्धु जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	276/3	0.353	0.110
61	मनीराम व. मलजी जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	276/4	0.177	0.055
62	रुखमा, पतोली, रूकैया, सुदिया, सम्मा, पुत्री दूरी गोविन्द, दीनू, पुत्र कान्हू झमिया, समली पुत्री कान्हू बस्तीलाल पुत्र गुंडा, सुल्लो, शैली समिया पुत्री गुंडा, सकरू व. गुंडा जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	285	2.529	0.160
63	मोग्या पुत्र गेन्दसिंग छतरू पुत्र रंजू बिरजू पुत्र रंजू पिन्दू पुत्र रंजू सरस्वती पुत्री रंजू सायबू पुत्र नन्हू नंदा पुत्र नन्हू पाचे पुत्री नन्हू मुन्ना पुत्र कुंजी कज्जे बे. कुंजी जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	286	1.959	0.182
64	गजेन्द्र पुत्र सुडे जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/1	0.245	0.076
65	अमरसा पुत्र ओझा, सुकिया पुत्री ओझा सरवन पुत्र भोजू मंगल पुत्र समलू दिनेश पुत्र समलू सकडी पुत्री समलू झनिया बे. समलू निर्मला पुत्री समलू मोती बे. मंदराज, संतोष व० मंदराज रामकिशोर पुत्र मंदराज रामेश्वर पुत्र मंदराज मालती पुत्री मंदराज कान्ती पुत्री मंदराज, सुनीता पुत्री मंदराज जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/2	0.736	0.140
66	गिरवन, सुखनंदन, पुत्र लक्ष्मण अमर पुत्र सुन्दरलाल रतन, पुत्र छतन, रामरती पुत्री छतन जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/3	0.736	0.140
67	वाकू पुत्र मुरत अलसु पुत्र मुरत जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/4	0.735	0.140
68	दसरू पुत्र सूडे जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/5	0.245	0.076
69	जीवतू पुत्रजबरसिंग सनोती, मनोती पुत्री जबरसिंग, मिटको बेवा जबरसिंग जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	287/6	0.245	0.076

70	पारधी, भीमा, गुलाजी पुत्री गंजन विमला पुत्री गंजन जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	288	0.890	0.120
71	कम्मो, कसिया, दसिया, मुनिया पुत्री जंगल जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	269/2	0.299	0.179
72	साहबलाल जगोती, कस्तूरी, रददू पुत्री साधुराम जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	269/1	0.300	0.180
73	अमरसा पुत्र ओझा सुकिया पुत्री ओझा जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	273/1	1.457	0.220
74	मेदराज अनिल, दीनू व समलू सकडी, झलिया बे. समलू जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	273/2	1.457	0.220
75	झगकी, मंगो, सकरी, पिता रूपजी उदेसिंग, पांडू पुत्र रूपसा मनको रूपसा पिन्दू गोपाल, श्यामजी पुत्र रतन सागो पुत्री रतन मंकर पुत्र भैजू रख्खू पुत्री भैजू लता पुत्री गुलाब, मदन पुत्र गुलाब जाति गौंड सा.देह भूमिस्वामी	275	0.934	0.105
योग:-			100.972	84.642

1. चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिन प्रभावित परिवारों का विस्थापन हो रहा है उनके विस्थापन हेतु धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार तैयार किया गया है जो पृथक से संलग्न है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मेढा मध्यम सिंचाई परियोजना

ग्राम-बोरीकास (ढोलियामऊ)

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन विवरण

परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या- मकानों की संख्या 22

वयस्क परिवार 62

अ भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

ब भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार

क्र.	पुनर्वास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार की	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, बागवानी, पशु चारागाह क्षेत्र के लिये प्रत्येक कुटुम्ब के लिये चरणोई भूमि सुरक्षित की जावेगी।	प्रभावित कुटुम्बों के लिये नियमानुसार चरणोई भूमि का प्रावधान किया जावेगा। विस्थापित ग्राम बोरीकास (ढोलियामऊ) के परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का भुगतान किया जा रहा है।			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 1 के अनुसार।
2	प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये आवासीय इकाई, पेयजल सुविधा, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी।	भू-खंड 2400 वर्ग फीट अधिनियम 2015 प्रारूप-IV नियम-9 के अनुसार।			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 2 के अनुसार।
3	(2) परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।	कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार मकान का मूल्यांकन की राशि का दोगुना भुगतान किया जावेगा। मूल्यांकित राशि - 57.48 दोगुना राशि - 114.95			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 दूसरी अनुसूची क्रमांक 1 पैरा-2 के अनुसार।
4	प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रुपये वित्तीय सहायक एकमुश्त दी जावेगी। (अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रुपये।	62	150000.00	9300000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 3 के अनुसार।

क्र.	पुर्नवास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
5	माहत्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया जावेगा।	ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा संचालित मनरेगा स्कीम के अंतर्गत म. प्र. शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 4 के अनुसार।
6	प्रभावित कुटुम्ब के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यमों से दक्षता का विकास	म.प्र. शासन ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
7	विस्थापित कुटुम्बों के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रु. 3000/- के समतुल्य पंचाट के तारीख से मंजूर किया जावेगा।	62	36000.00	2232000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 6 के अनुसार।
8	पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000/- रुपये दिये जायेंगे।	22	25000.00	550000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
9	अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर इमारती वन संसाधन	भारत सरकार की उज्जवला योजना अंतर्गत ईंधन हेतु गैस कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा। नियमानुसार चरनोई भूमि का प्रावधान किया जावेगा।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 8 के अनुसार।
10	मछली पकड़ने के अधिकार	विभाग द्वारा अनुशंसा की जायेगी।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 9 के अनुसार।
11	भवनों की सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिये परिवहन भत्ता 50000/- प्रति कुटुम्ब	22	50000.00	1100000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 6 के अनुसार।

12	गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरों	4	25000.00	100000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 8 के अनुसार।
13	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 11 के अनुसार।

(डी.के.गुप्ता)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
घोडाडोगरी

(ए.के.देहरिया)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग कमाक 2
बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
बैतूल

कलेक्टर
बैतूल
21/12/2022

क्र.-6-अ-82-20-21-टेमुरनी-13711.-

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	टेमुरनी	7.851	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क.2 बैतूल जिला बैतूल (म०प्र०)	मेंढा मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना के विस्थापन हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	उमराव पुत्र धुडल्या, जाति मेहरा, सा.देह भूमिस्वामी	180/2	1.233	1.233
2	सरजेराव, बाबुराव पुत्र धुडल्या, कमला, इमला पुत्री धुडल्या, दीपक पुत्री लुगर, प्रकाश, रमेश पुत्र लुगर, सरावन पुत्र नत्थया, आशा, उषा पुत्री नत्थया, सा. देह भूमिस्वामी	180/1 183/1ढ 183/1ग	6.618	6.618
योग:-			7.851	7.851

1- चूँकि मेंढा मध्यम उदवहन सिंचाई परियोजना विस्थापन हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन

पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलिंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

प.क्र.-04-अ-82-2019-20-मेंढा (खापा)-13712.-

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	भैसदेही	मेंढा (खापा)	57.088	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची-2 (प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकबा हे.में.	अर्जित भूमि का रकबा हे. में.
1	2	3	4	5
1	चुन्नी पुत्र काडमा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	63	0.170	0.170
		78, 79 84/2,	1.497	1.497
2	बिसराम पुत्र सददू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	80, 84/3	1.898	1.898
		40/1	0.877	0.877
3	भवीचन्द मुग्या उर्फ फूलचंद व मयाराम कल्लो सरस्वती नान्ही पिता मयाराम जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	81 84/4	0.818	0.818
		83	1.275	1.275
4	हीरू बे रघुनाथ जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	82/2	0.769	0.769

5	मिश्रीलाल व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	82/1 क	0.384	0.384
		61/2	0.075	0.075
		58/1 क	0.050	0.050
		37	3.618	3.618
6	नत्थू व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	82/1 ख	0.384	0.384
		58/1 ख	0.051	0.051
7	दौलत व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	82/1 ग	0.385	0.385
		58/1 ग	0.051	0.051
8	पंडित व. कुंजीलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	82/1 घ	0.385	0.385
		58/1 घ	0.051	0.051
9	सीताराम, भैयालाल, पुत्र गुंता पताली झागराव, मानकू पिता गुंता जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	72/2	0.153	0.153
		64	0.089	0.089
		65	0.109	0.109
		43	0.190	0.190
		41/2	0.533	0.533
10	सीताराम पुत्र भूता जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	72/1	2.000	2.000
11	मंगल पुत्र काडमा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	74	0.441	0.441
12	सुखलाल उर्फ नासू सुकलू पुत्र शिवलाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	76/2 76/5	0.380	0.380
13	सुकलू पुत्र शिवलाल बुधिया, सोनाय पुत्री शिवलाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	40/3/4 29/12/4	0.238	0.238
14	भिलू व. खोगू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	60/1 76/9 76/10	0.020	0.020
		66	0.138	0.138
		40/2	0.831	0.831

15	बिसन, लल्लू किसन पुत्र मंगल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	35/3/2 36/2	2.000	2.000
16	मंगराय, बिसराम व. सददू भूरी पिन्नी बान्दरू पुत्री सददू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	60/2	0.016	0.016
		53	0.134	0.134
		52/1	0.028	0.028
17	नात्थूराम व. भीका जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	71	0.093	0.093
		35/3/3 36/3	2.000	2.000
		35/3/4 36/4	1.822	1.822
		35/3/1 36/1	1.648	1.648
18	मनको पुत्र भूता जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	70	0.089	0.089
19	तिमाजी रामाजी व. बालाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	69	0.138	0.138
20	भूता रामसू व. तुकाराम मुगनी पुत्री तुकाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	67	0.178	0.178
21	सुरेश व. भवीचंद शिवकली प्रमिला व. भवीचंद कल्लो, सरस्वती नान्ही पिता मयाराम दिलीप व. मुन्ना रूखमी, देवकी पिन्की मुन्नी पिता मुन्ना विमला बे. मुन्ना जाति मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	61/1 62	0.224	0.224
22	हिरू, मीरा बे. रघुनाथ, कैलाश माधो, सहादेव, वासुदेव गजानंद, सुनील व. रघुनाथ लक्ष्मी संगीता पिता रघुनाथ जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	39/2/ख	1.133	1.133
23	मीरा बे रघुनाथ, सुनील गंजानंद पिता रघुनाथ जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	58/2/1	0.050	0.050

24	कैलाश, माधो, सहदेव, वासुदेव पिता रघुनाथ संगीता, लक्ष्मी पुत्री रघुनाथ, हिरू बे. रघुनाथ जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	58/2/2	0.116	0.116
25	साधू, बाबू व. भोंदू मंगराय पुत्री भोंदू सीताराम सुखराम, दयाराम व. कल्लू, रूचू रूपाय मिढिया कुंची पुत्री कवल, सुखनंदन व. बलीराम, चरखाय व पुत्री बकीराम मु.चखमाय बे. वेधन्तीराम वति व. रामू मु.काडमी बे. रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	57	0.069	0.069
26	पतोली बेवा साधु, शंकर, भंकर, पिता साधु सोमी पिता साधु जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	56	0.065	0.065
		29/4, 29/13 34/2	1.075	1.075
27	झांगरू पुत्र सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55/1	0.018	0.018
		50/5	0.364	0.364
		29/11/1, 48, 49/2	0.400	0.400
28	झांगरया व. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55/3	0.018	0.018
		50/1	0.100	0.100
		50/6	0.364	0.364
		48/2 29/11 49/2	0.500	0.500
29	दुगरया व. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55/4	0.021	0.021
		50/4	0.507	0.507
		29/11, 48/3, 49/2	0.700	0.700
30	रामलाल व. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55/5	0.018	0.018
		50/2	0.100	0.100
		50/7	0.364	0.364
		29/11/2, 48/2, 49/2	0.500	0.500

31	सुखलाल बुकला व. मंगल्या, बुकली पुत्री मंगल्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	54	0.093	0.093
		44	1.477	1.477
32	सुखलाल पुत्र शिवलाल सुनाय, बुधिया पुत्री शिवलाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	52/2	0.029	0.029
		29/12/1 40/3	0.237	0.237
33	बलराम पुत्र काल्या सुखराम व. भालू जायको पुत्री भालू धामो बे. भालू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	51	0.053	0.053
34	सीताराम व. सखाराम, मिराय बे. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	50/8	0.814	0.814
		29/11/6 48, 49	0.330	0.330
35	सोमजी व. सखाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55/2	0.018	0.018
		50/3	0.507	0.507
		45/1	0.343	0.343
		45/2	0.343	0.343
		45/3	0.343	0.343
		29/11/5 48 49/2	0.600	0.600
36	सुखराम व. भालू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	45/4	0.343	0.343
37	भैयालाल पुत्र भूता जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	41/1	2.000	2.000
38	सुखचंद पुत्र काशीराम जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	39/1	2.492	2.492
		84/6	0.360	0.360
39	रोहित पुत्र देवराव जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी, सा.केरपानी	39/2/1	0.432	0.432
40	देवराव पुत्र भागूलाल जाति मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	39/2/3	0.864	0.864
41	भूता, रामसू व. तुकाराम मुगनी पिता तुकाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	38/1	1.836	1.836
		84/5	0.022	0.022

42	भूता, पुत्र तुकाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	38/2	1.836	1.836
		84/8	0.023	0.023
43	रामसू पुत्र तुकाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	38/3	1.836	1.836
		84/9	0.023	0.023
44	भूदान यज्ञ मंडल भोपाल	34/1	0.809	0.809
45	भाकलू पुत्र भुलु जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	40/3/2 29/12/2	0.475	0.475
46	डोमा व. शिवराम पिंदू पिता शिवराम, मंदू पिता शिवराम काल्या बे. शिवराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	29/12/3 40/3/3	0.475	0.475
47	भीका व. लाला जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/7	0.306	0.306
48	सुखनंदन व. बलीराम, चरखाय पिता बलीराम जसमाय बे. बलीराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/4	1.092	1.092
49	बिरजू पुत्र मंगल, बिहारी, सूरज, गोविन्दा पुत्र मंगल, शांता, मांता, कांता पुत्री मंगल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/3	1.092	1.092
50	साधु, बाबू व. भोदू मंगराय पुत्री भोदू, सीताराम, सुखराम, दयाराम व. कल्लू रुचू, रूपाय मिठिया, कुंची, पुत्री कवल, सुखनंदन, व. बलीराम, चरखाय पुत्री बकीराम, मु. चखमाय बे. वेधन्तीराम वति व. रामू काडमी बे. रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	32	0.575	0.575
		29/3, 30 84/1/ख 84/1/ग 84/1/घ	0.258	0.258
51	दयाराम / कल्लू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/5/2 35/2/2 35/4/2	1.020	1.020
52	सुखराम / कल्लू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/5/3 35/2/3 35/4/3	0.680	0.680
53	सीताराम, दयाराम, सुखराम व. कल्लू खचू, रूपाय मिराय कुंची पुत्री कल्लू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/5/1 35/2/1 35/4/1	0.340	0.340
योग:-			57.088	57.088

- 1 चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिन प्रभावित परिवारों का विस्थापन हो रहा है, उनके विस्थापन हेतु धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार तैयार किया गया है, जो पृथक से संलग्न है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मेंढा मध्यम सिंचाई परियोजना

ग्राम—मेंढा

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन विवरण

परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या— मकानों की संख्या 70
वयस्क परिवार 214

अ भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

ब भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार

क्र.	पुनर्वास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार की	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, बागवानी, पशु चारागाह क्षेत्र के लिये प्रत्येक कुटुम्ब के लिये चरणोई भूमि सुरक्षित की जावेगी।	प्रभावित कुटुम्बों के लिये नियमानुसार चरणोई भूमि का प्रावधान किया जावेगा। विस्थापित ग्राम मेंढा के परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का भुगतान किया जा रहा है			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 1 के अनुसार।
2	प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये आवासीय इकाई, पेयजल सुविधा, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी।	भू-खंड 2400 वर्ग फीट अधिनियम 2015 प्रारूप-IV नियम-9 के अनुसार।			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 2 के अनुसार।
3	(2) परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।	कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार मकान का मूल्यांकन की राशि का दोगुना भुगतान किया जावेगा। मूल्यांकित राशि - 198.20 दोगुना राशि - 396.40			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 दूसरी अनुसूची कर्मांक 1 पैरा-2 के अनुसार।
4	प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रुपये वित्तीय सहायक एकमुश्त दी जावेगी। (अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रुपये।	214	150000.00	32100000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 3 के अनुसार।

5	माहत्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया	ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा संचालित मनरेगा स्कीम के अंतर्गत म. प्र. शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 4 के अनुसार।
6	प्रभावित कुटुम्ब के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यमों से दक्षता का विकास	म.प्र.शासन ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
7	विस्थापित कुटुम्बों के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रु. 3000/- के समतुल्य पंचाट के तारीख से मंजूर किया जावेगा।	214 36000.00 7704000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 6 के अनुसार।
8	पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000/- रुपये दिये जायेंगे।	70 25000.00 1750000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
9	अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर इमारती वन संसाधन	भारत सरकार की उज्जवला योजना अंतर्गत ईंधन हेतु गैस कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा। नियमानुसार चरनोई भूमि का पावधान किया जावेगा।	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 8 के अनुसार।
10	मछली पकड़ने के अधिकार	विभाग द्वारा अनुशंसा की जायेगी।	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 9 के अनुसार।

11	भवनों की सामग्री, घरेलू सामग्री अ लिये परिवहन भत्ता 50000/- प्रति कुटुम्ब	70 50000.00 3500000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 6 के अनुसार।
12	गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरों	6 25000.00 150000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 8 के अनुसार।
13	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी।	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 11 के अनुसार।

(डी.के.मुस्ता)
अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
घोडाडोगरी

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
मैसवही

(ए.के.देहरिया)
कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग कमाक 2
मैसूल

कलेक्टर
मैसूल
30/12/2019

क्र.-03-अ-82-20-21-खटगढ़-13513.-

बैतूल, दिनांक 25/27 नवम्बर 2020

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	खटगढ़	1.399	घोघरी मध्यम परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्रमांक	भूमि स्वामी कृषको नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मंगराय पुत्री मलकू जाति कोरकू निवासी टिपनापुर भूमि स्वामी	138	0.699	0.699
2	मंगरू, पुत्र मलकू जाति कोरकू निवासी टिपनापुर भूमि स्वामी	139	0.700	0.700
			1.399	1.399

(2) चूँकि घोघरी मध्यम परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी भैसदेही के न्यायालय में किया जा सकता है।

(4) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

पत्र क्र.-05-अ-82-2019-20-खापा-13715.-

बैतूल, दिनांक 2/3 दिसम्बर 2020

चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की कालम (5) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे.में	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5
बैतूल	भैसदेही	खापा	48.512	मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना

अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कृषक का नाम	खसरा नंबर	भूमि का कुल रकबा हे.में.	अर्जित भूमि का रकबा हे. में.
1	2	3	4	5
1	सूरज ढिमरू लिम्बा व. जोन्दू जिकोय, फोन्दे पिता जोन्दू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	87/2	0.061	0.061
		16/3	0.045	0.045
		16/5, 45	0.142	0.142
		46 47/2	0.479	0.479

2A	खुडडा व. फाटू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	87/3	0.405	0.405
		87/4	1.600	1.600
2B	खुडडा व. फाटू रुचु बे. फाटू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	43/2	0.061	0.061
		72	0.061	0.061
		16/2 16/4	0.688	0.688
		40/3	0.200	0.100
		62/4	0.034	0.034
		63/4 63/5	0.008	0.008
3	शांता जी रामप्रसाद, जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	87/5	0.463	0.463
		62/2 63/3	0.038	0.038
4	मगराय बे. गेन्दा, अनिता उंची शकुन्तला ना. बा. पुत्री गेन्दा संरक्षक मगराय जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	36/1	0.459	0.075
		29/8, 32/1	0.785	0.785
		73/1	0.075	0.075
5	कैजा व. हिराजी बुकली बे. हिराजी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	31/3 32/2	0.785	0.785
		35/2	0.809	0.809
		73/2	0.075	0.075
		35/3	1.214	1.214
6	गजेसिंग व. गेन्दा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	35/1	1.627	1.627
7	सूरजू व. जोधू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/1	1.284	1.284
8	सददू व. सरजू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/2	1.180	1.180

9	ढिमरा व. जोधू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/3	1.619	1.619
10	लिम्बा व. जोधू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	34/4	1.619	1.619
11	कून्ना व. फुन्दाजी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	86/1	1.441	1.441
		74/1	0.049	0.049
		60/6	0.008	0.008
12	नन्दू व. परस्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	86/2/क	1.180	1.180
13	नन्दा व. परस्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	86/2/ख	1.180	1.180
14	चन्दू व. परस्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	86/2/ग	1.180	1.180
15	सुगाय जौ रामजी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	86/2/घ	0.410	0.410
		74/2	0.081	0.081
16	भाकू पुत्र रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/1/1	0.200	0.200
		84/1/5	0.104	0.104
17	काल्या पुत्र रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/1/2	0.200	0.200
		84/1/6	0.104	0.104
18	भीलू पुत्र रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/1/3	0.200	0.200
		84/1/7	0.103	0.103
19	शिवराम पुत्र रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/1/4	0.200	0.200
		84/1/8	0.103	0.103
20	काल्या पुत्री रामू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	71	0.016	0.016
21	भूते बे टोरे किसान कमलेश व. टोरे मगराय	84/2/क	0.686	0.686

	जिनाय पिता टोरे जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/2/ब	0.480	0.480
		75/3	0.050	0.050
22	झोरे व. चुन्नी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/2/ख	0.685	0.685
		84/2/ड	0.480	0.480
		75/1	0.150	0.150
23	अनिल, गोकुल, राजेश पुत्र साधु सुनीता सैवति पुत्री साधु, कैलो पत्नि साधु, जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	84/2/ग	0.685	0.685
		84/2/घ	0.250	0.250
		75/2	0.050	0.050
24	पिखोला पिता भैया जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	39/1	1.552	0.852
		54/1	0.081	0.081
25	सुगरती पिता भैया जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	39/2	1.552	0.592
		54/2	0.081	0.081
26	गोरेलाल व. भंगी जाति गोंड सा.देह भूमिस्वामी	29/6, 40/2	1.925	1.843
		62/1, 63/2	0.038	0.038
27	नापा रामू व. सेवाराम जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	47/1	0.278	0.278
28	खोडे व. झिंगरिया, रनकू बे. शंकर मगरया, बुद्ध व. शंकर मिरको मुरके फूल्ले पुत्री शंकर जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	76	0.299	0.299
29	रतिराम व. जिरा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	77	0.045	0.045
30	बिरजलाल व. पतिराम फूलचंद, लालचंद व. चिरौजी जाति लोहार सा.देह भूमिस्वामी	78	0.061	0.061
31	गंगाजी व. माठू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	79	0.053	0.053
32	फुसे पुत्री मंगलू मंगो बे. मंगल केजू, तेजू	80/1	0.051	0.051

	पुत्र मंगल जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	81	0.053	0.053
33	ढीमरा व. बोका जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	80/2	0.050	0.050
		8/4	0.830	0.830
34	मल्लू व. बाबूराव, रधिया बे. बाबूराव जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	53 60/5	0.170	0.170
35	सुनाय बे. मोग्या, सोमसा, बिलसू, रामसू पिता मोग्या शांता पुत्री मोग्या जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	7/3	0.959	0.959
36	मोग्या, सुखलाल, शेखलाल व. दौरा भगाय पुत्री दौरा, गोलमा, सालो, सकू पुत्री कालू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	56/1 57/2 60/7	0.154	0.154
37	मांग्या व. दौरा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	55, 56/2	0.109	0.109
38	रूपाय पिता दामजी जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	57/1 60/8	0.154	0.154
39	गोलमा व. कालू सकू शालो मिला पिता कालू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	58, 59/2, 60/2, 60/3	0.113	0.113
		7/2	2.877	2.877
40	भागू बे. दयालाल सुंदरी सुन्दा बुधिया पुत्री दयालाल सुनिल ना.बा.व. काडमू सरिता अनिता, ना.बापुत्री काडमू वली मा. मैना बे. काडमू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	59/1 61/2, 62/1 63/2	0.145	0.145
41	ओमकार पुत्र खेमराज खेमराज व. सुखलाल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	62/3	0.035	0.035
42	प्रमिला जौ चाचू जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	63/1 64/2	0.065	0.065
43	जगोती बाई जौ. रामलाल जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	64/1 65/2 65/3	0.081	0.081

44	भद्वो व. मंगल जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	65/1	0.101	0.101
		66	0.214	0.214
		83	0.206	0.206
45	भुतय, भूना, चिडडा व. बाज्या, भूतनी, जगोती भग्गू पिता बाज्या जाति कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	5	1.894	1.894
		4/1/ग	1.600	0.953
46	सुखलाल व. दौरा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	7/1	0.959	0.959
47	शेखलाल व. दौरा जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	7/4	0.959	0.959
48	रिंगू मुनीलाल व. ओझा, रामरती पुत्री ओझा जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	8/3	0.829	0.829
49	मल्लू पुत्र बाबूराव जाति कोरकू सा.देह भूमिस्वामी	4/1/ख	6.415	1.112
50	नजरसा व. भैया जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	6/2/1 8/1/1 9/6/1 60/9/1 60/10/1	0.773	0.773
		6/2/5	0.640	0.640
		6/2/8	0.680	0.680
51	रंजू व. भैया जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	6/2/2 8/1 9/6 60/9 60/10	0.937	0.937
		6/2/7 8/1 9/6 60/9 60/10	0.575	0.575

52	शांति पिता मल्लू जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	6/2/3 8/1 9/6/क 60/9 60/10	0.773	0.773
53	नजरसा मल्लू रंजू व भैया, भैया व. नवलू जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	6/2/4 8/1 9/6 60/9 60/10	0.655	0.655
54	मल्लू पिता भैया जाति गायकी सा.देह भूमिस्वामी	6/2/6	0.576	0.576
योग:-			56.688	48.512

1. चूंकि मेंढा मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिन प्रभावित परिवारों का विस्थापन हो रहा है, उनके विस्थापन हेतु धारा-19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार तैयार किया गया है जो पृथक से संलग्न है।
2. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) भैंसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
3. समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मैदा मध्यम सिंचाई परियोजना

ग्राम-खापा

पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन विवरण

परियोजना में कुल विस्थापित परिवारों की संख्या-

मकान संख्या 113

वयस्क परिवार 210

अ भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अनुसार

ब भू-अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2015 के अनुसार

क्र.	पुनर्वास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार की	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
1	कृषि, बागवानी, पशु चारागाह क्षेत्र के लिये प्रत्येक कुटुम्ब के लिये चरणोई भूमि सुरक्षित की जावेगी।	प्रभावित कुटुम्बों के लिये नियमानुसार चरणोई भूमि का प्रावधान किया जावेगा। विस्थापित ग्राम खापा के परिवारों की निजी भूमि के अर्जन का भुगतान किया जा रहा है			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 1 के अनुसार।
2	प्रत्येक कुटुम्ब को रहने के लिये आवासीय इकाई, पेयजल सुविधा, शौचालय इत्यादि उपलब्ध कराई जावेगी।	भू-खंड 2400 वर्ग फीट अधिनियम 2015 प्रारूप-IV नियम-9 के अनुसार।			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 2 के अनुसार।
3	(2) परन्तु यह और कि यदि ग्रामीण क्षेत्र में कोई प्रभावित कुटुम्ब ऐसा चाहे तो मकान के बदले, मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा।	कलेक्टर गाईड लाईन के अनुसार मकान का मूल्यांकन की राशि का दोगुना भुगतान किया जावेगा। मूल्यांकित राशि - 201.91 दोगुना राशि - 403.81			भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2013 दूसरी अनुसूची क्रमांक 1 पैरा-2 के अनुसार।
4	प्रत्येक कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रुपये वित्तीय सहायक एकमुश्त दी जावेगी। (अ) SC/ST कुटुम्ब को एक लाख पचास हजार रुपये।	210	150000.00	31500000	भू-अर्जन अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्विस्थापन 2015 स.क. 3 के अनुसार।

क्र.	पुर्नवास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
5	माहत्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी कार्य योजना या कोई अन्य कार्य उपलब्ध करने सरकारी स्कीम के अधीन भूमिहीन मजदूरों को रोजगार दिया	ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा संचालित मनरेगा स्कीम के अंतर्गत म.प्र.शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 4 के अनुसार।
6	प्रभावित कुटुम्ब के लिये विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यमों से दक्षता का विकास	म.प्र.शासन ग्रामीण एवं पंचायत विभाग द्वारा कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण दिया जाता है।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
7	विस्थापित कुटुम्बों के लिये एक वर्ष के लिये प्रतिमाह जीवन निर्वाह भत्ता के रूप में रु. 3000/- के समतुल्य पंचाट के तारीख से मंजूर किया जावेगा।	210	36000.00	7560000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 6 के अनुसार।
8	पशुपालन एवं छोटी दुकानों के लिये कम से कम 25000/- रुपये दिये जायेंगे।	113	25000.00	2825000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 5 के अनुसार।
9	अनुसूचित जनजाति प्रभावित गैर वन भूमि क्षेत्रों पर वैकल्पिक ईंधन, चारा और गैर इमारती वन संसाधन	भारत सरकार की उज्जवला योजना अंतर्गत ईंधन हेतु गैस कनेक्शन प्रदाय किया जावेगा। नियमानुसार चरनोई भूमि का प्रावधान किया जावेगा।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 8 के अनुसार।
10	मछली पकड़ने के अधिकार	विभाग द्वारा अनुशंसा की जायेगी।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2015 स.क. 9 के अनुसार।

क्र.	पुर्नवास अनुदान का विवरण	पात्र वयस्क परिवार	दर प्रति परिवार	कुल राशि लाख में	प्रावधान
1	2	3	4	5	6
11	भवनों की सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिये परिवहन भत्ता 50000/- प्रति कुटुम्ब	113	50000.00	5650000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 6 के अनुसार।
12	गैर कृषि भूमि या वाणिज्यकर करीगरी	6	25000.00	150000	भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 8 के अनुसार।
13	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस में छूट	स्टाम्प शुल्क एवं रजिस्ट्रीकरण फीस आवंटित भूमि की फीस विभाग द्वारा प्रदाय की जावेगी।			भू-अर्जन अधिनियम पुर्नवास एवं पुर्नविस्थापन 2013 स.क. 11 के अनुसार।

(डी.के.गुप्ता)

अनुविभागीय अधिकारी
जल संसाधन उपसंभाग
घोडाडोगरी

(ए.के.देहरिया)

कार्यपालन यंत्री
जल संसाधन संभाग कमाक 2
बैतूल

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
भैसदेही

21/12/2019
कलेक्टर
बैतूल

क्र.-7-अ-82-20-21-बैतूल बाजार-13149.-

बैतूल, दिनांक 17 नवम्बर 2020

प्रारंभिक अधिसूचना

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची - 1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे० मे	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	बैतूल बाजार	0.551	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल	बैतूल बाजार से एन.एच.-69 बायपास सड़क निर्माण हेतु भूमि का अर्जन ।

अनुसूची - 2**(प्रभावित धारकों की सूची)**

क्रमांक	भूमिस्वामी कषक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	शहनाज बे.असलम अजीज बैतूल बाजार भूमिस्वामी	299	0.388	0.062
2	शहनाज बे.असलम अजीज बैतूल बाजार भूमिस्वामी	301	0.016	0.016
3	अब्दुल हकीम व.अब्दुल रहमान	303/1	1.3	0.082
4	शिवकुमार, नरेन्द्रकुमार व. विद्याधर ब्राम्हण	80/1	7.403	0.08
5	विवेक उर्फजवाहर पिता शिवकुमार ब्राम्हण बैतूल बाजार भूमिस्वामी	80/2	0.405	0.017
6	पुष्पा जो गणेश प्रसाद कृष्ण कुमार, मनोज कुमार व गणेश प्रसाद कुर्मी	81/3	1.214	0.028
7	हंसकुमार व. नाथूराम कुर्मी, बैतूल बाजार भूमिस्वामी	86/1	1.215	0.046
8	बृजलाल व. दीनदयाल लोधी बैतूल बाजार भूमिस्वामी	89	1.117	0.128
9	मोली जो बृजलाल लोधी, बैतूल बाजार	106/2	1.821	0.014
10	सदन व. बृजलाल लोधी, बैतूल बाजार	106/3	1.821	0.016
11	सतीश व. बुधराव कुनवी	156	11.46	0.05
12	महेश कुमार, प्रमोद कुमार व. शिवकुमार कुर्मी	312	0.579	0.012
	योग		28.739	0.551

- 1 - चूंकि, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानिय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है।
- 2 - भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3 - कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4 - समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र.-8-अ-82-20-21-हनोत्या-13150.-

बैतूल, दिनांक 17 नवम्बर 2020

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक - 1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची - 1

जिला	तहसील	नगर / ग्राम	अर्जन का रकबा हे० में	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल	बैतूल	हनोत्या	0.158	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग बैतूल	बैतूल बाजार से एन.एच.-69 बायपास सड़क निर्माण हेतु भूमि का अर्जन।

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्रमांक	भूमिस्वामी कषक का नाम	खसरा नम्बर	भूमि का कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	उमेश कुमार हर्षप्रसाद ब्राह्मण बैतूल बाजार भूमिस्वामी	137/1	0.861	0.04
2	रमेश कुमार व.ओमकार प्रसाद जाति ब्राह्मण बैतूल बाजार	137/2	2.000	0.062
3	सविता जो अर्जुन वर्मा बैतूल बाजार भूमिस्वामी	137/18	0.861	0.03
4	बृजनारायण गजानन्द वर्मा व. गंगाराम, रमेशकुमार, कमलकुमार, दिलीपकुमार, हरीशकुमार व गणेश प्रसाद, ललिता, पुष्पा, हीराबाई, मालती पिता गणेश प्रसाद, नीलम बेवा नीलेश कुमार, तन्मय समर्थ व नीलेश कुमार भूमिस्वामी.	130/1	0.097	0.013
5	रमेश कुमार, कमलकुमार, दिलीपकुमार, हरीशकुमार व. गणेश प्रसाद, ललिता, पुष्पा, हीराबाई, मालती पिता गणेश प्रसाद, नीलम बेवा नीलेश कुमार, तन्मय समर्थ व नीलेश कुमार भूमिस्वामी	131/1	0.227	0.013
	योग		4.046	0.158

- 1 - चूंकि , हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है , जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) केइ तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की बेबसाईट , स्थानिय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
- 2 - भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है ।
- 3 - कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का , कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4 - समुचित सरकार की बेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

क्र.-44-अ-82-19-20-लालावाडी-13182.-

बैतूल, दिनांक 17/18 नवम्बर 2020

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आमला	लालावाडी	0.166	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् आमला	जल आवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं रास्ता मार्ग

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	सरजेराव व. धन्ना, जाति कुन्बी, सा.देह भू-स्वामी	66/2	0.789	0.040
2	पंजाबराव, सहदेव व. तुमडया, जाति कुन्बी, सा.देह भूमिस्वामी	67/1	0.594	0.126
योग:-			1.383	0.166

1- चूँकि जल आवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं रास्ता मार्ग हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगमन सृजित नहीं करेगा ।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

क्र.-43-अ-82-19-20-काजली-13182.-

बैतूल, दिनांक 17/18 नवम्बर 2020

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	आमला	काजली	0.566	मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका परिषद् आमला	जल आवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं रास्ता मार्ग

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	दमडी पिता धन्नु, सा.देह भू-स्वामी	252	0.162	0.030
		253	0.279	0.028
2	पिखोली बेवा धनाराम, गौरीशंकर पिता धनाराम, भीमराव पिता धनाराम, केवल, लता, भामा, शारदा पिता धनाराम, चन्नीलाल पिता भुजबल, पारन्या, बलीराम, लखन, शिवापाल पिता कुवरलाल, उर्मिला पिता कुवरलाल, देवकी बेवा देवरू, विनोद, मनोज पिता देवरू, कल्पना पिता देवरू, दसरी, सरस्वती, विमला, गुन्ता, कमला पिता भुजबल नापोली बेवा नारायण, सा.देह भूमिस्वामी	254	0.923	0.047
3	कलाबाई पत्नी आनंदराव, सा.देह भू-स्वामी	258/1	0.546	0.004
4	गुन्ता जौजे गनपती, सा.देह भू-स्वामी	258/2	0.202	0.011
		258/3	0.753	0.019
5	तुरसा बेवा भैया, मुकिंदराव, नत्थु, आनंदराव पिता भैया, सोनी, द्वारका पिता भैया, पंढरी पिता तुकाराम वली माँ गुन्ता, गुन्ता बेवा तुकाराम सा. देह भू-स्वामी	259	0.202	0.022
6	कृष्णा बेवा निम्बा उर्फ लक्ष्मण, जाति कुंभी सा.देह भू-स्वामी	260/1/1	0.454	0.007

7	सुभाष, निम्बा पिता लक्ष्मण, सा. देह भू-स्वामी	260/1/2	0.503	0.007
8	नरसिंग, निम्बा पिता लक्ष्मण, सा.देह भू-स्वामी	260/1/3	0.290	0.007
9	सुर्यभान, निम्बा पिता लक्ष्मण, सा.देह भू-स्वामी	260/1/4	0.249	0.007
10	विष्णु, श्रीराम पिता धुरु, बाया, सकु, सया पिता धुरु, गौडन, चिन्ध्या पुत्री धुरु, सा.देह भू-स्वामी	260/2	1.475	0.014
11	आनंदराव पिता जानबा, सा.देह भू-स्वामी	261	0.465	0.066
12	मुन्ना पिता रुन्जी, सा.देह भू-स्वामी	262/1	0.872	0.050
13	कौतिका पति नत्थु, सा.देह भू-स्वामी	262/1	0.872	0.063
14	रामदयाल पिता किसन, कौसाबाई बेवा रघुनाथ, जगन पिता किसन, दया पुत्री किसन, हेमंत, राजेश पिता रघुनाथ, रूखमणि पिता रघुनाथ, सा.देह भू-स्वामी	267/2/1	1.270	0.072
15	सुगन्ती पुत्री किशन, माहो पुत्री किशन, बाबु, मल्लू, इन्दल, हरिराम पिता लालू, नान्ही बेवा लालू, सा. देह भू-स्वामी	268/1	1.626	0.034
16	रामदयाल पिता किसन, सा.देह भू-स्वामी	268/2	1.142	0.064
17	भूपेस पिता सुरतलाल, ललीता, पिता सुरतलाल पुजा सुरतलाल नाबालिक पिता सुरतलाल	268/3	0.485	0.014
योग:-			12.770	0.566

1- चूंकि जल आंवर्धन योजना हेतु बैराज निर्माण एवं रास्ता मार्ग हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलिंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राकेश सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं पुनर्वास
अनुभाग-मऊगंज, जिला-रीवा मध्यप्रदेश**

क्र.-176-भू-अर्जन-कार्य-19.-

मऊगंज, दिनांक 13 नवम्बर 2019

**प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 929 दिनांक 01.04.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-पड़कनगांव-633 तहसील-नईगढ़ी जिला-रीवा से ग्राम-पड़कनगांव-633 तहसील-नईगढ़ी जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक सभागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
रीवा	नईगढ़ी	पड़कनगांव-633, पटवारी हल्का 15 पैकनगांव	313/2	0.029
			307	0.014
			240	0.018
			242	0.023
			244/1	0.010
			245	0.011
			265	0.008
			257	0.007
			258	0.021
			259	0.021
			260	0.011
			160/1	0.010
			160/2	0.027
			157	0.018
			158	0.022
			125	0.001
			124	0.003
			123	0.024
			101	0.003
			102	0.032
			103	0.035
			105/1	0.030
			106/3	0.002

			93/1	0.012
			93/4/1	0.002
			93/4/2	0.002
			93/4/3	0.002

क्र.-177-भू-अर्जन-कार्य-19.-

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 932 दिनांक 01.04.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-चोरोआ-293 तहसील-नईगढ़ी जिला-रीवा से ग्राम-चोरोआ-293 तहसील-नईगढ़ी जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 22/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
रीवा	नईगढ़ी	चोरोआ-293, पटवारी हल्का 15 पैकनगोंव,	96/1	0.019
			96/2	0.023
			95/2	0.009
			77/4	0.001
			78/1	0.019
			78/2	0.009
			79/2	0.013
			94	0.005
			93	0.016
			92	0.020
			88	0.006
			91	0.007
			90	0.006
			32/1	0.013
			32/2	0.013
			15/1	0.019
			15/2	0.021
			28	0.001
			23	0.031
			22	0.010
			21	0.022

क्र.-178-भू-अर्जन-कार्य-19.-

प्रारूप-घ
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 885 दिनांक 29.03.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- जोरौट 358 तहसील-नईगढ़ी जिला-रीवा से ग्राम- जोरौट 358 तहसील-नईगढ़ी जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 01/02/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
रीवा	नईगढ़ी	जोरौट 358, पटवारी हल्का 36 जोरौट	478	0.030
			487	0.006
			488/2	0.005
			489	0.006
			490/1	0.007
			484	0.005
			506	0.006
			492	0.027
			507	0.021
			544/2	0.002
			545	0.007
			546	0.019
			550	0.009
			551	0.019
			590/3	0.024
			597	0.010
			596/1	0.010
			595	0.005
			611	0.018
			610	0.008
			612	0.014
			637	0.011
			636	0.009
			635	0.012
			642	0.011
			650	0.004
			651	0.002
			652	0.006

			660	0.005
			659	0.005
			658	0.006
			656	0.001
			657	0.007
			246/1/2	0.012
			245/1/ख	0.015
			243	0.007
			239	0.005
			238	0.004
			237	0.005
			232	0.019
			225	0.026
			224/1	0.003
			505	0.005
			504	0.002
			503/1/2	0.003
			244	0.002

क्र.-179-भू-अर्जन-कार्य-19.-

प्रारूप-घ**(नियम-8 देखिए)**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 50 दिनांक 31.07.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम-लौरी कला 516 तहसील-मनगवां जिला-रीवा से ग्राम-लौरी कला 516 तहसील-मनगवां जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21/06/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
रीवा	मनगवां	लौरी कला 516, पटवारी हल्का 5 लौरी,	138/1	0.022
			138/2	0.020
			155/1	0.008
			155/2	0.007
			156	0.008
			157/2	0.011
			157/4	0.008
			158/1	0.004
			158/3	0.004
			158/5	0.006
			160	0.008
			161/2	0.012
			162/1	0.003
			162/2	0.003
			167	0.029
			166	0.023
			169	0.020
			102	0.028
			170	0.006
			105	0.018
			108	0.003
			110	0.006
			114	0.012
			113/2/2	0.016
			1211/1/46	0.013
			46	0.031
			45	0.010
			44	0.012

क्र.-180-भू-अर्जन-कार्य-19.-

प्रारूप-घ**(नियम-8 देखिए)**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 71 दिनांक 21.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए रीवा से ग्राम- लौरी तीसर 518 तहसील-मनगवां जिला-रीवा से ग्राम- लौरी तीसर 518 तहसील-मनगवां जिला-रीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21/06/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
रीवा	मनगवां	लौरी तीसर 518, पटवारी हल्का 5 लौरी,	184	0.031
			181/1	0.010
			180/2	0.007
			175/3	0.005
			179/1	0.017
			179/2	0.016
			163/2	0.001
			162/1/1	0.004
			162/1/2	0.004
			162/2	0.010
			158/2	0.007
			158/3	0.007
			159/1	0.007
			159/2/1	0.007
			159/2/2	0.007

क्र.-181-भू-अर्जन-कार्य-19.-

प्रारूप-घ**(नियम-8 देखिए)**

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के आधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक. 72 दिनांक 21.08.2019 द्वारा, राज्य सरकार ने नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना के लिए शीवा से ग्राम-लौरी खुर्द-517 तहसील-मनगवां जिला-शीवा से ग्राम-लौरी खुर्द-517 तहसील-मनगवां जिला-शीवा के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 21/06/2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चरपा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगनों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
शीवा	मनगवां	लौरी खुर्द-517, पटवारी हल्का 5 लौरी,	111	0.020
			110	0.016
			109	0.016
			105	0.022
			80/2	0.009
			79/1/क	0.016
			79/1/ख	0.012
			78/2/क	0.013
			58/1	0.002
			59/1	0.013
			59/2	0.020
			60/2/3	0.001
			55/1/2	0.026
			37/1	0.025
			37/2	0.003
			37/3	0.002
			37/4	0.002
			37/5	0.002
			31/1	0.011
			31/2	0.011
			30	0.005
			9	0.019
			7/1	0.001
			8	0.018
			4/1/क	0.017
			4/1/क/1	0.002
			4/1/ख	0.002
			3/3	0.011

माला त्रिपाठी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं सक्षम प्राधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन

राजस्व प्रकरण क्रमांक-अ-82-2019-20

क्र.-भू-अर्जन-2020-1765

उज्जैन, दिनांक 1 दिसम्बर 2019

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में पारित आदेश एवं मृदा परियोजना के कार्य तथा दर्शनार्थियों की सुविधा अंतर्गत एवं अन्य सुविधा अंतर्गत कस्बा उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार/भूमिस्वामी एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जागा प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु प्रोजेक्ट से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल वर्ग मी. में
श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु पार्किंग व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, जूता स्टेण्ड, ब्लॉक रूम व्यवस्था एवं अन्य सुविधा अंतर्गत	1273.68 वर्ग मीटर

अनुसूची (2)

श्री महाकालेश्वर मंदिर के सामने दर्शनार्थियों की सुविधा हेतु पार्किंग व्यवस्था, प्रसाद व्यवस्था, जूता स्टेण्ड, ब्लॉक रूम व्यवस्था, एवं अन्य सुविधा अंतर्गत कस्बा उज्जैन की प्रभावित भूमि का विवरण :-
तहसील व जिला उज्जैन कस्बा उज्जैन

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	मकान क्रमांक	कुल क्षेत्रफल वर्ग.मी. में	कुल अधिग्रहित क्षेत्रफल वर्ग मी. में	परिसम्पत्ति
1	श्रीमती शारदा पति पति प्रसन्ना चतुर्वेदी	167	166.05	166.05	मकान/वाटर सप्लाय कनेक्शन मटेरियल
2	श्री श्रीधर, अरविन्द, निशिकांत, गणेश परचुरे	168	122.175	122.175	मकान/वाटर सप्लाय कनेक्शन मटेरियल
3	श्री आशीष पिता चंद्रशेखर शर्मा	169	78.975	78.975	मकान/वाटर सप्लाय कनेक्शन मटेरियल
4	श्री विनायक तेलंग पिता राजाबाबू तेलंग	170	164.70	164.70	मकान/वाटर सप्लाय कनेक्शन मटेरियल
5	श्री साई फाउण्डेशन ट्रस्ट	127	245.76	245.76	मकान/वाटर सप्लाय कनेक्शन मटेरियल
6	श्री प्रकाश पिता जी.वी.रांगडेकर	128	81.792	81.792	मकान/वाटर सप्लाय कनेक्शन मटेरियल
7	श्री आधार पिता उल्लास गंधे	129	92.80	92.80	मकान/वाटर सप्लाय कनेक्शन मटेरियल

8	श्री विशाला पुत्री नारायण राव, संध्या पति दिलीप	130/2	102.52	102.52	मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
9	श्री आधार गंधे (उल्लास गंधे) हवाई हक	130/1			
10	श्री आधार पिता उल्लास गंधे	130	24.49	24.49	मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
11	श्रीमती सुशीला टीकेकर पति अनंत टीकेकर	131	160.38	160.38	मकान/वाटर सप्लाई कनेक्शन मटेरियल
	कुल		1273.68	1273.68	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश राजस्व विभाग

प्र.क्र.-2124-ए-2-82-2020-21.-

धार, दिनांक 26 नवम्बर 2019

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में सरदार सरोवर परियोजना में ग्राम भवरीया-खराजना-लोणी मार्ग के मध्य बाघनी नदी पर निर्माणाधीन उच्चस्तरीय सेतु निर्माण में ग्राम भवरीया तहसील कुशी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन 2013) के धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम भवरीया तहसील कुशी जिला धार :-

क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	सरदार सरोवर परियोजना में सेतु निर्माण हेतु	0.250	0	0.250

अनुसूची (2)

भवरीया-खराजना-लोणी मार्ग के मध्य बाघनी नदी पर निर्माणाधीन उच्चस्तरीय सेतु निर्माण अन्तर्गत ग्राम भवरीया तह. कुशी की प्रभावित भूमि का विवरण :-

क.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	श्रीमति सुन्दरबाई	205,	4.693,	0,	6.118	0,	0,	0,
	पति पिरमजी	207,	0.425,	0,		0,	0,	0,
	कुलमी ग्राम भवरीया	271	1.000	0		0.250	0	0.250

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्रमांक /भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित मकान की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक /अ-82/2014-2015 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम समेली के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छोटे हुए मकान जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न.230/1/2 रकबा 1.000 हेक्टेयर, 167/4 रकबा 1.341 एवं सर्वे न. 199 रकबा 0.038 हेक्टेयर पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एवं इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11(3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है।

—: अनुसूची (1) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम समेली

स.क्र.	आबादी का विवरण हे.में.		नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	मकान नम्बर	अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
	आबादी के सर्वे नं.	कुल रकबा			
1	2	3	4		5
1	230/1/2	1.000	आबादी		
2	167/4	1.341	आबादी		
3	199	0.038	आबादी		
	3	2.379			156.240

—: अनुसूची (2) :—

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान :- ग्राम समेली

1	167/4	1.341	लक्ष्मीनारायण पिता श्री गंगाधर जाति साहू	30	116.590
2			कुमेरसिंह पिता शिवसिंह निवासी टाड़ी जाति सौधिया	31	39.65
योग :-					156.240
कुल योग :-					156.240
				या (हे.में)	0.016

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

क्रमांक-43-अ-82-17-18-9137

सागर, दिनांक 11 नवम्बर 2020

भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारम्भिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजना भाईनर नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : देवरी
3. ग्राम : सोनपुर
4. पट. ह. नं.- : 13
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल :

सरल क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खं0 नं0	कुल रकवा	अर्जित रकवा	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण	भूमि का प्रकार	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	नंदकिशोर वल्द दयाली साकिन देह	भूमि स्वामी	52	0.7	0.030	शीशम-2 बबूल-1	सिंचित	
			86/1,3	0.09	0.020	निरंक	सिंचित	
2	फागू वल्द ग्याप्रसाद साकिन जनकपुर	भूमि स्वामी	53	0.45	0.030	तिन्सा-1	असिंचित	
			54/3	0.43	0.090	निरंक	असिंचित	
3	कमलरानी पति नंदकिशोर साकिन देह	भूमि स्वामी	57/1	1.16	0.100	निरंक	सिंचित	
4	सुभाषचंद वल्द नाथूराम साकिन गौरझाभर	भूमि स्वामी	86/2	0.59	0.090	निरंक	सिंचित	
			122/1	1.16	0.095	निरंक	सिंचित	
5	मिहीलाल वल्द तुलसीराम साकिन जनकपुर	भूमि स्वामी	121/1	1.04	0.090	निरंक	सिंचित	
			122/2	0.17	0.020	निरंक	सिंचित	
6	चतुर्भुज वल्द मिहीलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	121/2	1.04	0.100	निरंक	सिंचित	
7	रेवाराम गुलाबसींग बालीप्रसाद पिता बाबूलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	121/3, 4	0.1	0.010	निरंक	सिंचित	
			125/1	2.08	0.140	निरंक	सिंचित	
8	रेवाराम, गुलाबसींग बाली प्रसाद पिता बाबूलाल गुलाबबाई, खरपाबाई देवा बाबूलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	125/2	0.18	0.050	निरंक	सिंचित	
			127	3.69	0.120	निरंक	सिंचित	
9	रेवाराम वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	128/1	2.05	0.100	निरंक	सिंचित	
10	गुलाबसींग वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	128/2	2.05	0.150	निरंक	सिंचित	

11	बालीप्रसाद वल्द बाबूलाल साकिन देह	भूमि स्वामी	128/3	2.06	0.05	निरंक	सिंचित	
			130/6	0.18	0.03	निरंक	सिंचित	
12	रमेश वल्द जगमोहन साकिन जनकपुर	भूमि स्वामी	130/2	0.31	0.04	निरंक	सिंचित	
13	वीरेन्द्र कुमार वल्द शीतलचंद साकिन गौरझामर	भूमि स्वामी	130/3	0.22	0.01	निरंक	सिंचित	
14	गजराज गौरीशंकर पिता मनमोद साकिन जनकपुर	भूमि स्वामी	131/1	1.89	0.2	बबूल-2	सिंचित	
		कुल		21.64	1.565	6		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 15/12/2020 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-37-अ-82-2017-18-9493

सागर,, दिनांक 24 नवम्बर 2020

भूमि अर्जन और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में अधिनियम की धारा 15 के तहत प्राप्त आपत्तियों की यथाउपबंधित सम्यक् जाँच करने के पश्चात् समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : सोनपुर मध्यम परियोजना मॉडर्न नहर निर्माण हेतु
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : केसली
3. ग्राम : मदनपुर
4. पट. ह. नं.- : 21
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.200 हे०

सं. क्र.	भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खंड नं०	कुल रकबा	अर्जित रकबा	भूमि का प्रकार	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	हरिशंकर, रमेशकुमार, नर्मदाप्रसाद, महेशप्रसाद, विष्णुप्रसाद पिता मानकलाल, रामरानी देवा मानकलाल साकिन समनापुर	भूमि स्वामी	15	0.76	0.02	असिंचित	निरंक
2	रामप्रसाद पिता दोलत सींग साकिन समनापुर	भूमि स्वामी	18/6	1.61	0.17	असिंचित	निरंक
3	भागीरथ वल्द रामा, रामवती पति भागीरथ साकिन देह अहस्तांतरणीय	भूमि स्वामी	78/2	0.50	0.06	असिंचित	निरंक
4	अजय सिंह पिता श्रीसिंह सा. समनापुर	भूमि स्वामी	97/2	1.00	0.16	असिंचित	निरंक
		भूमि स्वामी	99	0.41	0.03	असिंचित	निरंक
5	रगराज, मनोहर, हाकम, लखन, राजू, प्रताप पिता खिलान, भागवती, सविता पुत्री खिलान साकिन समनापुर	भूमि स्वामी	101/2	1.21	0.12	असिंचित	निरंक
6	कमलेशरानी जोजे बदीप्रसाद साकिन समनापुर	भूमि स्वामी	173	0.95	0.03	असिंचित	निरंक
7	परशुराम, मोहन पिता शिवप्रसाद सा. डोमा	भूमि स्वामी	180/1	1.13	0.07	सिंचित	निरंक
8	लक्ष्मण सिंह वल्द वंशी साकिन डोमा	भूमि स्वामी	180/2	1.14	0.08	असिंचित	निरंक
9	तुलसीराम प्रताप पिता रतनसींग सा. डोमा	भूमि स्वामी	185/4	0.32	0.07	सिंचित	निरंक
10	हरगोविन्द वल्द बहादुर साकिन डोमा	भूमि स्वामी	185/8	0.32	0.05	असिंचित	निरंक

11	अर्जुन सींग पिता पूरनसींग, शीलारानी देवा रामप्रसाद साकिन समनापुर	भूमि स्वामी	75/1	3.91	0.16	सिंचित	सागौन-10
12	राजेश, राकेश पिता कैलाश प्रसाद, ऊषा, अर्चना, साधना, आराधना पुत्री कैलाश प्रसाद, नन्हीबाई देवा कैलाश प्रसाद साकिन केसली	भूमि स्वामी	75/3	0.80	0.05	असिंचित	सागौन-02
13	मुन्ना, मर्दन, शंकर, भगवानसींग, छुट्टन पिता उमराई, सरोज, कल्लो, भूरी, पप्पी पुत्री उमराई साकिन मुरई	भूमि स्वामी	120	0.64	0.06	असिंचित	निरंक
14	भूपेन्द्र सिंह, राजेन्द्र सिंह पिता रघुवीर सिंह, द्रोपतीबाई देवा रघुवीर सिंह साकिन बेरसला	भूमि स्वामी	122/2	0.86	0.10	असिंचित	निरंक
15	बखतसींग वल्द बाबूसींग साकिन बेरसला	भूमि स्वामी	125/1	2.60	0.07	सिंचित	निरंक
		भूमि स्वामी	124	1.46	0.18		निरंक
16	राजकुमार, रामस्वरूप, विमलसिंह पिसा उमराव, सुहागरानी, मुन्नीबाई, रामसखी पुत्री उमराव, प्रेमसिंह, यशवंतसिंह पिता टीकमसिंह सविता पुत्री टीकमसिंह अशोकरानी देवा टीकमसिंह	भूमि स्वामी	123	2.65	0.24	सिंचित	निरंक
17	छोटेला, भैयाजी, हीरालाल, प्रभूसिंह पिता सिंगम, खूबसींग वल्द दुण्डे सा.डोमा	भूमि स्वामी	162	2.61	0.14	असिंचित	निरंक
18	रामगोपाल पिता अशोक सा0 डोमा	भूमि स्वामी	163	1.87	0.14	सिंचित	निरंक
19	बलराम पिता नन्हेलाल साकिन समनापुर	भूमि स्वामी	175	0.85	0.09	असिंचित	निरंक
20	रामकिशोर, रामचरन पिता रतन, देवीसींग रमेश, छोटेबाई पिता भोला, हामसींग नाबालिग पिता भोला वली माँ व खुद सरोजरानी देवा भोला, रजनी पुत्री भोला साकिन देह	भूमि स्वामी	121	0.62	0.11	असिंचित	निरंक
TOTAL				28.22	2.20		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी देवरी जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 30/12/2020..... को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) देवरी जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-44 अ-82-20-21-9495

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के जल संसाधन विभाग संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर को प्रहलाद औरिया जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। परियोजना के निर्माण से लगभग 285 है. भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

- (1) परियोजना का नाम : प्रहलाद औरिया जलाशय
 (2) भूमि का विवरण :
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : जैसीनगर
 3. ग्राम : औरिया
 4. पट.ह.नं.- : 174
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 24.124 है.

:: अनुसूची-1 ::

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता/पति का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	कल्यानसींग वल्द पूरनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	477/1	0.690	1.280	कृषि
2	गुडडीबाई क्रांतिबाई कुमारी ममता पुत्री फुंदल सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	477/2	1.210		कृषि
3	मीराबाई वेवा महाराजसींग जसवंतसींग पिता महाराजसींग पार्वती विशाखा पुत्री महाराजसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	478/1	0.210	0.210	कृषि
4	दिलीप सिंह पिता जगत सिंह निवासी देह	भूमिस्वामी	478/2	0.210	0.210	कृषि
5	चन्द्रमान वल्द राजधरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	479/1	0.710	0.710	कृषि
6	भरतसींग पिता राजधरसींग साकिन औरिया	भूमिस्वामी	479/2	0.710	0.710	कृषि
7	दिलीपसिंह पिता जगतसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	480	0.830	0.830	कृषि
8	बहादुरसींग पिता मर्दन सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	481	1.050	1.050	कृषि
		भूमिस्वामी	482	0.810	0.810	कृषि
9	सुरेश पिता रामशिरोमणि शुक्ला साकिन सागर	भूमिस्वामी	483	0.920	0.920	कृषि
10	डेलनसींग पिता श्रीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	484	1.200	1.200	कृषि
11	सौरभ पिता डेलनसींग साकिन सागर	भूमिस्वामी	485	0.240	0.240	कृषि
		भूमिस्वामी	486	0.650	0.650	कृषि
		भूमिस्वामी	487	0.200	0.200	कृषि
12	राजेन्द्र सिंह वल्द पूरनसींग पूरनसींग वल्द खिलानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	489	0.960	0.960	कृषि
		भूमिस्वामी	490/3	0.250	0.250	कृषि
13	ललताबाई पति भगवानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	490/1	1.570	1.570	कृषि
14	नारायण सिंह पिता खिलान सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	490/2	1.480	1.480	कृषि
15	बबीता पति नारायण सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	490/4	0.100	0.100	कृषि
16	बूठा, दरईया दुर्गा मंगल पिता घूमन रजोबाई पार्वतीबाई पिता घूमन साकिन देह	भूमिस्वामी	491/1	0.800	0.800	कृषि
		भूमिस्वामी	492/1	2.680	2.680	कृषि

17	दरईया उर्फ दरयाव पिता घूमन साकिन देह	भूमिस्वामी	491/2	0.150	0.150	कृषि
		भूमिस्वामी	492/2	0.650	0.650	कृषि
18	सुनील नाबालिग पिता मंगल विनीता पिता मंगल वली माँ लक्ष्मीबाई वेवा मंगल साकिन देह	भूमिस्वामी	491/3	0.200	0.200	कृषि
		भूमिस्वामी	492/3	0.600	0.600	कृषि
19	रतनसिंह वल्द हरीसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	493	0.400	0.400	कृषि
20	रामपालसिंह बलवंत सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	494	0.400	0.400	कृषि
21	मंगलसींग वल्द हरीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	495	0.350	0.350	कृषि
22	नरोत्तम नरेन्द्र जाहर पिसरान पूरनसिंह जानकी पुत्री पूरनसिंह कमलरानी वेवा पूरनसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	496	0.350	0.350	कृषि
23	दामोदर पिता लल्लू रेवती पुत्री लल्लू उमेदी वेवा लल्लू साकिन देह	भूमिस्वामी	498/1	0.480	0.480	कृषि
24	रल्ली पिता प्यारे साकिन देह	भूमिस्वामी	513	1.090	1.090	कृषि
25	खितर पिता जूजा साकिन देह	भूमिस्वामी	514	1.610	1.000	कृषि
26	खडगसिंह पिता प्रहलाद साकिन देह	भूमिस्वामी	473	0.750	0.120	कृषि
27	सोनम पति खडगसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	465/1	1.020	0.134	कृषि
28	खडगसिंह पिता प्रहलाद साकिन देह	भूमिस्वामी	465/2	0.250		कृषि
29	राजकुमार पिता देवीसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	464	1.270	0.140	कृषि
30	पहारसींग पिता दीनासींग साकिन देह	भूमिस्वामी	423	1.670	0.160	कृषि
31	कृष्णाबाई जोजे रघुराज सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	402	1.330	0.110	कृषि
32	बसंत मनोज बालिग रामजी नाबालिग पिता मोहन वली भाई बसंत प्रेमबाई पुत्री मोहन साकिन पडरई	भूमिस्वामी	404	1.030	0.110	कृषि
33	इमरत पुत्री भगोना अहिरवार निवासी औरिया	भूमिस्वामी	405/1	0.600		कृषि
34	मंजू पुत्र भगोना अहिरवार साकिन औरिया	भूमिस्वामी	405/2	0.600		कृषि
35	फूलाबाई वेवा भगोना कुसुमरानी वेवा हरीराम इमरत मंजू पुत्र भगोना अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	405/3	0.400	0.190	कृषि
36	गीता श्रीबाई सविता पुत्री हरीराम कुसुमरानी वेवा हरीराम कमल महेन्द्र पुत्री हरिराम अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	405/4	0.600		कृषि
37	रामप्यारी नब्बी पुत्री भगोना अहिरवार साकिन देह	भूमिस्वामी	405/5	0.030		कृषि
38	बुन्देलसींग पिता हल्काई सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	412	1.400	0.040	कृषि
39	रघुराजसींग पिता हल्काई सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	413	1.790	0.153	कृषि
40	बुन्देलसींग पिता हल्काई सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	414	2.840	0.075	कृषि
41	विनीता पत्नि मोहन सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	418/1	1.750	0.064	कृषि
42	शांति सिद्धार्थ रानी नाबालिग पिता गुलाब वली खुद माँ गुड्डाबाई वेवा गुलाब साकिन देह	भूमिस्वामी	418/2	0.520	0.038	कृषि
43	कमलाबाई पति प्रताप सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	418/3	1.270	0.038	कृषि
44	दीना सिंह पिता गंगाधर साकिन देह	भूमिस्वामी	418/4	0.800	0.032	कृषि
45	पहारसींग पिता दीनासींग साकिन देह	भूमिस्वामी	419/1	0.200	0.190	कृषि
46	प्रताप सिंह पिता दीना सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	419/2	1.620		कृषि
योग:-			53	45.500	24.124	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र.- एफ 16-15-(8)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल, दिनांक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और

पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी वित्त्वंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) सागर, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-45 अ-82-20-21-9818

सागर, दिनांक 5 दिसम्बर 2020

चूंकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूंकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्राहों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है।

(1) परियोजना का नाम :-	बण्डा सिंचाई परियोजना
(2) भूमि का विवरण :-	
1. जिला	सागर
2. तहसील	बण्डा
3. ग्राम	उल्दन
4. पटवारी हल्का नं.	17
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	14.840 हेक्टेयर

:: अनुसूची - 01 ::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हे. में.	अर्जित भूमि (रकबा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	चंदनसींग वल्द रतनसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	236	0.110	0.110	
			237	0.100	0.040	
2	गुलाब वल्द गनेश बाबूलाल पिता मुन्नालाल पता सा कुरबाई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	238	0.200	0.140	
3	कलू मुन्ना पिता गजई बाबूलाल मुलू पिता भगुन्ता पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242/1	0.050	0.010	
4	जोधन देवदास रामदास पिस, गुलाब पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	242/2	0.050	0.020	
5	नरेन्द्र ना. वा. वल्द पालक गजराज पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	393	0.100	0.100	

6	लालाराम पिता सूरतसिंह बाबूलाल पिता भगोले पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	394	0.350	0.350	
7	इमरत लालसींग हरिद्वार माधव राजेन्द्र पिता रामलाल चंपाबाई पुत्री रामलाल सियारानी बेवा रामलाल दीपक पिता नंदराम ज्योति पुत्री नंदराम कृष्णाबाई बेवा नंदराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	406	0.250	0.240	
			480/1	0.250	0.140	
8	माधव लालसिंह पिस. रामलाल पटेल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	407	0.240	0.100	
9	जनक नाथूराम बृजकुमार वृन्दावन पिता अंगद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	480/2	0.250	0.080	
			1020	0.280	0.280	
			1022	0.270	0.270	
10	नथू वल्द कनई परम पिस. प्यारेलाल उत्तम अरविन्द्र हरिन्द विश्राम ना. वा. पिस. अमोल पालक व खुद भूमि स्वामी मां बसतरानी बेवा अमोल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	481/1	0.390	0.390	
			611	0.040	0.040	
11	अमरसींग पिता नथू इमरती पुत्री नथू जगरानी बेवा नथू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	481/2	0.020	0.020	
			612	0.080	0.080	
12	मुलुवा वल्द मुन्ना धुन्धावाल्द सुखमन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	494	0.210	0.210	
			544	0.050	0.050	
			592	0.020	0.020	
			1662	0.200	0.050	
13	श्रीदेव हनुमानजी मंदिर सा देह प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर भूमि स्वामी महन्त श्यामबिहारीदास चेला हरभजनदास पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	495	0.260	0.260	
			497	0.340	0.340	
			528	0.460	0.120	
			599	0.020	0.020	
14	भावनादेवी पति टेकचंद शोभना देवी पति संतोषकुमार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	496	0.210	0.210	
15	धनीराम वल्द कन्छेदी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	501	0.460	0.070	
16	श्रीदेव जानकी रमणजी मंदिर ट्रस्ट विन्दावन बाग गोपालगंज सागर मुह. महन्त श्यामबिहारी दास चेला हरभजनदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय पता सा सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	502	0.780	0.120	
			535	2.200	1.280	
			573	0.020	0.020	
			593	0.040	0.040	
			603	0.030	0.030	
			604	0.080	0.080	
			634	0.010	0.010	
			635	0.020	0.020	
			642	0.030	0.030	

17	बलराम माखन रामकिशन पिस. बाबूलाल जगरानी बेवा बाबूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	527	0.540	0.250	
			615	0.060	0.060	
18	मुलू वल्ल मुन्ना पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	529	0.400	0.050	
			602	0.040	0.040	
19	मथराबाई पति खुमान पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	532	0.410	0.030	
			613	0.120	0.120	
			1491/5	0.030	0.030	
			1491/7	0.020	0.020	
20	खुमान वल्ल फदाली पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	533	0.280	0.020	
			1491/4	0.010	0.010	
			1491/6	0.040	0.040	
			1491/8	0.010	0.010	
21	झबू उर्फ भबूदे मुन्ना उर्फ महीप बबू पिता गनेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	536	0.020	0.020	
22	श्री बृदान्वन बाग ट्रस्ट गोपालगंज स.मु. प्रेमनारायण चेला गरीबदास रामरतन रामचरनदास चेला प्रेमदास भूमि स्वामी बलराम रामप्रसाद मु. अति. कले. एवं प्रबंधक समिति बृन्दावन बागट्रस्ट गोपाल गंज भूमि स्वामी प्रबंधक कलेक्टर महोदय सागर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	537	0.680	0.680	
23	कपूरे मलखान प्रकाश शिवचरन रगवीर गब्बर वीरसिंह पिता मल्था द्रोपती पुत्री मल्था सुमत्रा बेवा मल्था पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	539	0.050	0.050	
			540/1	0.020	0.020	
			540/3	0.010	0.010	
			582	0.010	0.010	
24	सुमत्राबाई बेवा मल्थू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	540/2	0.020	0.020	
			540/4	0.020	0.020	
25	इमरत पिता गनेश मनकुवा पिता बालगोपाल कोमलबाई पति गनेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	543	0.050	0.050	
26	दलीप दुर्गादास तुलसी सुखसींग पिता नंना मैदाबाई बेवा नंना पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	547	0.090	0.090	
			584	0.020	0.020	
27	आशाराम वल्ल रामचरन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	553	0.010	0.010	
28	गनेश वल्ल बाबूसींग रमेश महेश पिस. हरप्रसाद सुमतरानी बेवा हरप्रसाद भूमि स्वामी भावनादेवी जोजे टेकचंद शोभना जोजे संतोष कुमार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	554	0.060	0.060	
			580	0.020	0.020	
29	नाथूराम मुन्नालाल महेन्द्र कुमार कमलकुमार पिस. भैयालाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	570	0.020	0.020	

30	सुखरानी बेवा मिरचू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	571/1	0.010	0.010	
31	विमलाबाई पुत्री मिरचू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	571/2	0.010	0.010	
32	अंगद रामलाल पिस. मोतीलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	572	0.040	0.040	
33	बाबूलाल वल्द अनंदीलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	574	0.020	0.020	
			578	0.050	0.050	
34	टेकचंद पिता डालचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	577	0.020	0.020	
			579	0.020	0.020	
35	रमेशकुमार महेश कुमार पिस. हरप्रसाद सुमनरानी बेवा हरप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	581	0.010	0.010	
36	दम्मा वल्द गोरा पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	583	0.020	0.020	
37	पुन्ना भगुन्ता छोटा पिस. कछुआ पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	585	0.030	0.030	
38	छुट्टा वल्द कलू परमिया पुत्री कलू प्यारेलाल वल्द हजारी शिवराज ना. या. वल्द बस्सू पा. आजी व खुद भूमि स्वामी बडीबहू बेवा हजारी रल्ली वल्द बल्ला पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	586	0.030	0.030	
39	हरदास रगवीर हरिनारायण मनोज हरिकिशन पिता खेतसींग आशा पुत्री खेतसींग फूलरानी बेवा खेतसींग गिरधारी भैयाराम फेरन पिस. कारे पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	587	0.040	0.040	
			655	0.030	0.030	
40	कडोरी पिता खिलान मझली बहू बेवा खिलान काछी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	588/1	0.020	0.020	
41	रूपसींग जगदीश गौरीशंकर शंकर पिता जाहर किल्लो पुत्री जाहर सुहागरानी बेवा जाहर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	588/2	0.010	0.010	
42	अमोलसींग रोहन पिता नंदकिशोर रामवती पति पूरन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	588/3	0.010	0.010	
			656/3	0.020	0.020	
43	विशुनिया मकिया पुत्री परमू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	589	0.030	0.030	
44	जगत वल्द हरिया मझली बहू बेवा भोला नथू वल्द हल्कू अच्छेलाल ना.वा. वल्द हल्कू भूमि स्वामी पा. मां खुद खुमानो बेवा हल्कू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	590	0.010	0.010	
45	विशुनिया मकिया पुत्री परमू सा. दहे पुन्ना भगुन्ता छोटा पिस. लछुवा पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	591	0.010	0.010	
46	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल लटोरा वल्द लुखवा दम्मा वल्द गोरा भूमि स्वामी मेंदाबाई बेवा नंना दलीपदुरगा तुलसी रूपसींग पिता नंना पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	594	0.010	0.010	
47	रंजीता वल्द मंगला पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	595	0.120	0.120	

48	रल्ली लछमन वल्द जुगरू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	596	0.020	0.020	
49	नाथूराम सुन्दर ग्यारसीपिता मोहन रंजीता फुल्ला पिता मंगल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	597	0.040	0.040	
			598	0.040	0.040	
50	कल्लो पुत्री कनेया पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	600	0.010	0.010	
51	गजराज संतोष छोटे पिता हीरालाल अशोक माखन नन्ने प्रभुदयाल पिस. धनप्रसा सुमतरानी बे धनप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	601	0.060	0.060	
52	हरीसींग वल्द रगवर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	605	0.040	0.040	
			1579/1	0.100	0.100	
53	किशुन खेतसींग मुन्ना पिस. भोपाल फूलरानी बेवा भोपाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	606	0.080	0.080	
54	रगवर पिता भैयालाल काछी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	607	0.080	0.080	
			609	0.100	0.100	
55	परम अमोल पिता प्यारेलाल सुखरानी बेवा प्यारेलाल हरबाई ताराबाई विमल पुत्री प्यारेलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	610	0.080	0.080	
56	भगवानदास वल्द कन्हेदीसा. सागर मनमोहन वल्द देवसींग पूना बेवा देवसींग भूरीबाई हरबाई चतराबाई भूमि स्वामी काशीबाई पुत्री देवसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	614	0.050	0.050	
57	आकाश बा देशराज नाबा पिता रामेश्वर पालक व खुद मां संतोषरानी बेवा रामेश्वर शशि पुत्री रामेश्वर दामोदर धनीराम पिस. नारायण गंगाबाई कुंवर बाई पुत्री नारायण पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	617	0.060	0.060	
58	गनेश वल्द ननू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	618	0.040	0.040	
59	मुरली भरत इंदुर चिन्तामन नन्ने भाई पिस. ग्याप्रसाद गुलाबरानी बेवा ग्याप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	619	0.010	0.010	
			621	0.010	0.010	
60	लल्लू वल्द मकुदी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	620	0.010	0.010	
			624	0.080	0.080	
61	किशन तुलसी गुपाल माधव रज्जू कलू पिस. उद्वेतरामवती गड्डी पु. उद्वेत सुकरानी बेवा उद्वेत पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	622	0.010	0.010	
62	मलखान राधेश्याम पिस. बारेलाल तलसाबाई ना वा पुत्री बारेलाल पालक व खुद मां पूनाबाई बेवा बारेलाल रामचरण हुकम पिस. पतोला रुकमन रामकली आशाबाई पुत्री पतोला पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	623	0.010	0.010	
			1167	0.060	0.060	
63	मिट्टू जुम्नू रामदन रामसींग पिस. बालचंद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	625	0.020	0.020	

64	धनप्रसाद पिता सरयूप्रसाद सुगंधी तुलसा पु. बंशी ओंकार सुरेश राकेश पिस. प्रेमनारायण दीपक पिता जगमोहन भावना पुत्री जगमोहन सरोज बेवा जगमोहन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	626	0.010	0.010	
			1470	0.070	0.070	
			1501	0.070	0.070	
65	देवेन्द्र नारायण रवीन्द्र नारायण राजेन्द्र नारायण पिता ग्याप्रसाद प्रेमापुष्पा पुत्री ग्याप्रसाद पता सा दुर्ग भूमि स्वामी महेश प्रसाद शिवनारायण पिता लछमन प्रसाद भगवानदास राममनोहर गनेश पिता रामदयाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	627	0.010	0.010	
66	शारदाबाई पुत्री शोभाराम पति रामसवक पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	627/1690	0.010	0.010	
			1199	0.050	0.050	
			1450	0.020	0.020	
67	ओमप्रकाश विजय कुमार बृजभूषण पिता धनीराम राधारानी बेवा धनीराम लता कंचन नावा. पुत्रिया रामप्रसादवली व खुद मां चंदाबाई बेवा रामप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	629	0.040	0.040	
68	राजेन्द्र राकेश पिता द्वारका प्रसाद निशा पुत्री द्वारका प्रसाद इन्द्ररानी बेवा नर्मदाप्रसाद छोटे रवि रामस्वरूप पिता नर्मदाप्रसाद जानकी पुत्री नर्मदा प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	630/1	0.020	0.020	
69	रामकृष्ण केशवप्रसाद पिस. कामता प्रसाद शेवरानी बेवा कामताप्रसाद श्यामा गिरजा शकुन पुत्री कामता प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	630/2	0.010	0.010	
70	राकेश चमनलाल पिता द्वारका निशा पुत्री द्वारका गायत्री बेवा द्वारका रेखा पुत्री छोटे लाल रामस्वरूप रविशंकर पिता नर्मदाप्रसाद बतीबाई जानकीबाई पुत्री नर्मदाप्रसाद भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	631	0.040	0.040	
			1449	0.020	0.020	
71	किशन वल्द जूजा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	632	0.020	0.020	
72	पंचा कडोरा पिता चेतुआ बडीबहू बेवा चेतुआ श्यामा पूना छोटी पुत्री चेतुआ आविदवासनवारी बेवा हल्कुआ भूमि स्वामी दुरगा गनपतियां पंचुआ पुत्र हल्कुआ कलुवा पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	633	0.010	0.010	
			637	0.020	0.020	
73	खिलान पिता दमरु भरोसी पिता खुमान नन्हेभाई जमना गंधर्व पिता भरोसी राजेश धर्मेन्द्र देव नावा पिता सेवक मीना गायत्री विट्टू नावा पुत्री सेवक पा व खुद मां राजरानी बेवा सेवक सरस्वती पु. दमरु छोटा फुदिया पिता शकुला पानबाई बेवा शुकला पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	636	0.050	0.050	
			638	0.040	0.040	
74	घसीटे पिता छुट्टी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	639/1	0.020	0.020	

75	मनोज पिता छुट्टी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	639/2	0.020	0.020	
76	अनुराद नाबा पिता चिन्तामन कृष्णा बालिग उत्तरा नाबा पुत्री चिन्तामन पालक व खुद मां रामरानी बेवा चिन्तामन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	639/3	0.020	0.020	
77	बलराम सुखसींग रामप्रसाद पिता भुजबल दशोदाबाई पुत्री भुजबल संदीप बा. अरविन्द्र धनीराम ना वा पिता दिनेश संजो पुत्री दिनेश मुन्नीबाई बेवा दिनेश पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	640	0.140	0.140	
78	जनकसींग वल्द अंगदसींग पटेल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	644	0.010	0.010	
			645	0.010	0.010	
			646	0.010	0.010	
79	बिहारी संतोष पिता गनेशसियारानी बेवा गनेश लीला रामवती राधाबाई फूलबाई बैजंती पुत्री गनेश भूमि स्वामी मीराबाई पुत्री सुन्दर काशीराम वल्द सुन्दर पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	649	0.030	0.030	
80	नथू वल्द मांगू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	672	0.020	0.020	
			676/2	0.030	0.030	
			677	0.020	0.020	
81	गप्पू पूरन शंकर पि. दम्मा शांतिबाई पुत्री दम्मा नथू नंदलाल पि. मांगू सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	676/1	0.030	0.030	
82	श्रीदवे जानकी रमणजी मंदिर ट्रस्ट बिन्द्रावन बाग गोपालगंज सागर, मुह. महन्त श्यामबिहारीदास चेला हरभजनदास प्रबंधक कलेक्टर महोदय पता सा सागर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	692	0.050	0.050	
			917	4.770	0.300	
83	छोटा वल्द लछू पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	764	0.590	0.590	
84	छोटा वल्द पारीक्षत पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	765	0.690	0.690	
85	कडोरे वल्द निरभे पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	766	0.800	0.800	
86	बलराम दिनेश सुखसींग राम प्रसाद पिस भुलवल पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	849	0.280	0.280	
87	बिहारी पिता गनेश नि. ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1153	0.130	0.130	
88	रामचरण व. लालसींग सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1259	0.240	0.240	
89	चन्द्ररानी पति वीरसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1334	0.600	0.600	

90	रामरतन भैयालाल पिस. नन्नू बलराम माखन रामकिशन पिस. बाबूलाल गजरानी वे. बाबूलाल गुलझारी गोपी शंकर भुजबल पिस. गनेश राजरानी वे. गनेश कमलेश राकेश सुकेश पिस. फूलू रामप्यारी राजकुमारी गौराबाई पार्वतीबाई पुत्री नन्नू नत्थीबाई पुत्री रामलाल पता सा देह भूमि स्वामी पंचम भगवानदास देवसिंह दिनेश पिता अच्छेलाल कल्लू कुसुम रुक्मन पुत्री अच्छेलाल चंद्ररानी बेवा अच्छेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1463	0.010	0.010	
91	फूला पुत्री पंचुआ सा पिपरिया इमलई, चिन्तामन पिता ग्याप्रसाद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1465	0.010	0.010	
92	कमोदसींग पिता भूजबलसींग पता सा बेसली भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1466	0.030	0.030	
			1474	0.060	0.060	
			1475	0.030	0.030	
93	रामदयाल वल्द खुमान पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1468	0.120	0.120	
94	राहुल रोहित पिता अवधबिहारी विनीता नवीता पुत्री अवधबिहारी माया बेवा अवध बिहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1471/1	0.050	0.050	
95	बलराम रूपनारायण पिता श्याम बिहारी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1471/2	0.060	0.060	
96	हरदास वल्द कुंजी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1472/1	0.020	0.020	
			1473/2	0.020	0.020	
97	रामप्रसाद कोमल पिस. भबूदे नर्मदाबाई बेवा भबूदे रामरानी बेवा हरीराम नंजीबाई भूमि स्वामी द्रोपतीबाई पुत्री हरीराम पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1472/2	0.020	0.020	
			1473/1	0.010	0.010	
98	धनप्रसाद पिता सरयूप्रसाद सुगंधी तुलसा पु. बंशी ओंकार सुरेश राकेश पिस. प्रेमनारायण दीपक पिता जगमोहन भावना पुत्री जगमोहन सरोज बेवा जगमोहन पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1525	0.100	0.100	
99	किशन खेतसींग मुन्ना पिस. भोपाल फूलरानी बेवा भोपाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1578	0.250	0.060	
100	रामजी ना बा पिता पंचम वली दादा रगवर पिता भैयालाल काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1579/2	0.100	0.100	
101	आशारानी पति केशरलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1581	0.170	0.170	
			1583	0.300	0.190	
102	दरयाव वल्द भोपाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1584/1	0.630	0.120	

103	संतोष कुमार वल्द डालचंद पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1584/2	0.800	0.340	
104	किकोबाई मालतीबाई भुनाबाई गुडडीबाई पुत्री चेतू रामदुलारी बेवा चेतू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	1663	0.080	0.020	
	कुल:-		165	25.000	14.840	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा जो पुर्नपास और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रशासक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई वित्तीय सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-46 अ-82-20-21-9834

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को बण्डा परियोजना बण्डा बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक-22(ए)/363/2018/एम.पी.एस./31/1110 भोपाल दिनांक 26.06.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं बण्डा सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/8/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 14 मई 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग 352 ग्रामों की लगभग 80,000 है, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाना है।

- (1) परियोजना का नाम :- बण्डा परियोजना जिला सागर बण्डा बांध
- (2) भूमि का विवरण :-
1. जिला सागर
 2. तहसील बण्डा
 3. ग्राम पडवार
 4. पटवारी हल्का नं. 14
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल 9.670 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

स.क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हे. में.	अर्जित भूमि (रकवा हे. में.)	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रीबाई जोजे बीरसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25	1.260	1.260	
2	गजू पिता मोहनलाल पता पडवार बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	292	0.580	0.310	
3	खुमान पिता कच्छेदी लाल नाई पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	293	0.490	0.490	
			294	0.460	0.460	
4	देवेन्द्र सिंह पिता भूपेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	296	0.050	0.050	
			297	0.350	0.350	
			299	1.620	1.620	
			345	0.500	0.500	

5	परसादी जगन्नाथ पिता मुन्नालाल दामोदर हल्ले भाई पिता खूबे भागवती बेवा खूवो चमार पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	303	0.610	0.180	
6	देवीसींग पिता परमसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	313/1	0.220	0.220	
7	हल्काई गनेश राकेश अशोक पिता धीरजसींग विधाबाई बेवा धीरजसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	313/2	0.210	0.210	
8	उजयारसींग जाहरसींग रामसींग मेघराजसींग पिस. पहाड़सींग सीताराम शंकर विश्वनाथ पिस. वीरसींग श्रीबाई बेवा वीरसींग प्रीतमसींग बहादुरसींग ना बा इमरतसींग पिता शिवराजसींग जेवाबाई बेवा शिवराजसींग पता पडवार सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	378	1.280	1.280	
			379	0.270	0.270	
			411	0.040	0.040	
9	पंचमसींग पिता भबूदसींग पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	388/1	0.200	0.200	
10	परवतसींग पिता बट्टलाल पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	388/2	0.600	0.600	
11	उजयार बगौरा	भूमि स्वामी	410/2	1.220	1.220	
12	इन्दल बहादुरसींग राजेन्द्र देशराज भोपाल पिता रंधीरसींग सतेन्द्र पुष्पेन्द्र पिता शीतलसींग राजकुमारी बेवा शीतलसींग जितेन्द्र शैलेन्द्र पिता साहबसींग विमला बाई बेवा साहबसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	635	0.170	0.040	
13	गोदाबाई पति जंगभान लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	649	0.050	0.020	
			650	0.210	0.050	
			655	0.420	0.120	
14	सोनाबाई बेवा नारायणसिंह जाति लोधी पता सा देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	653	0.690	0.100	
15	प्रहलाद सिंह फूलसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	654	0.420	0.080	
कुल :-			23	11.920	9.670	

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा. 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर को अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बण्डा एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-52 A-82-20-21-9835

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

विनायकी

4. पटवारी हल्का नं.

03

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

0.490 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	इन्द्रपाल सिंह पिता दलीपसिंह पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/3	1.080	0.110	0.970
2	बहादुर गणेश इन्द्रसिंह वल्द गोरेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/5	0.700	0.080	0.620
3	गोदाराम वल्द रतन ऊषाबाई पत्नि गोदाराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/6	0.500	0.090	0.410

4	समशुलकमर पिता लालमिया पता सा. राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/7	1.200	0.060	1.140
5	रामकिशन पिता जगन्नाथ पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/1	0.810	0.006	2.664
6	रन्धीर पिता जगन्नाथ पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/2	0.800		
7	नर्मदाप्रसाद उर्फ विनयकुमार पिता विश्राम पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/3	0.260		
8	नरवदीबाई उर्फ शीलरानी पुत्री जगन्नाथ पति सोहनसींग पता तोड़ा खुरई सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/4	0.400		
9	सुशीलाबाई उर्फ शशि पुत्री जगन्नाथ पति बिहारी पता कजरई त्योंदा विदिशा मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	15/5	0.400		
10	बारेलाल पि.मनमोहन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/1	0.120	0.024	0.216
11	भगवानसींग पिता हरप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/2	0.120		
12	राजकुमार पि.रामेश्वरप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	0.620	0.060	0.560
13	बिहारीलाल पि.शंकरलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/1	0.080	0.020	0.370
14	छोटेलाल पि.शंकरलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/2	0.110		
15	कैलाशसींग पि.शंकरलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/3	0.100		
16	रहीशसींह पि.शंकरलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	81/4	0.100		

17	अर्जुन उर्फ मथराप्रसाद ना.बा.वल्द व वली अमरतसींग कुर्मी पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	89	2.580	0.040	2.540
	योग		17	9.980	0.490	9.490

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-51 A-82-20-21-9836-

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहाँ पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहाँ इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला	सागर
2. तहसील	राहतगढ़
3. ग्राम	मढ़ियावदा
4. पटवारी हल्का नं.	03
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल	3.579 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	शेष रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	गब्बू पिता दिमान इमरतबाई पुत्री गब्बू आदिवासी सौर पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/2	0.900	0.410	0.490
2	लक्खू पिता दिम्मान जानकी बाई पति लक्खू पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/3	0.500	0.230	0.270
3	बुद्धा पिता गोरेलाल गुड्डीबाई पति बुद्धा पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/4	0.500	0.130	0.370

4	मंगल पिता गोरेलाल कुंवरबाई पिता मंगल पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/5	0.500	0.010	0.490
5	हल्कई पिता महताप सुमतरानी पति हल्कई पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/8	0.500	0.350	0.150
6	रामसींग पिता महताप चन्द्रानी पति रामसींग पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	2/9	0.500	0.270	0.230
7	बिहारी पिता खरगे आदिवासी पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	4	1.660	0.385	1.275
8	नन्हेराम वल्द शोरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6	2.130	0.320	1.810
9	कशिया पिता खरगे पता सा.वोदरी तह.खुरई भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	10	1.860	0.160	1.700
10	दिनेश वल्द गुमान ललिताबाई पति दिनेश पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/1	0.650	0.080	1.240
11	उमेश पिता गुमान धानक पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	12/2	0.670		
12	महताप पिता धन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/1	1.240	0.020	2.020
13	भीकमसींग पिता अमानसींग पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	23/2	0.800		
14	मोहरसींग मूलचंद पिता नारान जयबाई बेवा नारान पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/1	0.800	0.040	1.610
15	मुहरसींग नाबा वल्द बली नारायण सिंह पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/2	0.400		
16	बल्लू वल्ल रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/3	0.400		
17	तुलाराम वल्द रामप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	25/4	0.050		
18	साविर मिया पिता शेख चुन्ना पता निवासी ग्राम राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	37	0.370	0.260	0.110
19	कमल पिता फूलसींग पता निवासी ग्राम विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/1	0.110	0.020	0.200
20	शुभम पिता बलराम जाति कुर्मी पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी ममता बेवा बलराम जाति कुर्मी पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	38/2	0.110		

21	रतन पिता काशीराम चढ़ार हरिजन भूमि स्वामी सा. विनायकी	भूमि स्वामी	40/1	1.840	0.160	2.080
22	पुनु पिता रतन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	40/2	0.400		
23	हजारी रामरतन हरकिशन पिता मोतीलाल पता सा. विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	42	1.680	0.330	1.350
24	दिमान पिता रामकिशन आदिवासी (सौर) पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	45	0.860	0.205	0.655
25	भीकमसींग पिता अमानसींग पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	48	0.050	0.005	0.045
26	टीकाराम पिता गोरेलाल पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51/1	0.350	0.002	0.698
27	उमराव पिता अमान कुर्मी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	51/2	0.350		
28	दुरगसिंह पिता प्रेमसिंह पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	57/1 57/2/1 - 0.810	4.430	0.045	4.385
29	शिवकांत पिता जीवनसींग पता विनायकी राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65	0.130	0.002	0.128
30	मिडू पिता लच्छू भूरीबाई पति मिडू पता निवासी विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67/2	0.530	0.035	1.545
31	पप्पू पिता लच्छू वैनिबाई पति लच्छू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67/3	0.530		
32	चन्द्रभान पिता लच्छू पता निवासी विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	67/4	0.520		

33	विनोद कुमार पिता घनश्याम पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74	0.550	0.010	0.540
			79/2	0.740	0.035	0.705
34	भगवानसींग पिता हरप्रसाद कुर्मी पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	1.200	0.040	1.160
35	प्रेमनारायण पिता बालमुकुन्द कुर्मी पता सा.विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/1	0.230	0.025	1.125
36	नेतराम पिता बालमुकुन्द पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/2	0.230		
37	शैलेन्द्र ना वा बल्द व वली नेतराम पता निवासी विनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/3	0.230		
38	नोनीबाई पुत्री बालमुकुन्द पति रिसीराज पता सा.ग्वारी तह. भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/4	0.230		
39	सोहिल ना वा बल्द बली नेतराम पता सा. करैया गूजर भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77/5	0.230		
योग			40	29.960	3.579	26.381

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई वित्तीय गम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-49-अ-82-20-21-9838

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| (1) परियोजना का नाम :- | हनौता सिंचाई परियोजना |
| (2) भूमि का विवरण :- | |
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | राहतगढ |
| 3. ग्राम | साईखेड़ा |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 02 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 0.050 हेक्टेयर |

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकबा	अर्जित रकबा	शेष रकबा
1	2	3	4	5	6	7
1	राजेश वल्द रतन पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/1	0.600	0.050	5.950
2	सबरू पुत्र गोरेलाल पता साईखेड़ा राहतगढ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/2/1	0.240		
3	जगतसींग पुत्र विश्वनाथ पता अंबेडकर वार्ड सागर सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/2/2	0.160		
			152/4/2	0.400		
4	रामसेवक बल्द हरचंद पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/3	2.100		

5	कल्लू पुत्र गोरेलाल पता साईखेड़ा राहतगढ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/4/1	0.300		
6	प्रेमसिंह बल्द मुलू घोसी पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/5	0.600		
7	प्रयाशु प्रशांत नावा पिता मनोज कुमार शर्मा पालक व खुद माँ प्रभा ऊर्फ शिवरानी बेबा मनोज कुमार पता सा. देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/6	0.400		
8	सीताराम बल्द रतन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/7	0.400		
9	गोकल बल्द रतन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/8	0.600		
10	रवि बल्द प्रेमसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	152/9	0.200		
	योग		11	6.000	0.050	5.950

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-48 A-82-20-21-9839

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

(1) परियोजना का नाम :-

हनौता सिंचाई परियोजना

(2) भूमि का विवरण :-

1. जिला

सागर

2. तहसील

राहतगढ़

3. ग्राम

बम्हौरी सेठ

4. पटवारी हल्का नं.

02

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

4.449 हेक्टेयर

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	रमेश बल्द बुद्धलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/3	0.800	2.120	2.880
2	राजेश बबलू पिता बुद्धलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/4	0.800		

3	रानू पिता बलराम पता राहतगढ राहतगढ सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी लखन पिता बलराम पता राहतगढ राहतगढ सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी श्रीराम पिता बलराम पता राहतगढ राहतगढ सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/5	0.500		
4	गोविन्द वल्द बल्लु पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/6	0.500		
5	सतोष वल्द कहमान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/7	0.700		
6	राजकुमार पिता लालसींग अशोकरानी पति राजकुमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/8	0.500		
7	निरपत पिता रन्धीर पिता हीरालाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/9	0.500		
8	मंशाराम बल्द जंगली रोहित मोहित बा. श्रद्धा नाबा. पिता बहादुर पालक व खुद मां शशिबाई बेवा बहादुर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	5/10	0.700		
9	चुन्ना पिता हल्काई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/1	1.610	0.290	2.920
10	हरी व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/2	0.400		
11	भागीरथ व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/3	0.400		
12	श्रीमति विद्यादेवी पति जगतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	6/4	0.800		
13	रमेश प्यारेलाल पिता चुन्नीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/1	0.590	0.150	1.040
14	प्रेम व. पलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	7/2	0.600		
15	बाबूलाल व.भबूती साहू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	8	1.090	0.210	0.880
16	घनश्याम व.बलराम पता सा.खताखेड़ी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	9	0.460	0.120	0.340
17	मोहन दयाराम पिता जमना पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/1	0.820	0.031	4.069
18	रामप्रसाद वल्द तिजई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/2	0.820		

19	कमलेश वल्द शीलचन्द जैन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/3	0.820		
20	भैयालाल व तिजई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/4	0.820		
21	हरप्रसाद व तिजई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	13/5	0.820		
22	प्रानसिह वल्द हुकुमसिह पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	64	0.050	0.004	0.046
23	सुनील कुमार पिता रामसेवक पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65/1	0.900	0.080	1.720
24	नर्मदा प्रसाद पिता मिहीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	65/2	0.900		
25	मनोज ना.वा.वल्द व वली नर्मदाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	66	0.410	0.040	0.370
26	छोटेलाल पिता जबार पता राहतगढ़ सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	68	0.400	0.120	0.280
27	चैनसींग पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/1	0.140	0.120	4.130
28	करनसींग पिता धनू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/2	0.620		
29	कमलेश वल्द शीलचन्द जैन पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/3	1.420		
			69/4	0.400		
30	प्रानसिह वल्द हुकुमसिह पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/5	0.400		
31	रामवती पति खेतसींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/6	0.850		
32	खेतसींग पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/7	0.140		
33	गनेश पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/8	0.140		
34	शिवराज पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	69/9	0.140		
35	रमेश प्यारेलाल पिता चुन्नीलाल पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/1	1.530	0.110	2.940
36	प्रेम व. पलू पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	70/2	1.520		

37	अमान पिता बारेलाल पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	71	1.040	0.042	0.998
38	राजीवकुमार पिता नर्मदाप्रसाद पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/1	0.850	0.072	1.178
39	रामबाई पुत्री भागीरथ प्रसाद ब्राह्मण पता सा.घसोय जि. विदिशा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	72/2	0.400		
40	विजयसींग अजयसींग पिता सीताराम शारदाबाई सुनीताबाई विनीताबाई पुत्री सीताराम पता सा.वटयावदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	74	1.220	0.170	1.050
41	श्री मुरलीधर जी देव मंदिर वाके प्रबंधक कले.महो.सागर पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	75	2.790	0.440	2.350
42	मंदिर श्रीदेव जानकी रमण जी देवमंदिर बाके मौजा रुसल्ला मु.ग.नेशसिंह पिता ग्याप्रसाद प्रबंधक कले. भूमि स्वामी महो. सागर पता सा.रुसल्ला भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	77	0.820	0.024	0.796
			78	6.670	0.170	6.500
43	आशाराम बल्द धरमचंद अहिल्याबाई पुत्री धरमचंद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/1/1/1	0.350	0.076	3.274
44	रहूपमियां बल्द शरीफ अहमद पता निवासी राहतगढ़ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/1/1/2	0.400		
			85/1/2	0.400		
			85/3	1.200		
			85/7	0.200		
45	चैनसींग पिता खिलान पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/2	0.200		
46	खेतसींग पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/4	0.200		
47	गनेश पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/5	0.200		
48	शिवराज पिता खिलान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	85/6	0.200		
49	रामकिशन बल्द रामेश्वर पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/1	0.780	0.048	2.692
50	प्रानसिह बल्द हुकुमसिह पता सा.बासोदा भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/2	0.400		
51	नंदराम पिता रामेश्वर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/3	0.780		
52	मुन्नालाल पिता रामेश्वर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	96/4	0.780		

53	रामनाथ बल्द रामचरण शारदा पुत्री रामचरण पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/1	0.560	0.004	0.556
54	मु. समीर ना.बा. बल्द व बली प्यारेमियां पिता लालमियां पता राहतगढ भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	98/2	0.470	0.004	0.466
55	जगदीश प्रसाद वल्द बाबूलाल दुबे पता निवासी ग्राम बिनायकी भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	99/3	3.200	0.004	3.196
योग			60	49.120	4.449	44.671

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मचारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक-47 A-82-20-21-9840

चुकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, राज्य शासन के विभाग बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर को हनौता सिंचाई परियोजना अंतर्गत हनौता बांध निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है। इस परियोजना में निहित व्यापक लोकहित के दृष्टिगत कुछ प्रभावित व्यक्तियों का विस्थापन आवश्यक हो गया है। चूँकि परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति म.प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22(ए)371/2018/एम.पी.एस./31/1742/भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा प्रदाय की गई है एवं हनौता सिंचाई परियोजना के टी.ओ.आर. की स्वीकृति केन्द्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र क्रमांक J-12011/19/2018-A-1(R) नई दिल्ली दिनांक 10 अगस्त 2018 द्वारा प्राप्त की जा चुकी है। अतः अधिनियम की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण के उपलब्ध लागू नहीं होंगे। भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6(2) के परंतुक अनुसार ऐसी सिंचाई परियोजना की बावत् जहां पर्यावरण समाघात निर्धारण प्रक्रिया तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है, वहां इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण से संबंधित उपबंध लागू नहीं होंगे परियोजना के निर्माण से लगभग सागर एवं विदिशा जिले के 150 ग्रामों की 40,000 हेक्टेयर, भूमि सिंचित होना है एवं परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है।

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| (1) परियोजना का नाम :- | हनौता सिंचाई परियोजना |
| (2) भूमि का विवरण :- | |
| 1. जिला | सागर |
| 2. तहसील | राहतगढ़ |
| 3. ग्राम | झिला |
| 4. पटवारी हल्का नं. | 04 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | 0.106 हेक्टेयर |

:: अनुसूची -01::

क्र.	भूमि स्वामी कानाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा नंबर	कुल रकवा	अर्जित रकवा	शेष रकवा
1	2	3	4	5	6	7
1	सियाबाई पत्नि हल्काई पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	76	2.160	0.036	2.124

2	राधबेन्द्रसींग पि.देवेन्द्र सींग पता सा.देह भूमि स्वामी	भूमि स्वामी	78	1.220	0.070	1.150
	योग		2	3.380	0.106	3.274

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशा के अधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक-एफ 16-15-(7)2014-सात-शा, 2 ए भोपाल, दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। अतः प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन शाखा जिला सागर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे। इस कार्य में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना प्रबंधक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर समुचित सहयोग करेंगे एवं प्रबंधक के निर्देशानुसार कार्यवाही करते हुये निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करेंगे।

अधिनियम की धारा 11(4) के पृष्ठ के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा। या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15(1) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ में) आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) राहतगढ़ एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव,

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सीधी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सीधी, दिनांक 15 अक्टूबर 2020

पत्र. क्र. 530-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—गोपद बनास

(ग) ग्राम का नाम—महराजपुर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—रकबा 0.230 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	156/1	0.010	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान मुख्य नहर/शाखा नहर
2	157/3/1	0.220	संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	निर्माण हेतु.
Total. .		0.230		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

सीधी, दिनांक 25 नवम्बर 2020

प. क्र. 585-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के

प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—पथरौही

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.617 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	462/1	0.008	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सब- माइनर के निर्माण हेतु.
2	462/2			
3	441	0.075		
4	460	0.040		
5	459	0.010		
6	461/1			
7	461/2			
8	461/3	0.031		
9	461/4			
10	461/5			
11	440/2	0.390		
12	249	0.013		
13	251	0.010		
14	250/1	0.020		
15	250/2	0.020		
	योग.	0.617		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 587-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं

करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाधात के पूर्व मूल्यांकन/आकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—अमरपुर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 2.187 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1106	0.180	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सब- माइनर (एल) के निर्माण हेतु.
2	1105	0.122		
3	873	0.006		
4	877	0.050		
5	878	0.035		
6	887	0.045		
7	880	0.004		
8	879	0.034		
9	1127	0.065		
10	1128	0.045		
11	646	0.020		
12	920	0.070		
13	913	0.100		
14	914	0.015		
15	915	0.014		
16	904	0.020		
17	916	0.010		
18	919	0.006		
19	905	0.024		
20	907	0.005		
21	906	0.026		
22	406	0.015		
23	407	0.022		
24	409	0.050		
25	410	0.049		
26	413	0.001		
27	412	0.033		
28	509	0.116		
29	516	0.002		
30	519	0.092		
31	528	0.028		
32	527	0.048		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
33	526	0.043		
34	523	0.016		
35	524	0.017		
36	605	0.094		
37	611/1	0.123		
38	611/2			
39	644	0.092		
40	900	0.046		
41	879	0.055		
42	895	0.018		
43	898/1/1	0.005		
44	901	0.025		
45	896	0.031		
46	891	0.046		
47	1126	0.049		
48	886	0.021		
49	881	0.030		
50	882	0.001		
51	1100	0.004		
52	1115/1	0.040		
53	1115/2	0.040		
54	1114	0.012		
55	1116	0.019		
56	1113	0.008		
योग.		2.187		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्वसम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 589-भू-अर्जन-2020.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व

मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—शिवपुर (मरसरहा)

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 3.248 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	265	0.092	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सब-माइनर के निर्माण हेतु.
2	250	0.220		
3	553	0.065		
4	554	0.215		
5	900	0.025		
6	266	0.096		
7	489	0.040		
8	505/1/1			
9	505/1/2	0.130		
10	505/2			
11	506	0.120		
12	504	0.001		
13	507	0.035		
14	564	0.045		
15	503/1	0.060		
16	515/1	0.002		
17	551	0.025		
18	563	0.088		
19	562	0.270		
20	552	0.044		
21	514	0.120		
22	561	0.002		
23	550	0.050		
24	925	0.020		
25	926	0.070		
26	927	0.156		
27	928	0.050		
28	549	0.015		
29	899	0.070		
30	902	0.120		
31	547	0.087		
32	895/1	0.002		
33	893	0.016		
34	929	0.060		
35	892	0.058		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
36	890	0.070		
37	889	0.010		
38	937/968	0.225		
39	937/969	0.110		
40	937	0.100		
41	937/970	0.108		
42	937/971	0.156		
	योग .	3.248		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

प. क्र. 591-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम का नाम—पुजौही
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.868 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	294	0.015	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सब-माइनर (एल) के निर्माण हेतु.
2	293	0.170		
3	304/1	0.014		
4	304/2			
5	291	0.078		
6	305	0.120		
7	288	0.120		
8	296	0.060		
9	278	0.003		
10	281	0.090		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11	279	0.073		
12	266	0.030		
13	267	0.095		
	योग.	0.868		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

प. क्र. 593-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—बहरी
- (ग) ग्राम का नाम—सरदा
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 4.233 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1061	0.080	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	1063	0.050	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय
3	1060/1	0.085	(म. प्र.).	चरण) के मुख्य नहर की माइनर
4	1061/2			नम्बर 7 की सब-माइनर के
5	1059	0.070		निर्माण हेतु.
6	1052	0.002		
7	1051	0.090		
8	1068	0.140		
9	1123	0.015		
10	1125	0.043		
11	1145	0.025		
12	1124	0.026		
13	1143	0.020		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
14	1144/1	0.045		
15	1144/2			
16	1157/1	0.029		
17	1157/2			
18	327	0.075		
19	326	0.025		
20	343	0.052		
21	325/2	0.045		
22	328/1	0.054		
23	1053/1	0.031		
24	1054	0.194		
25	1056	0.057		
26	1090/1	0.068		
27	1090/2			
28	1089	0.030		
29	1088	0.032		
30	1093	0.008		
31	1087	0.013		
32	1092/1	0.007		
33	1128/1	0.010		
34	1085/1/1	0.058		
35	1085/1/2			
36	1130	0.087		
37	1149	0.002		
38	1154	0.051		
39	1156	0.053		
40	1155	0.052		
41	1153	0.030		
42	1152	0.051		
43	1151	0.046		
44	808/1/ख	0.004		
45	808/2	0.070		
46	810/1	0.073		
47	810/2			
48	797/1	0.073		
49	796/1	0.040		
50	796/2			
51	775/1	0.085		
52	772	0.078		
53	470	0.079		
54	469	0.072		
55	473/Min-1	0.001		
56	474	0.130		
57	458/Min-1	0.017		
58	456	0.180		
59	455	0.013		
60	454	0.018		
61	452	0.031		
62	254	0.019		
63	257	0.132		
64	260	0.053		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
65	259	0.034		
66	267	0.071		
67	268	0.022		
68	277/1	0.072		
69	282	0.105		
70	274	0.028		
71	283	0.047		
72	284	0.010		
73	288/1	0.117		
74	315/Min-1	0.183		
75	349	0.054		
76	350/1	0.079		
77	350/2			
78	353/1	0.147		
79	367/Min-1	0.009		
80	363/1	0.014		
81	364/1	0.055		
82	362/1	0.167		
योग .		4.233		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, बहरी में देखा जा सकता है.
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 595-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—पुजौही

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.093 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	356/1	0.020	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 8 की सब- माइनर (आर) के निर्माण हेतु.
2	356/2			
3	357/1			
4	357/2	0.029		
5	358	0.034		
6	359	0.010		
		योग . 0.093		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 597-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलग्न सुजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—सैरपुर

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 1.369 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	406	0.015	कार्यपालन यंत्री, महान नहर संभाग सीधी, जिला-सीधी (म. प्र.).	महान (गुलाब सागर) परियोजना के बहरी नहर विस्तार योजना (द्वितीय चरण) के मुख्य नहर की माइनर नम्बर 6 निर्माण हेतु.
2	405	0.053		
3	388	0.072		
4	389	0.004		
5	398	0.052		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	392	0.030		
7	397	0.060		
8	391	0.022		
9	244/1	0.001		
10	245/1	0.138		
11	247	0.087		
12	248	0.007		
13	249	0.135		
14	252	0.012		
15	250	0.069		
16	230	0.006		
17	251	0.090		
18	229	0.008		
19	225	0.047		
20	224	0.040		
21	204	0.086		
22	222	0.070		
23	220/1	0.042		
24	220/2			
25	219	0.013		
26	223/1	0.210		
27	223/2			
योग.		1.369		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

प. क्र. 599-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—रोजहा

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.952 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	131	0.064	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	129	0.180	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	128	0.272	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	125	0.108		की माइनर नम्बर 8 के निर्माण
5	120	0.152		हेतु.
6	119	0.152		
7	118	0.024		
		योग. . 0.952		

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, सिहावल में देखा जा सकता है.

(3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है. अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है.

(4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.

(5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है.

प. क्र. 601-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है. यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है. यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण:—

(क) जिला—सीधी

(ख) तहसील—बहरी

(ग) ग्राम का नाम—पटेहरा कोठार

(घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.312 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	191	0.045	कार्यपालन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	188	0.132	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	189/1	0.022	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	185	0.045		की माइनर नम्बर 7 के निर्माण
5	186	0.006		हेतु.
6	182	0.062		
		योग. . 0.312		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, बहरी में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

प. क्र. 603-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा, अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा। यह परियोजना कृषकों के हित से सम्बन्ध है। यहां पर कोई वृहद स्तर का विस्थापन न होकर महान (गुलाब सागर) परियोजना के द्वितीय चरण में बहरी नहर विस्तार योजना के मुख्य नहर/शाखा नहर निर्माण हेतु क्षेत्र प्रस्तावित है। यह प्रक्रिया/परियोजना शासन एवं आम जन के न्याय हित में होने के कारण सामाजिक समाघात के पूर्व मूल्यांकन/आंकलन की आवश्यकता नहीं है। राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (4) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का विवरण:—

- (क) जिला—सीधी
- (ख) तहसील—गोपद बनास
- (ग) ग्राम का नाम—गाजर
- (घ) निजी भूमि का अर्जित क्षेत्रफल—निजी रकबा 0.362 हेक्टेयर.

स. क्र.	खसरा नम्बर	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	65	0.175	कार्यालयन यंत्री, महान नहर	महान (गुलाब सागर) परियोजना
2	66	0.006	संभाग सीधी, जिला-सीधी	के बहरी नहर विस्तार योजना
3	72	0.048	(म. प्र.).	(द्वितीय चरण) के मुख्य नहर
4	74	0.027		की माइनर नम्बर 7 की सब
5	80	0.073		माइनर नहर के निर्माण हेतु.
6	81	0.033		
	योग .	0.362		

- (2) भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, उपखण्ड अधिकारी, गोपद बनास में देखा जा सकता है।
- (3) उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रयोजन के लिए अपर कलेक्टर सीधी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है। अतः हितबद्ध कोई भी व्यक्ति इस हेतु उनके समक्ष 60 दिनों के अन्दर आवेदन कर सकता है।
- (4) धारा 11 के तहत जारी उक्त अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से 60 दिन के भीतर कोई भी व्यक्ति अधिनियम, 2013 की धारा 15 के तहत लिखित आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं।
- (5) यह सूचना सर्व सम्बन्धितों की जानकारी के लिए जारी की जा रही है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 9 नवम्बर 2020

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-20-21 पत्र क्र. 382-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 7, सतना द्वारा प्रस्तावित संलग्न परिशिष्ट “ए” अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1) 2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	के लिए प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	कल्याणपुर	1.179	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7 सतना (म. प्र.).	नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा, (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला सतना, (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82-20-21 पत्र क्र. 383-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये कार्यपालन यंत्री, नर्मदा घाटी विकास संभाग क्रमांक 7, सतना द्वारा प्रस्तावित संलग्न परिशिष्ट “ए” अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15(1) 2014-सात-शा. 2 ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग	के लिए प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	उचेहरा	पथरहटा	0.820	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र.-7 सतना (म. प्र.).	नहर (पथरहटा माइनर) निर्माण हेतु.

- (2) भूमि का नक्शा, (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा), जिला सतना, (म. प्र.) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय कटेशरिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

अनूपपुर, दिनांक 18 नवम्बर 2020

प्र. क्र. एफ-22-6-2015-16-ल.सि.-31-234, दिनांक 23 फरवरी 2016.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
निजी भूमि रकबा					
अनूपपुर	जैतहरी	गोधन	1.481	भू-अर्जन अधिकारी जिला अनूपपुर	सिंहपुर डायवर्सन योजनान्तर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु.
		चोरवटी	0.788		
		उमरिया	0.840		
		योग . .	3.109		

(2) भूमि का नक्शा, (प्लान) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग अनूपपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रमोहन ठाकुर, कलेक्टर एवं पदेन अपरसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बालाघाट, दिनांक 27 नवम्बर 2020

क्र. 6558-भू-अर्जन-2020.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इनके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग कार्यपालन यंत्री, बैनगंगा संभाग, बालाघाट द्वारा दूटी बायी तट नहर प्रणाली की कटंगी मायनर के शेष निर्माण कार्य में जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है. भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 40 के अंतर्गत भूमि अर्जन की आवश्यकता की दशा में आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदाय की जाकर अधिनियम की धारा 11(3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध भूमियों के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) तथा भूमि पर स्थित परिसंपत्ति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बालाघाट	किरनापुर	ग्राम कटंगी	ख.नं. 223/1, रकबा 0.703 हे. जिसमें से रकबा 0.032 हे.	भू-अर्जन अधिकारी, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट.	ग्राम कटंगी की निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति विधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट dmbalaghat@nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देख सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन शाखा, बालाघाट के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), किरनापुर, तहसील किरनापुर, जिला बालाघाट (मध्यप्रदेश) के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतू निर्माण संभाग जबलपुर के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

कटनी, दिनांक 4 दिसम्बर 2020

(भू-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की
धारा 11 के अन्तर्गत)

प्र. क्र. 01-अ-82-2020-21.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को अनुसूची के खाने (6) में उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

चूंकि, भारत सरकार रेल मंत्रालय से स्वीकृत जिला कटनी के कटंगीखुर्द, झलवारा स्टेशन के मध्य कार्ड लाईन का निर्माण तथा जिससे रेल यातायात सुदृढ़ व्यवस्था संबंधी कार्य कराया जाना है. जो कि देश व प्रदेश हित के विकास व सार्वजनिक प्रयोजन संबंधी कार्य योजना है. जिसमें भू-अर्जन कार्यवाही समय-सीमा में वांछित है. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-16-15(1)-2014-सात-शा-2ए, भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 2014 में दी गई अधिकारित क्षमता व भारत सरकार द्वारा जारी अध्यादेश राजपत्र दिनांक 31 दिसम्बर 2014 में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, कलेक्टर कटनी प्राधिकृत समुचित सरकार द्वारा प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 2013 के अध्याय II तथा III की कार्यवाही से विमुक्त किया गया है. द्वितीय अध्यादेश दिनांक 3 अप्रैल 2015 में प्रावधानिकता अनुसार प्रस्तावित रकवा निर्माण योजना की आवश्यकता के अनुरूप है. इस हेतु धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अध्ययन संबंधी रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		धारा 11 की उपधारा 2 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	लगभग क्षेत्रफल अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कटनी	कटनी	1. खिरहनी, प.ह.नं. 28, न. बं. 91	1.89	मुख्य अभियंता (निर्माण), पश्चिम मध्य रेल्वे, जबलपुर.	कटंगीखुर्द-झलवारा स्टेशन के मध्य कार्ड लाईन के निर्माण हेतु.
		2. कटंगीकला, प.ह.नं. 29, न. बं. 67	0.97		
		योग . .	2.86		

(2) प्रस्तावित अर्जन क्षेत्र में कोई धार्मिक स्थान, स्मारक, मजार, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान आदि प्रभावित नहीं होते जिससे जन संतान हो.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधि., कटनी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशिभूषण सिंह, कलेक्टर एवं पदेन समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास मध्यप्रदेश एवं पदेन समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

देवास, दिनांक 7 दिसम्बर 2020

**अन्तर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार
अधिनियम, 2013 क्र. 30 सन् 2013**

क्र. 1991-भू-अर्जन-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 1 में मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया, तहसील व जिला देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लिखित है-सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित सर्वे क्रमांक की भूमि मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है:—अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है :—

अनुसूची 1

ग्राम—कुमारिया, तहसील—देवास

स. क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हे. में)		
		सिंचित	असिंचित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण.	0.460	0.045	0.505

अनुसूची 2

मण्डलावदा रोकबांध सहपुलिया के लिए सुरक्षा दीवार के निर्माण के अन्तर्गत ग्राम कुमारिया की प्रभावित भूमि का विवरण.

ग्राम—कुमारिया, तहसील—देवास

क्र.	कृषक का नाम व पिता /पति का नाम	खसरा क्र.	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	जयनारायण, बाबूलाल, मुकेश, कल्याण पिता लक्ष्मीनारायण.	542	0.300	—	0.300	0.020	—	0.020
2	कल्याण पिता लक्ष्मीनारायण	543/1	—	0.150	0.150	—	0.020	0.020
3	हेमाबाई पति कल्याण	543/2	—	0.150	0.150	—	0.025	0.025
4	हरिनारायण पिता आत्माराम	544/1/1	0.070	—	0.070	0.020	—	0.020
5	माखन पिता हरिनारायण	544/1/2	0.040	—	0.040	0.010	—	0.020

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6	जीवन पिता हरिनारायण	544/1/3	0.040	-	0.040	0.020	-	0.010
7	सुरेश पिता आत्माराम	544/2/1	0.070	-	0.070	0.020	-	0.020
8	राहुल पिता सुरेश	544/2/2	0.040	-	0.040	0.020	-	0.020
9	रीना पिता राहुल	544/2/3	0.040	-	0.040	0.010	-	0.010
10	लीलाधर पिता बट्टीलाल	545/1/1	0.070	-	0.070	0.020	-	0.020
11	सुभाष पिता लीलाधर	545/1/2	0.040	-	0.040	0.010	-	0.010
12	केदार पिता लीलाधर	545/1/3	0.050	-	0.050	0.020	-	0.020
13	चन्द्रशेखर पिता मोहनलाल	545/2	0.080	-	0.080	0.030	-	0.030
14	मनोज पिता मोहनलाल	545/3	0.080	-	0.080	0.030	-	0.030
15	रमेशचन्द्र पिता शिवजीराम	545/4/1	0.060	-	0.060	0.030	-	0.030
16	आशीष पिता रमेशचन्द्र	545/4/2	0.050	-	0.050	0.020	-	0.020
17	विकास पिता रमेशचन्द्र	545/4/3	0.050	-	0.050	0.020	-	0.020
18	महेश पिता बट्टीलाल	545/5/1	0.090	-	0.090	0.030	-	0.030
19	शुभम् पिता महेश	545/5/2	0.060	-	0.060	0.020	-	0.020
20	राकेश पिता बाबूलाल	546/2/1	0.050	-	0.050	0.023	-	0.023
21	मुन्नीबाई पिता बाबूलाल	546/2/2	0.050	-	0.050	0.023	-	0.023
22	गंगाबाई बेवा बाबूलाल	546/2/3	0.050	-	0.050	0.023	-	0.024
23	किशनलाल पिता रामप्रसाद	546/3/1/1	0.050	-	0.050	0.010	-	0.010
24	संजय पिता रामकिशन	546/3/1/2	0.050	-	0.050	0.010	-	0.010
25	बबीताबाई पति संजय	546/3/2	0.050	-	0.050	0.010	-	0.010
26	बंशीलाल पिता रामप्रसाद	546/4	0.150	-	0.150	0.010	-	0.010
योग . . .		26	1.680	0.300	1.980	0.460	0.045	0.505

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रमौली शुक्ला, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2020

क्र. C-3358-चार-9-03-2018-पेंशन.—श्री डी. के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर द्वारा मध्यप्रदेश सिविल सर्विसेस पेंशन नियम, 1976 के नियम 42 (1) (ए) के अंतर्गत स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु दिनांक 11 सितम्बर 2020 को प्रस्तुत आवेदन-पत्र उनकी 20 वर्ष की अर्हताकारी सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप स्वीकार किया जाता है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के द्वारा, श्री डी. के. मिश्रा, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 31 दिसम्बर 2020 अपराह्न से स्वेच्छापूर्वक सेवानिवृत्त होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के
आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार वाणी, रजिस्ट्रार जनरल.

जबलपुर, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

क्र. C-3376-दो-2-35-2019.—श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 14 से 22 दिसम्बर 2020 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार (एम.), के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. C-3379-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री आर. पी. मिश्रा, सेवानिवृत्त, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश (जिला न्यायाधीश), कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195/इक्कीस-ब(एक)-2018, दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346-इक्कीस-ब(एक), 2018, दिनांक 19 सितम्बर 2018, समसंख्यक आदेश क्रमांक 3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्रमांक एफ 6-1-2018-नियम-चार, दिनांक 8 मार्च

2019 के अनुसार श्री मिश्रा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 नवम्बर 2020 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:—

1. अर्जित अवकाश	.. 195
अर्द्धवेतन अवकाश	.. 105

योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:—

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 195 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = ————— X 105
के एवज में नगद 30
भुगतान.

जबलपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2020

क्र. C-3419-दो-2-50-2018.—डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को दिनांक 07 से 09 दिसम्बर 2020 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 06 दिसम्बर 2020 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-5555-दो-2-18-2015.—श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:—

- दिनांक 02 से 03 दिसम्बर 2020 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है।
- दिनांक 02 से 06 दिसम्बर 2020 तक, पांच दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री सुशील कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशील कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 15 दिसम्बर 2020

क्र. D-5585-दो-2-12-2017.—श्री अवनीन्द्र कुमार सिंह, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, (आई.एल.आर.एण्ड एजाम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) वर्ष बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 08 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20 October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-5587-दो-2-59-2006.—श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि में एल.टी.सी. सुविधा के एवज में उपरोक्त ब्लाक हेतु मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 08th August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12 October 2020, Govt. of India,

Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20th October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10 November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

क्र. D-5589-दो-2-59-2006.—श्री ऋषभ कुमार सिंघई, जिला न्यायाधीश (निरीक्षण), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2020 तक के सार्वजनिक अवकाश में होम एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण (उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020 बढ़ जाने से) वर्ष 2015 से 2019 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. D-5591-दो-2-52-2019.—श्री आलोक मिश्रा, रजिस्ट्रार (एजाम एण्ड एल. जे.), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर द्वारा विशेष कैश पैकेज का चयन किये जाने के फलस्वरूप ब्लॉक वर्ष दिनांक 01 नवम्बर 2015 से 31 अक्टूबर 2019 तक की ब्लाक अवधि के साथ एल.टी.सी. सुविधा का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त सुविधा स्वतः एक वर्ष (ग्रेस पीरियड सहित दिनांक 31 अक्टूबर 2020) बढ़ जाने के कारण एल.टी.सी. के एवज में उपरोक्त ब्लाक अवधि हेतु, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3(ए)19-03 इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9(1-ड), समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666-इक्कीस-ब(एक) 2011, दिनांक 8 August 2011, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 12th October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memo. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 20th October 2020, Govt. of India, Ministry of Finance, Department of Expenditure, EII(A), New Delhi, Office Memorandum F. No. 12(2) 2020-EII(A), Dated 10th November 2020 and Registry Circular No. D/4348, Dated 23rd October 2020 में दिए गए प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण के अग्रिम के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिवक्ता महोदय के

आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, ओ. एस. डी.